रजिस्ट्री सं० डी--(डीएन)--128/90

REGISTERED NO. D--(DN)--128/90

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 28, 1990 (वैशाख 8, 1912)

No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 28, 1990 (VAISAKHA 8, 1912)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I--खण्ड 1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों, संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	327
भाग I--खण्ड 2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	479
भाग I--खण्ड 3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .	—
भाग I--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .	553
भाग II--खण्ड 1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खण्ड 1-क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II--खण्ड 2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) . . .	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . .	*
भाग II--खण्ड--3--उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश . .	*
भाग III--खण्ड 1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . .	421
भाग III--खण्ड 2--पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . .	417
भाग III--खण्ड 3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III--खण्ड 4--विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	1613
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस . .	57
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक . .	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं।

1--31 GI/90

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	327
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	479
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . .	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	553
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 1 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	421
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office relating to Patents and Designs	427
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1513
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	57
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 अप्रैल 1990

सं. 25-प्रेज/90—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री रंजीत सिंह,
निरीक्षक सं. 620140276,
41वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

11 दिसम्बर, 1988 को तरन-तारन के पुलिस अधीक्षक (प्रचालन) को सूचना प्राप्त हुई कि पुलिस स्टेशन पट्टी के तहत ग्राम तलवंडी के शोभा सिंह के एक फार्म हाउस में कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं। 12 दिसम्बर, 1988 को प्रातः संदिग्ध स्थान की छानबीन करने और छापा मारने की योजना बनाई गई। पुलिस अधीक्षक (प्रचालन) ने स्थानीय पुलिस के साथ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 41वीं बटालियन की "सी" कम्पनी की दो टुकड़ियां एकत्र कीं। दो टुकड़ियों का नेतृत्व निरीक्षक रंजीत सिंह ने किया और "सी" कम्पनी की प्लाटून का नेतृत्व एक अन्य निरीक्षक ने किया।

बल ने पहले श्री जागीर सिंह के फार्म हाउस की तलाशी ली परन्तु वहां कुछ नहीं मिला। इसके बाद वे श्री गुरबचन सिंह के फार्म हाउस पर गए, जिसमें अर्ध-पक्की छत वाले दो कमरे बने हुए थे और पूरे परिसर के चारों ओर एक मिट्टी की दीवार बनी हुई थी। जैसे ही दल फार्म हाउस के समीप पहुंचा तो वहां फार्म हाउस के अंदर ट्यूबवेल से एक व्यक्ति आवासीय कमरों की ओर भागता हुआ देखा गया और उसने आतंकवादियों को सचेत कर दिया। आतंकवादियों ने ए. के. 47 राइफलों से पुलिस बल पर गोलियां चलानी आरम्भ कर दीं। श्री रंजीत सिंह ने एक लांस नायक को अपनी एल. एम. जी. को फार्म हाउस के पूर्व की ओर चलाने के लिए तैयार रखने को कहा जिससे कि आतंकवादी समीप के गन्ने के खेतों में भाग न सकें। उन्होंने एक अन्य कान्स्टेबल को दरवाजे की ओर लगातार गोली चलाते रहने के लिए तैनात किया ताकि कोई भी आतंकवादी कमरों से बाहर न निकल सके। श्री रंजीत सिंह ने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए बड़ी फुर्ती और साहस के साथ अपने साथियों को तैनात किया।

कुछ समय के लिए गोलाबारी रोक दी गई ताकि घर के मासूम लोग गोलाबारी में न मारे जाएं। घर के लोगों को बाहर आने और आत्मसमर्पण करने को कहा गया, जिसका उन्होंने पालन किया। उस परिवार में दो पुरुष, दो स्त्रियां और तीन बच्चे थे जो घर से बाहर निकल आए। पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि कमरों में हथियारों से अच्छी तरह से लैस दो आतंकवादी हैं। स्वयं को बता सिंह का पोता बताने वाला एक आतंकवादी भी बाहर आया। पूछताछ करने पर उस ने कबूल किया कि वह आतंकवादी किक्कर सिंह है।

दोनों ओर से गोला-बारी होती रही परन्तु वह बेकार साबित हुई क्योंकि आतंकवादी अंदर कमरों में मोर्चा संभाले हुए थे। श्री रंजीत सिंह छत पर चढ़ गए और उन्होंने घर के एक दरवाजे से एक हथगोला फेंका। आतंकवादियों ने श्री रंजीत सिंह पर भीषण गोला-बारी की। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना रंजीत सिंह ने दूसरे दरवाजे से एक और हथगोला अंदर फेंक दिया। इसके बाद आतंकवादियों ने दोनों दरवाजे बंद कर दिए।

श्री रंजीत सिंह ने आतंकवादियों की नई रणनीति पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए छत में एक छिद्र किया और सफलतापूर्वक हथगोले अंदर फेंके। किन्तु कुछ देर बाद आतंकवादियों ने पुनः गोलियां चलानी शुरू कर दीं। इस बात का पता लगा कि दोनों कमरे अन्दर से दरवाजे से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, अतः जब एक कमरे में हथगोला फेंका जाता था तो आतंकवादी दूसरे कमरे में चले जाते थे। श्री रंजीत सिंह ने एक हेड कान्स्टेबल को छत पर चढ़कर दूसरे कमरे की छत में भी छिद्र करने का आदेश दिया। श्री रंजीत सिंह और हेड कान्स्टेबल दोनों छिद्रों से रुक-रुक कर हथगोले अन्दर फेंकने लगे ताकि दोनों छिपे हुए आतंकवादी किसी एक कमरे में घिर जाएं। कुछ समय के बाद कमरों में गोला-बारी बंद हो गई। गोला-बारी की आड़ में श्री रंजीत सिंह ने एस. एच. ओ. बलतोहा के साथ बड़ी दिलेरी के साथ रेंगते हुए खिड़की से अंदर झांककर देखने पर पाया कि अन्दर किसी प्रकार की गतिविधि नहीं थी। श्री रंजीत सिंह अदम्य साहस का परिचय देते हुए कमरे में कूद पड़े और आतंकवादियों को मारने के उद्देश्य से, जो शायद मरे हुए होने का बहाना कर रहे हों, अपनी स्टेनगन से गोलियों की बौछार करने लगे। एस. एच. ओ. बलतोहा भी उनके पीछे-पीछे वहां पहुंचे। इसी तरह उन्होंने दूसरे कमरे की भी छानबीन की और दोनों आतंकवादियों को मरा हुआ पाया।

दोनों आतंकवादियों की बाद में अमृतसर के रतन सिंह और महिला सिंह उर्फ रेखा के रूप में पहचान की गई।

इस मुठभेड़ में श्री रंजीत सिंह, पुलिस निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12 दिसम्बर, 1988 से दिया जाएगा।

सं. 26-प्रेज/90—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री चन्द्र पाल सिंह,
लान्स नायक नं. 701510873,
65वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

श्री सौदान सिंह,
कान्स्टेबल नं. 800652925,
65वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

श्री एल. बी. स्वामी,
कान्स्टेबल नं. 850800087,
65वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

16 मई, 1989 को लगभग दिन के 3.00 बजे पंजाब के एक सहायक उप-निरीक्षक, 1 नायक, श्री चन्द्रपाल सिंह, लान्स नायक, श्री सौदान सिंह तथा श्री एल. बी. स्वामी, कान्स्टेबलों और एक कान्स्टेबलों/ड्राइवर सहित, हैड कान्स्टेबल के नेतृत्व में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 65वीं बटालियन का एक गश्ती दल थाना सदर, मोगा के क्षेत्र में गश्त लगाने के लिए गया। जब गश्ती दल फिरोजपुर की ओर दगरू रेलवे-रोड चौराहे से एक किलोमीटर दूर लुधियाना-फिरोजपुर रोड पर था तो उन्होंने एक तिपहिया देखा जिसमें केवल एक सवारी बैठा था। गश्ती दल को यह संदेह हुआ कि इस व्यस्त समय में जब अन्य तिपहिये यात्रियों से खचाखच भरे हुए आ-जा रहे थे तो विशेष तिपहिये में केवल दो ही व्यक्ति क्यों यात्रा कर रहे थे।

जीप को सुरक्षित स्थान पर खड़ा करने के बाद गश्ती दल ने उस तिपहिये को रोका और उनके बारे में पूछताछ की। उनमें से एक ने अचानक अपनी पिस्तौल निकाली और पुलिस दल पर गोली चलायी। लान्स नायक चन्द्रपाल सिंह ने कान्स्टेबल सौदान सिंह और कान्स्टेबल एल. बी. स्वामी के साथ आतंकवादियों पर एक साथ गोली चलायी। श्री चन्द्रपाल सिंह द्वारा चलाई गई एक गोली आतंकवादी के पेट के समीप उसके दाहिने जांघ पर लगी। कान्स्टेबल सौदान सिंह ने तुरन्त कार्रवाई की और उनके द्वारा चलाई गई पहली गोली आतंकवादी की दाहिने हाथ में लगी जिसमें उसने पिस्तौल पकड़ी हुई थी। उसके साथ ही कान्स्टेबल एल. बी. स्वामी द्वारा चलाई गई एक गोली आतंकवादी के बाएं हाथ में लगी, जिससे उसने पिस्तौल पकड़ी हुई थी। इन तीनों अफसरों द्वारा सही निशाना लगाने के परिणामस्वरूप आतंकवादी जमीन पर गिर पड़ा और घटना स्थल पर ही मारा गया। तथापि दूसरा आतंकवादी घनी झाड़ियों की आड़ में भागने में सफल हो गया। मृतक आतंकवादी की बाद में शिनाख्त होने पर पता चला कि वह पक्खिया कलन का अमरीक सिंह उर्फ लल्ली था।

इस मुठभेड़ में श्री चन्द्रपाल सिंह, लान्स नायक, श्री सौदान सिंह, कान्स्टेबल और श्री एल. बी. स्वामी, कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 16 मई, 1989 से दिया जाएगा।

सं. 27-प्रेज/90—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

(मरणोपरान्त)

श्री वीरेन्द्र सिंह नेगी,
कान्स्टेबल सं. 850795558,
30वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

6 दिसम्बर, 1988 को रात के लगभग 8.00 बजे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 30वीं बटालियन के पुलिस उप-अधीक्षक अपनी दो टुकड़ियों और गढ़शंकर के एस. एच. ओ. और उसके दल के साथ तीन जीपों में (कान्स्टेबल वीरेन्द्र सिंह नेगी सहित) गश्त के लिए निकले। रास्ते में गढ़शंकर के एस. एच. ओ. को वायरलेस द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दौलतपुर गांव के बाहरी भाग के एक मकान में संदिग्ध उग्रवादी ठहरे हुए हैं। रात के लगभग 9.30 बजे गांव के निकट पहुंचने पर पुलिस दल दो भागों में बंट गया। आतंकवादियों के बचकर भागने के प्रयास को रोकने के उद्देश्य से पुलिस के एक दल ने बाईं ओर से और दूसरे दल ने दाईं ओर से घर को घेर लिया। भाग निकलने के सभी रास्तों की नाकाबंदी करने के बाद गढ़शंकर के एस. एच. ओ. ने घर के मुख्य द्वार को खटखटाया और इसके साथ-साथ पोजीशन संभाली तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के पुलिस उप-अधीक्षक ने घर के प्रवेश द्वार को खटखटाया। घर के अंदर से उत्तर मिलने पर पुलिस दल ने द्वार खोलने के लिए कहा यह सुनकर घर के अन्दर की बत्तियां बंद कर दी गईं और संदिग्ध गतिविधियों की आवाज सुनाई दी। इस पर कान्स्टेबल बीरेन्दर सिंह नेगी और एक अन्य कान्स्टेबल को संदेह हो गया और वे तुरन्त छत पर चढ़ गए। जहां से वे दोनों (कान्स्टेबल) अहाते की दीवार पर चढ़े थे वहां पर आतंकवादियों ने घर की छत पर से अचानक एक गोला फेंक दिया। गोला फेंकने के बाद दोनों आतंकवादी दौड़ कर गांव की ओर जाने वाली गली में कूद गये। कान्स्टेबल नेगी उनके पीछे ही गली में कूद पड़े और उनमें से एक (आतंकवादी) के साथ जूझ गए। दूसरे आतंकवादी ने कान्स्टेबल नेगी की ओर एक गोला फेंका जो कान्स्टेबल नेगी की छाती में बाईं तरफ लगा। इससे कान्स्टेबल नेगी की उस वक्त पर पकड़ ढीली हो गई, और वह उनकी पकड़ से छूट गया। दोनों आतंकवादी दो अलग-अलग दिशाओं की ओर भाग गए। गोली से घायल होने पर भी कान्स्टेबल नेगी ने अपनी एस. एल. आर से आतंकवादी पर गोली चलाई, जिसके परिणामस्वरूप आतंकवादी गली में गिर गया। अन्य पुलिस कार्मिकों ने भी उग्रवादी पर गोलियां चलाईं परन्तु वह अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकला। गोला-बारी रुकने पर जब उस क्षेत्र की छानबीन की गई तो कान्स्टेबल नेगी को मृत पाया गया। जो आतंकवादी गली में गिर गया था, वह भी मृत

पाया गया। उसकी बाद में गांव महतपुर के जसविन्दर सिंह के रूप में शिनाख्त की गई।

इस मुठभेड़ में श्री बीरेन्द्र सिंह नगी, कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 दिसम्बर, 1988 से दिया जाएगा।

दिनांक 26 जनवरी 1990

सं. 28-प्रेज/90—राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनकी अति असाधारण विशिष्ट सेवा के लिए "परम विशिष्ट सेवा मेडल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. लेफ्टिनेंट जनरल गुरिन्दर सिंह (आई सी-6123), अ.वि.से.मे., कवचित कोर।
2. लेफ्टिनेंट जनरल फरिदून नोशीर बिलिमोरिया (आई सी–6403), इन्फेन्ट्री।
3. लेफ्टिनेंट जनरल हनुत सिंह (आई सी-6126) महावीर चक्र, कवचित कोर।
4. लेफ्टिनेंट जनरल गुरदयाल सिंह ग्रेवाल (आई सी–7013), कवचित कोर।
5. लेफ्टिनेंट जनरल विजय सिंह (आई सी-7034, कवचित कोर।
6. लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह रावत (आई सी–6616), वि.से.मे., इन्फैन्ट्री।
7. लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह लजूरिया (आई सी–6715), कवचित कोर।
8. लेफ्टिनेंट जनरल गोरख नाथ (आई सी–6529), अ.वि.से.मे. सेना सेवा कोर।
9. लेफ्टिनेंट जनरल नरेश पाल सिंह बल (आई सी–7616), इन्फैन्ट्री।
10. लेफ्टिनेंट जनरल सूरज प्रकाश (एम आर-0660), सेना चिकित्सा कोर।
11. लेफ्टिनेंट जनरल राम कुमार गौड़ (आई सी-6730), इन्फैन्ट्री।
12. लेफ्टिनेंट जनरल हरबन्स लाल (आई सी–6945), वि.से.मे., विद्युत एवं यांत्रिक इन्जीनियर्स (सेवा-निवृत)।
13. मेजर जनरल विनोद बधवार (आई सी–6701), वि.से.मे., इन्फैन्ट्री।
14. वाइस एडमिरल सुरेन्द्र प्रकाश गोविल, अ.वि.से.मे., (00165–जेड)।
15. वाइस एडमिरल हीथवुड जानसन, वि.से.मे (00179–एफ)।
16. एयर मार्शल हर कृष्ण ओबेराय, अ.वि.से.मे., वा मे (4583) उड़ान (पायलट)।
17. एयर मार्शल राज कुमार नेहरा, वि.से.मे. (4518) वैमानिकी इन्जीनियरी (यांत्रिक)।
18. एयर मार्शल बृजेश धरजयाल, अ.वि.से.मे. वा मे और बार (4972) उड़ान (पायलट)।
19. एयर मार्शल गन्धर्व सेन, अ.वि.से.मे, वा मे (4429) उड़ान (पायलट) (सेवा निवृत)।

सं. 29-प्रेज/90—राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनकी असाधारण सेवा के लिए "अति विशिष्ट सेवा मेडल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. लेफ्टिनेंट जनरल अजब सिंह भल्लर (आई सी–6125), विद्युत एवं यांत्रिक इन्जीनियर्स।
2. मेजर जनरल अनन्त भानु गोरथी (आई सी–8620), वि.से.मे. जज एडवोकेट जनरल का डिपार्टमेंट।
3. मेजर जनरल ज्ञान सिंह बम (आई सी–7019), सिगनल।
4. मेजर जनरल रवि आईप (आई सी–11566), इन्फैन्ट्री।
5. मेजर जनरल मोहिन्दर जीत सिंह छतवाल (आई सी–7904), इन्फैन्ट्री (सेवानिवृत्त)।
6. मेजर जनरल जगजीत सिंह हरे (आई सी–6765), आर्टिलरी (सेवा निवृत्त)।
7. मेजर जनरल बेंगप्पा सेमुअल (आई सी–7827), इन्फैन्ट्री (मरणोपरान्त)।
8. मेजर जनरल ज्वालेश्वरी प्रसाद (आई सी–7375), सेना सेवा कोर (मरणोपरान्त)।
9. ब्रिगेडियर फारूक प्रेमरोज कोवास्जी बुलसारा (आई सी–13234), इन्फैन्ट्री।
10. ब्रिगेडियर भूपाल सिंह मलिक (आई सी–13198), इन्फैन्ट्री।
11. ब्रिगेडियर पालांडे काशीनाथ मानाजीराव (आई सी–13539), इन्फैन्ट्री।
12. ब्रिगेडियर मोहन लाल सपरा (एम आर–994), वि.से.मे., सेना चिकित्सा कोर।
13. रियर एडमिरल प्रकाश नारायण गौड़ (50036–टी)।
14. रियर एडमिरल अविनाश चन्द्र भाटिया (60066-एन)।
15. रियर एडमिरल सौरीराजलू रामसागर, वीर चक्र, नौसेना मेडल (00379–के)।
16. रियर एडमिरल केकी पेस्टोनजी, नौसेना मेडल (00398–बी)।
17. कमोडोर सुरिन्द्र सिंह बाबा (40127-वाई)।
18. कमोडोर रामलाल गुलशन कुमार (00451–जेड)।
19. कमांडोर रविन्द्र सिक्का (00484-जेड)।
20. कैप्टन माधवेन्द्र सिंह (00502–आर), भारतीय नौसेना।
21. एयर वाइस मार्शल सुधीर राजाराम करकरे (5083) उड़ान (नेविगेटर)।

22. एयर वाइस मार्शल रणजीत सिंह बेदी, वा मे (5120) उड़ान (पायलट)।

23. एयर कमोडोर सतीश कुमार सरीन, वा.मे. (5370) उड़ान (पायलट)।

24. एयर कमोडोर अजय कुमार बृहमावार, वा. मे. (5858) उड़ान (पायलट)।

25. एयर कमोडोर सुभाष चन्द्र मदान, वि.से.मे. (5965) वैमानिकी इन्जीनियरी (इलैक्ट्रानिकी)।

26. एयर कमोडोर चित्त रंजन घोष, वा.मे. (6141) उड़ान (पायलट)।

27. एयर कमोडोर लारंस एलासियस कौजिज, वा.मे. (5280) उड़ान (पायलट) (सेवानिवृत्त)।

28. ग्रुप कैप्टन शाम राज, वि.से.मे. (6200) लेखा।

29. ग्रुप कैप्टन अमर जीत सिंह सोढ़ी (6388) वैमानिकी इन्जीनियरी (यांत्रिक)।

30. ग्रुप कैप्टन चित्तातूर दोरेस्वामी चन्द्रशेखर, वा.मे. (8426) उड़ान (पायलट)।

संख्या 30-प्रेज/90—राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिक को उसकी असाधारण सेवा के लिए "अति विशिष्ट सेवा मेडल का बार" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

ब्रिगेडियर सतीश चन्द्र कश्यप (आई सी–11691), अ.वि.से.मे.। 11 गढ़वाल राइफल्स

सं. 31-प्रेज/90—राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनकी असाधारण विशिष्ट सेवा के लिए "उत्तम युद्ध सेवा मेडल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. मेजर जनरल जमील महमूद (आई सी–8517), आर्टिलरी।

2. ब्रिगेडियर सुमेर राम, (आई सी–12840), वि से मे, इन्फैन्ट्री।

3. ब्रिगेडियर कमल धारी सिन्हा (आई सी–12959), इन्फैन्ट्री।

4. ब्रिगेडियर लागानाथन रंगानाथन (आई सी–12899), मैकेनाइज्ड इन्फैन्ट्री।

5. ब्रिगेडियर शिवाजी श्रीपति पाटिल (आई सी–13799), इन्फैन्ट्री।

6. ब्रिगेडियर दिनेश सिंह चौहान (आई सी–13951), इन्फैन्ट्री।

7. कमोडोर सुशील कुमार, नौसेना मेडल (00449–डब्ल्यू)।

सं. 32-प्रेज/90—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्ति को उसकी उत्कृष्ट वीरता के लिए "महावीर चक्र" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

सैकण्ड लैफ्टिनेंट राजीव सन्धु (एस.एस.–33343), 7 असम, (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार का प्रभावी तिथि . 19 जुलाई, 1988)

श्रीलंका में 19 जुलाई, 1988 को सैकण्ड लैफ्टिनेंट राजीव सन्धु राशन लाने के लिए दो वाहनों को लेकर मद्रास केनी कुलम से मगानी जा रहे थे। अचानक उनकी जीप पर विद्रोहियों ने राकेटों, ए के.–47 और 7.62 राइफलों से हमला कर दिया। हमले में वे गम्भीर रूप से घायल हो गए एक राकेट की सीधी मार से उनकी दोनों टांगें कट गई और वे पूरी तरह से अपाहिज हो गए। उनकी टांगों से खून की धाराएं बह रही थी परन्तु फिर भी अपनी 9 मिलीमीटर की कारबाइन के साथ वे लडखडाते हुए जीप से बाहर आए और रेंगकर एक मोर्चे पर पहुंच गए। यह समझकर कि वाहन में सभी लोग मारे गए हैं एक विद्रोही अपने छुपे हुए स्थान से बाहर निकलकर हथियार और गोला-बारूद उठाने के लिए जीप के पास पहुंचा। परन्तु, सैकण्ड लैफ्टिनेंट राजीव संधु अभी जीवित थे। दोनों टांगें पूरी तरह से क्षत-विक्षत हो जाने और गोलियों से शरीर छलनी हो जाने के बावजूद उन्होंने रक्त रंजित हाथों से अपनी कारबाइन उठाई और विद्रोही पर गोलियां बरसा कर उसे मार गिराया। बाद में शिनाख्त करने पर पता चला कि मारा गया वह विद्रोही बट्टिकलोबा क्षेत्र के विद्रोही नेता करूणा के दल का सदस्य कुमारन था।

सैकण्ड लैफ्टिनेंट राजीव सन्धु ने अपने हताहत साथियों और उनके हथियारों के पास तक पहुंचने के विद्रोहियों के सभी प्रयास विफल कर दिए और अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारतीय सेना की उच्च परम्परा के अनुरूप अपने प्राणों का बलिदान कर दिया।

सं. 33-प्रेज/90—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उनकी वीरता के लिए "वीर चक्र" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1 फ्लाइट लेफ्टिनेंट अटान् गुरू (1674), उडान (पायलट)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि . 26 अक्तूबर, 1987)

फ्लाइट लेफ्टिनेंट अटानु गुरू जब परिवर्तन प्रशिक्षण ले रहे थे तब ही इन्हें श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के वायुसेना घटक में अक्तूबर के सबसे पहले बेडे में शामिल किया गया। 26 अक्तूबर, 1987 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट अटानु गुरू ने जाफना करैटिवु सेतुक पर चलने वाली उग्रवादियों की गाडियों को ढूंढ कर नष्ट करने के लिए जाफना से बाहर के एक मिशन पर उडान भरी। सेतुक पर पांच गाडियां दिखाई पडी जो करैटिवु की ओर भाग रही थी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अटानु गुरू ने अचूक निशाने और प्रशंसनीय धैर्य से इन गाडियों को नष्ट किया और इन गाडियों में सवार सभी उग्रवादियों को मार डाला।

तीन नवम्बर, 1987 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट अटानु गुरू पैरा रेजिमेन्ट की एक कमांडो कम्पनियन के निकट हवाई सहायता मिशन पर थे। कमांडो उग्रवादियों से घिरे हुए थे और उन पर स्वचालित शस्त्रों से भारी गोलाबारी की जा रही थी। इन्होंने पैरा कमांडो परिधि पर उग्रवादियों के ठिकानों पर हमला किया। उग्रवादियों के ये ठिकाने मित्र सेनाओं से तीन

सौ मीटर के भीतर थे । उग्रवादियों ने पथदर्शक गोलाबारी का इस्तेमाल करते हुए स्वचालित हथियारों से वायुयान को उलझा कर उस पर गोला दागा । जमीनी गोलाबारी की बौछार के बावजूद फ्लाइट लेफ्टिनेंट अटान गुरु ने उग्रवादियों पर हमला किया । इनकी कार्रवाई के कारण उग्रवादियों को अपने मोर्चों से पीछे हटना पडा । फ्लाइट लेफ्टिनेंट अटान गुरु द्वारा उग्रवादियों के ठिकानों पर निश्चित आक्रमण करके हवाई सहायता दिए जाने के बल पर ही पैरा कमांडो इस लडाई को जीत सके ।

सात दिसम्बर, 1987 को मलैटिव क्षेत्र में पैरा रेजिमेंट की एक कमांडो बटालियन की मदद करने के लिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट अटान गुरु खोज और नष्ट करने के मिशन पर उडे । उग्रवादी एक ट्रैक्टर से उतरे और उन्होंने वायुयान पर गोलाबारी आरम्भ कर दी । अपनी सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट अटान गुरु ने तेजी से सही निशाना ले कर जवाबी फायर किया और उग्रवादियों को गया उन्हें खामोश कर दिया । बाद में उग्रवादियों के रेडियो सन्देशों को रोक कर सुनने से पता चला कि इस विध्वंसक गोलाबारी में ट्रैक्टर ध्वस्त हो गया था और कई उग्रवादी मारे गए और घायल हुए ।

15 दिसम्बर, 1987 को जब मलैटिव क्षेत्र में गढ़वाल राइफल्स की एक बटालियन से मुकाबले के लिए कुमक ले जा रही एक उग्रवादी गाडी पर हमला किया गया तभी उग्रवादियों ने गोलाबारी आरम्भ कर दी जिससे वायुयान का मुख्य रोटर ब्लेड क्षतिग्रस्त हो गया । इसके और उग्रवादियों की भारी गोलाबारी के बावजूद, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अटान गुरु ने जवाबी फायर किया और उस गाडी को नष्ट कर दिया ।

इस प्रकार फ्लाइट लेफ्टिनेंट अटान गुरु ने भारतीय शांति सेना की स्थल सेनाओं की मदद के लिए किए गए कई मिशनों में अपनी उत्कृष्ट बहादुरी का प्रदर्शन किया ।

2 विंग कमांडर कृष्ण कुमार यादव (12032), उडान (पायलट)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 9 नवम्बर, 1987)

नौ नवम्बर, 1987 की रात को 23 30 बजे विंग कमांडर कृष्ण कुमार यादव, जो कि जाफना में हेलिकाप्टर ऑपरेशन्स के टास्क फोर्स कमांडर थे, एक डिवीजन कमांडर द्वारा एक आपातकालिक मिशन का बीडा उठाने के लिए बुलाए गए, जिसमें सर्वप्रथम, उग्रवादियों के एक गढ को निष्क्रिय करने के लिए एक पैरा बटालियन के 180 कमांडो उतारे जाने थे । गुरिल्ला सामरिक युद्ध पद्धति और भू-स्थिति को समझते हुए विंग कमांडर यादव ने स्थिति का समझदारी से जायजा लिया और पहले सीमित सैनिकों को लेकर एक अकेले विमान से उस अवपातन क्षेत्र की ओर उडे, ताकि बिना रक्षकों वाली विशाल हेलीवाहित सेना को अपने लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही सम्भावित जमीनी गोलाबारी से नष्ट होने से बचाया जा सके । इनका ऐसा सोचना सही साबित हुआ । सेना के नीचे उतरते ही उग्रवादी गुरिल्ला ने हेलिकाप्टर पर भारी गोलाबारी आरम्भ कर दी और विंग कमांडर के विमान पर एक गोला फेंका । बहादुर और समर्पित नेता विंग कमांडर यादव ने अपने हेलिकाप्टर का नियंत्रण सम्भाला और उसे बेस पर सुरक्षित वापस ले आए । गुरिल्ला युद्ध-पद्धति में सक्रिय खतरों और पिछली उडान में दरपेश जबरदस्त जमीनी गोलाबारी की परवाह किए बिना प्रथम मिशन के तुरन्त बाद उन्होंने शेष दो सार्टियों का नेतृत्व किया और उस समय भी जमीनी गोलाबारी चालू रहने के बावजूद सभी 180 सैनिकों को निश्चित स्थान पर उतारने का काम पूरा किया ।

विंग कमांडर कृष्ण कुमार यादव ने उग्रवादियों के विरुद्ध अपनी बहादुरी, व्यवसायिकता और निःस्वार्थ कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

3 कैप्टन रविन्द्र सिंह चोपडा (आई सी -37083), मद्रास

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 21 अप्रैल, 1988)

श्रीलंका में 21 अप्रैल, 1988 को कैप्टन रविन्द्र सिंह चोपडा ने उडिथियरापुरम में विद्रोहियों को रोकने के लिए अपनी इच्छा से अपने कमांडिंग अफसर के साथ चलने की पहल की । जैसे ही वे अपनी दो प्लाटूनों के साथ नियत स्थान के पास पहुंचे उन पर विद्रोहियों ने गोलियां चला दीं । अपनी टुकडी का बचाव करने के लिए तथा विद्रोहियों के बच कर भागने या किसी भी प्रयास को सफल न होने देने के लिए कैप्टन चोपडा और उनकी टुकडी ने स्वचालित हथियारों से हो रही भीषण गोलाबारी के बीच बडी चतुराई एवं सूझबूझ के साथ विद्रोहियों के सामने अपना मोर्चा बना लिया । इन्होंने एक विद्रोही को सैन्य टुकडी पर गोलियां चलाते हुए देख लिया और फिर उसका निशाना बना कर उसे मार गिराया । इसी समय कमांडिंग अफसर को भी गोली लग गई और वे गिर पडे कैप्टन चोपडा उनकी ओर लपके परन्तु इस दौरान इनकी जांघ में तीन-चार गोलियां लग गईं, छाती में खरोंच आ गई और दाहिने हाथ में गोली लगने से इनका अंगूठा बुरी तरह जख्मी होकर हाथ से अलग हो गया । इनकी छाती में सामने की ओर दो छेद भी हो गए । इनके घावों के बावजूद ये अपने हथियार से फायर करते रहे और प्लाटून की कमान करते हुए उन्हें फायर करने और उनका संचालन करने के लिए निर्देश देते रहे । जब विद्रोहियों ने अचानक कार्रवाई बंद कर दी । कैप्टन रविन्द्र सिंह ने अपनी प्लाटूनों को पुनः संगठित किया और बेस की ओर चल पडे । यहां से इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया ।

इस प्रकार कैप्टन रविन्द्र सिंह ने विद्रोहियों का सामना करते हुए अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय दिया ।

4 4061833 राइफलमैन कुलदीप सिंह, 11 गढ़वाल राइफल्स, (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 24 मई, 1988)

24 मई, 1988 को 11 गढ़वाल राइफल्स की एक कम्पनी को, जिसमें राइफलमैन कुलदीप सिंह लाइट मशीनगन पर नंबर एक गनर के रूप में कार्य कर रहे थे, श्री लंका में आलमपिल के दक्षिणी और के जंगलों में विद्रोहियों को खोजने और उनका सफाया करने का काम सौंपा गया था । इस इलाके में एक दिन पहले बडी संख्या में छुपे हुए विद्रोहियों का पता लगाया था । उसका सेक्शन सामने और दाहिने ओर से विद्रोहियों की भारी गोलाबारी की चपेट में आ गया । विद्रोहियों द्वारा प्रारम्भ में की गई भीषण गोलाबारी में लाइट मशीनगन का नम्बर 2 गनर मारा गया । अपने साथी सिपाही के मारे जाने के बाद भी राइफलमैन कुलदीप सिंह ने काफी समय तक विद्रोहियों का मुकाबला किया । अपने कुछ और साथियों को अपने सामने घायल पडा हुआ देखकर उन्होंने स्थिति की गम्भीरता को समझा और विद्रोहियों की भीषण गोलाबारी के बीच राइफलमैन कुलदीप सिंह ने अपने एक साथी को अपनी पीठ पर लाद कर और दूसरे एक

साथी को सहारा देकर प्लाटून मुख्यालय पहुंचा दिया । बिना कोई समय गंवाए वह अपने मोर्चे पर वापस आए और देखा कि दाहिनी ओर विद्रोही और अधिक भीषण गोलाबारी कर रहे हैं । उन्होंने तत्काल अपना मोर्चा बदलकर विद्रोहियों का मुकाबला करना शुरू कर दिया । यद्यपि विद्रोहियों का सामना कर रहे अकेले राइफलमैन कुलदीप सिंह पर वे आसानी से विजय प्राप्त कर सकते थे, परन्तु राइफलमैन कुलदीप सिंह ने दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया । अन्तत: विद्रोहियों द्वारा की जा रही गोलियों की वर्षा के दौरान एक गोली उनके सिर में आ लगी । इस प्रकार मारे जाने तक राइफलमैन कुलदीप सिंह ने अपने मोर्चे को बड़ी बहादुरी और वीरता से संभाले रखा ।

राइफलमैन कुलदीप सिंह ने विद्रोहियों का मुकाबला करते हुए अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया ।

5 फ्लाइट लेफ्टिनेंट मानवेन्द्र सिंह (16983), उड़ान (पायलट)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 26 जून, 1988)

एक मार्च, 1988 से फ्लाइट लेफ्टिनेंट मानवेन्द्र सिंह सक्रिया हेलिकाप्टर यूनिट में तैनात हैं । फ्लाइट लेफ्टिनेंट मान्वेन्द्र सिंह को सियाचिन ग्लेशियर के दुर्गम क्षेत्र में, जहां उनके हेलिपैड पर, 2000 से भी अधिक संक्रियात्मा मिशनों तथा 1000 से अधिक मार्टियों को सफलतापूर्वक ले जाने का श्रेय प्राप्त है । 26 जून, 1988 से 21 अगस्त, 1988 के बीच, आठ अलग-अलग मौकों पर, सियाचिन ग्लेशियर के तीन भिन्न-भिन्न हेलपैडों पर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मानवेन्द्र सिंह ने दुश्मन के छोटे हथियारों और आर्टिलरी से निरन्तर गोलाबारी की चुनौतियों का भी मुकाबला किया । इन्होंने इस विकट स्थिति का ही बार असाधारण साहस बुद्धिमत्ता और बहादुरी से मुकाबला किया । पहले से मौजूद खतरों से भली भांति वाकिफ होने के बावजूद एक समर्पित सैनिक के रूप में इन्होंने सदैव ही ऐसे मिशनों को पूरा किया । उनकी बहादुरी का यह आचरण उनकी यूनिट के सभी कार्मिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है । इसके अलावा इन्होंने भारतीय वायुसेना की महान परम्पराओं को ऊंचा रखा ।

6. 4346957 नायक हवलदार विष्णु बहादुर थापा, 4 असम (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 2 जुलाई, 1988)

नायक हवलदार विष्णु बहादुर थापा 2-3 जुलाई, 1988 को श्रीलंका में विश्वमादु इलाके में तलाशी के दौरान एक सेक्शन की कमान कर रहे थे । जब उनका सेक्शन विश्वमादु इलाके की ओर जा रहा था, सेक्शन पर एके-47, जी-3 राइफलों और हथगोलों से भीषण हमला कर दिया । यह हमला इतना अचानक और भीषण था कि कोई भी जवाबी कार्रवाई करने से पूर्व सेक्शन के दो सदस्य घायल हो गए । इस हमले में हवलदार विष्णु बहादुर थापा को भी कई गोलियां लगने से वे घायल हो गए परन्तु गोलियों और छर्रों की वर्षा से विचलित हुए बिना वे आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि 18-20 विद्रोही एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर मोर्चा बनाए हुए हैं तथा उनके सेक्शन पर फायरिंग कर रहे हैं । वे अपने सेक्शन का संचालन करते हुए उसे सुरक्षित स्थान पर ले गए और उन्होंने वहां से विद्रोहियों के हमले के जवाब में गोलियां चलानी शुरू कर दी । इस मुठभेड़ में उन्होंने स्वयं एक पेड़ के पीछे मोर्चा ले लिया और वहां से विद्रोहियों पर अचूक एवं घातक गोलाबारी की । उनके सेक्शन द्वारा की गई विध्वंसक फायरिंग ने विद्रोहियों के छक्के छुड़ा दिए और वे अपना मोर्चा छोड़कर भागने की तैयारी करते हुए नजर आने लगे । दोनों ओर से गोलाबारी के दौरान एक हथगोला फेंका गया जो हवा में फट गया और उससे नायक हवलदार थापा के सिर में गंभीर चोटें आईं । गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी वे विद्रोहियों पर फायर करते रहे और अन्तत: युद्ध करते हुए दम तोड़ दिया । बाद में उनके शव की जांच करने पर उनके शरीर पर गोलियों के 16 घाव मिले ।

नायक हवलदार विष्णु बहादुर थापा ने विद्रोहियों का सामना करते हुए अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया ।

7. 4356647 सिपाही रविकुमार देव बर्मा, 4 असम (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 3 जुलाई, 1988)

सिपाही रविकुमार देव बर्मा अपनी प्लाटून में एक राइफलमैन थे । उनकी प्लाटून को प्लाटून को श्रीलंका में विश्वमांडु नामक स्थान पर मल्लैतिवु-परान्थन मार्ग के दोनों ओर के इलाके में खोजकार्य करने का दायित्व सौंपा गया । 3 जुलाई, 1988 को जब उनकी प्लाटून अपने इस खोजकार्य में लगी हुई थी, इस पर ए. के. 47, जी -3 और हथगोलों से भीषण गोलाबारी शुरू हो गई । गोलाबारी इतनी भीषण थी कि इससे पहले कि जवाबी कार्रवाई के लिए प्लाटून उपयुक्त स्थान पर मोर्चा संभाल पाती, विद्रोहियों की गोली से 3 कार्मिक घायल हो गए और अस्थाई रूप से निशक्त हो गए । सिपाही रविकुमार देव बर्मा ने देखा कि विद्रोहियों की संख्या 18-20 है । वे तत्काल जमीन पर लेट गए और रेंगते हुए विद्रोहियों की ओर बढ़ने लगे । उनकी इस कार्रवाई से उसके अन्य साथी प्रेरणा पाकर उनका अनुसरण करने लगे । विद्रोहियों के बिल्कुल निकट पहुंचकर उन्होंने उन पर निडरतापूर्वक हमला कर दिया तथा एक विद्रोही को मार गिराया और दूसरे को घायल कर दिया । इस टुकड़ी द्वारा किए गए हमले से विद्रोहियों की हिम्मत टूट गई और वे अपने मोर्चे से बाहर निकलकर जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए । सिपाही बर्मा ने विद्रोहियों का पीछा शुरू कर दिया । परन्तु पीछा करते समय उनकी छाती में बाईं ओर ए. के. 47 राइफल की एक गोली आकर लगी । **बाद में इस बहादुर जवान को गोली लगने से हुए घाव के कारण मृत्यु हो गई ।**

सिपाही रविकुमार देव बर्मा ने विद्रोहियों का सामना करते हुए अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया ।

8. 2578762 हवलदार शनमुगा सुन्दरम्, 5 मद्रास

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 16 जुलाई, 1988)

16 जुलाई, 1988 को एक जूनियर कमीशन अफसर और 15 अन्य रैंक के कार्मिकों के एक मोबाइल गश्ती दल को श्रीलंका में पल्लाकम और टोलपुरम/वुलीपुरम इलाके में कुछ सशस्त्र विद्रोहियों के देखे जाने की खबर के आधार पर उन्हें मारने/पकड़ने के लिए भेजा गया । जब यह दल टोलपुरम स्थित विक्टोरिया कालेज के पास पहुंचा तो विद्रोहियों ने

इस दल पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी और दल के नेता सहित लगभग आधा दल गंभीर रूप से घायल हो गया। हवलदार शनमुगा सुन्दरम ने तत्काल दल का नेतृत्व संभाल लिया और अपने साथियों को वाहनों से बाहर आने और विद्रोहियों पर फायर करने का आदेश दे दिया। इस नान-कमीशन अफसर ने स्वयं एक दुकान के बरामदे में उपयुक्त स्थान पर मोर्चा संभाल लिया और विद्रोहियों पर कारगर ढंग से गोली चलानी शुरू कर दी। हवलदार सुन्दरम गंभीर रूप से घायल हो गए, परन्तु अपनी जान की सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपनी हिप से गोलियां चलाना जारी रखकर आगे बढ़ते हुए विद्रोहियों का अकेले मुकाबला करते रहे। अति विकट परिस्थितियों में इस असाधारण, साहसिक कार्रवाई के दौरान इन्होंने एक विद्रोही को मार दिया, जिसकी शिनाख्त करने पर वह टोलपरम का एरिया कमांडर पाया गया। इनके व्यक्तिगत उदाहरण से प्रोत्साहन एवं प्रेरणा पाकर दल के अन्य सदस्यों ने भी मोर्चा संभाल लिया और विद्रोहियों पर आक्रमण शुरू कर दिया। इस पर बाकी बचे विद्रोही घटनास्थल से भाग खड़े हुए।

हवलदार शनमुगा सुन्दरम ने विद्रोहियों का सामना करते हुए उच्च कोटि के साहस और वीरता का परिचय दिया।

9. 3376395 लांस नायक मोहिन्दर सिंह, 16 सिख (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 23 जुलाई, 1988)

23 जुलाई, 1988 को 16 सिख की ब्रावो और डेल्टा कम्पनियों को श्रीलंका में विद्रोहियों के ठिकानों का पता लगाने का काम सौंपा गया। लगभग 10.30 बजे विद्रोहियों ने 11 प्लाटून पर अत्याधिक गोलियां चलाईं। उसी समय डेल्टा कम्पनी पूर्व दिशा से नजदीक आने लगी। वे भी गोलियों की बौछारों की चपेट में आ गए। डेल्टा कम्पनी के कमांडर ने आक्रमण करने का निर्णय लिया। उधर विद्रोहियों की जी पी मशीनगन भीषण गोलीबारी सैन्य दल को बुरी तरह हताहत कर रही थी। लांस नायक मोहिन्दर सिंह लाइट मशीनगन नं. 1 ने झुककर बंकर पर गोलियां चलाईं। जब उन्होंने महसूस किया कि उनकी गोलियों का बहुत कम प्रभाव पड़ रहा है तो वे जी पी मशीनगन की ओर बढ़े और उसकी बैरल कब्जा कर लिया। यद्यपि वे भयंकर गोलाबारी का शिकार हो गए और उसी समय उनकी मृत्यु हो गयी, परन्तु उनके इस प्रयास ने विद्रोहियों की जी पी मशीनगन को शांत कर दिया क्योंकि विद्रोही मशीनगन चालक प्रहार होने की आशंका से भाग गया था। इससे एसाल्ट कम्पनी आगे बढ़ सकी और विद्रोहियों के छिपने के ठिकानों पर कब्जा कर सकी। उनके इस सर्वोच्च बलिदान से प्रेरित होकर उनके साथी बदला लेने के लिए बढ़े और शिविर पर कब्जा कर लिया।

इस प्रकार लांस नायक मोहिन्दर सिंह ने विद्रोहियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में उत्कृष्ट कोटि के साहस और पराक्रम का परिचय दिया।

10. जे सी (एन वाई ए) 13605991 नायब सूबेदार मदन लाल, 1 पैराशूट कमाण्डो, (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 16 अगस्त, 1988)

नायब सूबेदार मदन लाल एक कमाडो दल के सदस्य थे, जिसे श्रीलंका में चेकमेट-4 संक्रिया के दौरान अलमपिल जंगल में विद्रोहियों की खोज और उनके ठिकानों को नष्ट करने का काम सौंपा गया था। यह संक्रिया 16 अगस्त, 1988 को शुरू की गई। नायब सूबेदार मदन लाल अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ पीछे की ओर से अपनी टीम की सुरक्षा का काम संभाले हुए थे। उन्होंने दूर धमाके की आवाज सुनी। टीम कमाण्डर ने नायब सूबेदार से कहा कि 19 अन्य रैंक के कार्मिकों के साथ गश्त लगाकर धमाके की आवाज के बारे में पता लगाए। वहां से दाहिनी ओर 150 मीटर दूर जाने पर उन्हें अचानक विद्रोहियों का एक हरा टैंट दिखाई दिया। उन्हें टैंट के अन्दर कुछ हलचल महसूस हुई, वे शीघ्रतापूर्वक रेंगते हुए टैंट तक पहुंचे और साथ ही अपने साथियों को आदेश दे गए कि वे चारों ओर फैल जाएं। टैंट के पास पहुंच कर उन्होंने अपनी ए. के. 47 राइफल से दो गोलियां दाग दीं। परन्तु जब वे अपनी मैगजीन बदल रहे थे, उन पर एक साथ दो खंदकों से गोलियां बरसीं और वे गम्भीर रूप से घायल हो गए। फिर भी उन्होंने अपनी दूसरी मैगजीन की गोलियां एक खाई की ओर चलाकर एक विद्रोही को मार गिराया। नायब सूबेदार मदन लाल ने गंभीर रूप से घायल हो जाने के कारण उसी दिन दम तोड़ दिया। इस कार्रवाई में तीन विद्रोही मारे गए और 6-7 विद्रोही घायल हो गए। इनमें से अधिकांश नायब सूबेदार मदन की गोलियों का निशाना बने थे।

नायब सूबेदार मदन लाल ने विद्रोहियों का सामना करते हुए उत्कृष्ट साहस और वीरता का परिचय दिया।

11. 2869189 हवलदार प्रेम कुमार चौहान, 5 राजपूताना राइफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 23 अगस्त, 1988)

23 अगस्त, 1988 को श्रीलंका में विद्रोहियों को पकड़ने के लिए सादा कपड़ों और सिविल वाहन का उपयोग करने की अपरम्परागत पद्धति अपनाई गई। श्रीलंका में वावुनिया मन्नार मार्ग पर हवलदार प्रेम कुमार चौहान ने चलते हुए वाहन से सशस्त्र विद्रोहियों पर फायर करके उनमें से एक को घायल कर दिया। उसके बाद वे चलते हुए वाहन से कूद पड़े और अन्य विद्रोहियों का पीछा शुरू कर दिया। ए. के. 47 राइफल से लैस एक विद्रोही के साथ आमने सामने मुठभेड़ में जब उसका अपना हथियार जाम हो गया तो वे विद्रोही के ऊपर झपट पड़े और संघर्ष करके विद्रोही को निहत्था कर दिया। विद्रोही से उसकी राइफल छीनने के बाद उसी छीनी गई ए. के. 47 राइफल से फायर करके उसे घायल कर दिया। इस मुठभेड़ में एक ए. के. 47 राइफल के अलावा भारी मात्रा में गोलाबारूद भी प्राप्त हुआ।

हवलदार प्रेम कुमार चौहान ने विद्रोहियों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान उत्कृष्ट साहस एवं वीरता का परिचय दिया।

12. विंग कमांडर धीरेन्द्र नाथ सहाय (11590) उड़ान (पायलट)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 24 अगस्त, 1988)

24 अगस्त, 1988 को जब श्रीलंका में मितिककुलम के जंगलों में, इन्फैंट्री डिवीजन द्वारा "आपरेशन चैकमेट" का तीसरा चरण चलाया जा रहा था, विंग कमांडर धीरेन्द्र नाथ सहाय को 4×16-57 मि. मि. आर पी एस सहित आक्रमण भूमिका में स्टैंडबाई हेलिपैड पर तैयार रहने के लिए तैनात किया गया था। 7 ब्रिगेडों के टी ए सी मुख्यालय पर दुःसाहसपूर्ण हमले के दौरान उग्रवादियों ने एक ए ओ पी सेवक वायुयान उड़ा दिया तथा दूसरे को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने आर पी और स्वचालित शस्त्रों से मुख्यालय पर भी हमला करके उस स्थान पर मौजूद भारतीय शांति सेना की जमीनी फौज के जनरल अफसर कमांडिंग तथा थलसेना और वायुसेना के अन्य वरिष्ठ अफसरों का जीवन खतरे में डाल दिया। उग्रवादियों की धमकी भरे हमले के विरुद्ध विंग कमांडर डी एन सहाय को तुरन्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया। वे वायुयान से उड़े और 12 मिनट के रिकार्ड समय के

भीतर उस क्षेत्र में पहुंच गए। ये उग्रवादियों पर पिल पड़े और इन्होंने एक अन्य उड़ते हुए चेतक वायुयान के बताए अनुसार उस क्षेत्र पर राकेट दागे। इन्होंने इस हमले के खतरे को पूरी तरह निष्क्रिय किया और टी ए सी मुख्यालय और उस जगह मौजूद थलसेना और वायुसेना के वरिष्ठ कमांडरों की हिफाजत और सुरक्षा सुनिश्चित की। इसके द्वारा समय पर कार्रवाई किए जाने के कारण तीन उग्रवादियों के मारे जाने की खबर मिली और उसके बाद कोई नुकसान पहुंचाये बिना उग्रवादियों को वापिस हटना पड़ा।

इस प्रकार विंग कमांडर धीरेन्द्र नाथ सहाय ने उग्रवादियों के खिलाफ अनुकरणीय व्यावसायिक दक्षता, कर्तव्यनिष्ठा, साहस और उच्च कोटि की बहादुरी का प्रदर्शन किया।

13. कैप्टन कवील अधिकारकुनैथ मोहन (आई सी-39681)

9 पैराशूट कमाण्डो

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 10 अक्तबर, 1988)

कैप्टन कवील अधिकारकुनैथ मोहन घात लगाकर हमला करने वाली एक पार्टी के कमाण्डर थे। इनकी पार्टी ने 10 अक्तबर, 1988 को श्रीलंका में ओमनतई क्षेत्र में सफलतापूर्वक घात लगाई। कैप्टन मोहन घात लगाकर तब तक बैठे रहे जब तक कि विद्रोही सामने नहीं आ गए। यद्यपि, इसमें पार्टी को भी खतरा था परन्तु इनकी अचानक कार्रवाई ने विद्रोहियों को पूरी तरह अचम्भे में डाल दिया और 13 विद्रोहियों को मार गिराया 2 को घायल कर दिया तथा उनसे 9 हथियार, 3 वाकी टाकी सेट और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। इन्होंने विद्रोहियों के बीच दस्तावेज भी अपने कब्जे में ले लिए जो विद्रोहियों के संदेशों को पकड़ने और समझाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए।

इस प्रकार कैप्टन कवील अधिकारकुनैथ मोहन ने विद्रोहियों का मुकाबला करते हुए निर्णय लेने में उत्तम सूझबूझ, अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय दिया।

14. 2464948 हवलदार रूप लाल,
3 पंजाब।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 2 नवम्बर, 1988)

हवलदार रूप लाल श्रीलंका में वावुनिया-मनकुलम मार्ग पर करकारयन कुलम नामक स्थान पर एक वाहन चैक पोस्ट के कमांडर थे। 2 नवंबर, 1988 को पांच और अन्य रैंक के कार्मिक भी चैक पोस्ट पर तैनात कर दिए गए। वाहन चैक पोस्ट पर 10—15 विद्रोहियों ने हमला कर दिया। ये विद्रोही एक सिविल वाहन में आए थे। विद्रोहियों ने वाहन के अन्दर से ही स्वचालित हथियारों से चैक पोस्ट पर गोलियों की वर्षा कर दी और ग्रेनेड फैंके, जिससे पांच कार्मिक घटनास्थल पर ही मारे गए और हवलदार रूप लाल गंभीर रूप से घायल हो गए। विद्रोहियों ने तेजी के साथ मृत कार्मिकों के पास जाकर उनके हथियार अपने कब्जे में कर लिए तथा वाहन में भागने का प्रयास करने लगे। गंभीर रूप से घायल हो जाने के बावजूद हवलदार रूप लाल अपनी कारबाइन से फायर करते रहे और विद्रोहियों को बच कर भागने नहीं दिया। इन्होंने हथियार छीनने के लिए इनके पास आए दो विद्रोहियों को मार गिराया। इस कार्रवाई में इन्हें फिर गोली लग गई परन्तु इन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ा और दो और विद्रोहियों को घायल कर दिया। इस बीच घटना स्थल पर और सैनिक पहुंच गए तथा चार और विद्रोही मारे गए, उनका वाहन नष्ट कर दिया गया तथा तीन हथियार कब्जे में कर लिए गए।

इस प्रकार हवलदार रूप लाल ने विद्रोहियों के विरुद्ध लड़ते हुए अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय दिया।

15. जे सी-98872 सूबेदार मारिया रस्सल,
5 मद्रास।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 26 नवम्बर, 1988)

सूबेदार मारिया रस्सल श्रीलंका में कराई नगर में तैनात 5 मद्रास रेजिमेंट की अल्फा कम्पनी के प्लाटून कमाण्डर थे। 26 नवम्बर, 1988 को गश्ती दल का नेतृत्व करते समय इस जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर ने जब दो विद्रोहियों को रोका तब उन्होंने तत्काल गोलियां बरसानी शुरू कर दी। असाधारण साहस और दृढ़ निश्चय का परिचय देते हुए सूबेदार मारिया रस्सल ने उनका जोरदार मुकाबला किया और क्षेत्र के दो खूंखार आतंकवादियों अर्थात् स्वयंभू लेफ्टिनेंट कर्नल इन्सूर और स्वयंभू मेजर सरी को अपने निशाने का शिकार बनाया। इन्होंने इस कार्रवाई के दौरान लगातार दृढ़ता और कुशल नेतृत्व का परिचय दिया तथा अपना कर्तव्य से भी आगे बढ़कर अकेले अपने दम पर काम को पूरा करते समय अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बिलकुल परवाह नहीं की।

16 2768373 लांस हवलदार अरूण रामलिंग माली,
2 मराठा लाइट इंफेन्ट्री।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 27 दिसम्बर, 1988)

लांस हवलदार अरूण रामलिंग माली 27 दिसम्बर, 1988 को 3 साथियों के साथ श्रीलंका पुनोविमुनाई क्षेत्र में दस घरों की तलाशी ले रहे थे। तलाशी लेने का काम जारी था, अचानक समीप के एक घर में छुपे हुए विद्रोहियों ने स्वचालित हथियारों से हवलदार माली के तलाशी दल पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। तलाशी दल के पास केवल 2 ए के-47 राइफलें थीं। विद्रोहियों ने हवलदार माली के दल पर हथगोले फेंकने शुरू कर दिए और इस प्रकार वे बुरी तरह गोलाबारी के बीच फंस गए। हवलदार माली ने यह समझ लिया कि जब तक विद्रोहियों द्वारा की जा रही गोलीबारी को निष्फल नहीं किया जाएगा तब तक उनके पास में तलाशी ले रहे अन्य दलों के गंभीर रूप से हताहत होने की पूरी-पूरी संभावना बनी रहेगी। अतः बिना कोई समय गवाए और कम्पनी कमांडर के अनुदेशों की प्रतीक्षा किए, लांस हवलदार माली ने अपने दल को आदेश दिया कि वह उन्हें कवरिंग फायर दें और स्वयं रेंगते हुए मकान की ओर आगे बढ़ने लगे। जब वे मकान से लगभग 20 मीटर दूर रह गए तो अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए उन्होंने उठकर मकान पर फायर करना शुरू कर दिया। उन्होंने अकेले ही मकान में छिपे चारों विद्रोहियों को मार गिराया और उनके कब्जे से दो ए- के-47 राइफलें 112 राउंड गोलियां तथा 5 मैगजीनें अपने कब्जे में ले ली।

लांस हवलदार अरूण रामलिंग ने विद्रोहियों का मुकाबला करते हुए अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया।

17. 3179188 सिपाही धाराजीत सिंह चहार,
4 जाट (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 13 जनवरी, 1989)

4 जाट रेजिमेंट के सिपाही धाराजीत सिंह चहार घात लगाकर आक्रमण करने वाले एक दल में शामिल थे। यह दल 13 जनवरी, 1989 को श्रीलंका में वावूनिया-मन्नार मार्ग के एक चौराहे पर विद्रोहियों पर घात लगाकर आक्रमण करने के लिए बैठा हुआ था।

लगभग 0850 बजे उन्होंने अप्रत्याशित दिशा की ओर से घने जंगल में से विद्रोहियों के एक दल को आगे की ओर बढ़ते हुए देखा। उन्होंने अपने दल को सावधान कर दिया और जब विद्रोही 10 मीटर दूर रह गए तो उन पर फायर शुरू कर दिया।

दोनों तरफ से गोलीबारी के दौरान उनके दल के सिपाही श्री चंद घायल हो गए। एक विद्रोही अपने निहत्थे साथी को अपना हथियार देकर सिपाही श्रीचंद से उनकी राइफल छीनने के लिए उनकी ओर लपका। यह देखकर सिपाही धाराजीत सिंह चहार ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बिलकुल परवाह न करते हुए हथियार छीनने का प्रयास कर रहे विद्रोही के पेट में गोली मारकर उसे घायल कर दिया और उसके बाद उस आगे बढ़ने से रोकने के लिए वे उससे भिड़ पड़े और उन्होंने उसे मार गिराया। सिपाही चहार की इस वीरतापूर्ण एवं साहसिक कार्रवाई से उत्पन्न होने वाले खतरे को भांपते हुए एक अन्य विद्रोही ने उनके ऊपर घातक रूप से हमला कर दिया और इस हमले में सिपाही धाराजीत सिंह चहार मारे गए।

सिपाही धाराजीत सिंह चहार ने विद्रोहियों का सामना करते हुए अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया।

18. सैकण्ड लैफ्टिनेंट अमरदीप सिंह बेदी (एस.एस-33103)
इंजीनियरिंग।
(मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 18 जनवरी, 1989)

18 जनवरी, 1989 को सैकण्ड लैफ्टिनेंट अमरदीप सिंह बेदी ने श्रीलंका में एक लगून के समीपवर्ती जंगल विद्रोहियों की तलाश की कार्रवाई करने का निश्चय किया। उन्होंने 700 मीटर दूर कुछ विद्रोहियों को लैगून पार करते हुए देख लिया। विद्रोहियों के भागने के रास्ते को बन्द करने के लिए वे अपनी नाव को विद्रोहियों के नाव से काफी नजदीक ले गए। उन्होंने बचकर भाग रहे विद्रोहियों को ललकारा और उनमें से एक को मार दिया। तीन अन्य भी मारे गए अथवा घायल कर दिए गए। इस प्रकार उन्होंने विद्रोहियों के बचकर भागने के प्रयास को विफल कर दिया।

सैकण्ड लैफ्टिनेंट बेदी एक संकरी चैनल गुजर रहे थे और उनकी नौका किनारे से लगभग 70 गज की दूरी पर थी। वहां परलैगून पार करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे लगभग 10-15 विद्रोहियों के एक अन्य दल ने सैकण्ड लैफ्टिनेंट बेदी की नाव पर जनरल परपस मशीनगन के फायर सहित भीषण फायरिंग कर दी। दोनों ओर से गोलीबारी में सैकण्ड लैफ्टिनेंट अमरदीप बेदी और दो अन्य रैंक कार्मिकों को गोलियां लग गईं और वे मारे गए।

समस्त संक्रियात्मक कार्रवाई के दौरान सैकण्ड लैफ्टिनेंट बेदी ने पहल शक्ति अदम्य साहस नेतृत्व कौशल और कर्तव्य परायणता का परिचय दिया। उनके द्वारा बनाई गई योजना विद्रोहियों को जंगल के छोटे से इलाके तक सीमित रखने में सफलता मिली और उनकी शौर्यपूर्ण कार्रवाई ने विद्रोहियों को लैगून से होकर भागने से रोक दिया। इस कार्रवाई के दौरान उन्होंने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

19. 9082174 हवलदार स्वर्ण सिंह,
11 जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैन्टरी

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 2 फरवरी, 1989)

हवलदार स्वर्ण सिंह 11 जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैन्टरी की एक प्लाटून में नंबर 2 स्काउट थे। इनकी प्लाटून को रेल यातायात का चालू करने का काम सौंपा गया। 2 फरवरी, 1989 को लगभग 1015 बजे विद्रोहियों द्वारा किए गए फायर के दौरान नेतृत्व कर रहे स्काउट को गोली लग गई और वह मारा गया। प्लाटून कमांडर ने घात लगाकर बैठे विद्रोहियों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। हवलदार स्वर्ण सिंह ने तत्काल धावा बोल दिया, परन्तु कटीले तारों की बाड़ पर चढ़ते समय ये लड़खड़ा गए और संतुलन बिगड़ गया तथा उनकी राइफल नीचे गिर पड़ी। उसी समय इन्होंने अपने आपको एक विद्रोही के सामने पाया जो अपनी ए. के. 47 राइफल से इनकी ओर निशाना बांध रहा था। हवलदार स्वर्ण सिंह असाधारण सूझ बूझ और विवेक का परिचय देते हुए खाली हाथ ही विद्रोही पर टूट पड़े। इन्होंने विद्रोही की राइफल छीन कर उसे वहीं ढेर कर दिया।

हवलदार स्वर्ण सिंह की इस शौर्यपूर्ण कार्रवाई के परिणामस्वरूप कई विद्रोही मारे गए और भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया।

20. 5750333 लांस नायक कुमार सिंह गुरूंग,
6/8 गोरखा राइफल्स (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 2 मार्च, 1989)

6/8 गोरखा राइफल की एक कम्पनी को विद्रोहियों के ठिकानों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने का काम सौंपा गया था। 2 मार्च, 1989 को श्रीलंका के वनोई सेक्टर के नयारू लागू के जनरल एरिया में विद्रोहियों से इस कम्पनी की मुठभेड़ हुई यह झड़प शुरू में गोलाबारी से शुरू और बाद में लम्बी लड़ाई में बदल गई जो 24 घंटे चली। 6/8 गोरखा राइफल के लांस नायक कुमार गुरूंग कम्पनी कमांडर के रेडियो आपरेटर थे। वे अपनी पार्टी सहित लगभग 100 से 150 विद्रोहियों के बीच घिर गए थे। रेडियो स्टेशन पर तैनाती के दौरान लांस नायक गुरूंग के हाथ पर गोली लगी फिर भी वे न केवल अपनी ड्यूटी करते रहे अपितु उन्होंने तीन चार विद्रोहियों को मार गिराया।

लांस नायक कुमार सिंह गुरूंग ने भी अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना बहादुरी से मोर्चा संभाला और उत्कृष्ट कोटि का व्यक्तिगत उदाहरण पेश किया। अन्त में वे विद्रोहियों द्वारा बहुत नजदीक से चलाई गई गोलियों के शिकार हो गए और इस प्रकार उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया।

21. 13746410 नायक सुखदेव सिंह
9 पैराशूट कमांडो। (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 4 मार्च, 1989)

नायक सुखदेव सिंह श्रीलंका में 1 ट्रप उल्फा टीम के एक नम्बर के राकेट लांचर थे। 4 मार्च, 1989 को इसे लगभग 150 उग्रवादियों के एक शक्तिशाली कैम्प की गोलीबारी का सामना करना पड़ा। भारी गोलीबारी के बीच नायक सुखदेव सिंह ने अपना राकेट लांचर लगाया और राकेट दागने शुरू कर दिए।

वे बारूदी सुरंग से जख्मी हो गए थे, फिर भी अपने राकेट लांचर से उन्होंने आग बरसाना जारी रखा और अपनी टीम पर हमला करने तथा उसे घेरने के लिए उद्यत उग्रवादियों को आगे बढ़ने से रोक रखा। लगभग 90 मिनट तक उन्होंने फायर जारी रखा लेकिन इसी बीच सिर में चोट लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें वहां से हटा लिया गया। बाद में 13 मार्च, 1989 को इस घाव के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

नायक सुखदेव सिंह ने उग्रवादियों के विरूद्ध कार्यवाई में उत्कृष्ट कोटि का साहस, बहादुरी तथा धीरता का परिचय दिया।

22. 4062451 लांस नायक जंगबीर सिंह,
4 गढ़वाल राइफल्स (मरणोपरान्त)
(पुरस्कार को प्राभवी2ा:903ऽ

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 22 मार्च, 1989)

लांस नायक जंगबीर सिंह इको कम्पनी 4 गढ़वाल राइफल्स की नम्बर 14 के प्लाटून के साथ लाइट मशीन गन नम्बर 1 की ड्यूटी पर थे। कम्पनी को उत्तरी क्वीनिया क्षेत्र (श्रीलंका) के नयारू लागून एरिया में विद्रोहियों के शिविर की ओर बढ़ने, उससे सम्पर्क करने और उसे हटाने का काम सौंपा गया। 22 मार्च, 1989 को कम्पनी की मुख्य प्लाटून ने विद्रोहियों से सम्पर्क किया। भारी गोलीबारी होने के कारण प्लाटून के बहुत से सैनिक हताहत हुए। इस समय नं. 14 प्लाटून के लांस नायक जंगबीर सिंह को दक्षिणी बाजू की ओर बढ़ने का काम सौंपा गया। उन्हें यह आदेश मिला कि वे अपनी टुकड़ी को लगभग 30 मीटर की दूरी पर ले जाए और विद्रोहियों का सामना करें ताकि शेष प्लाटून को सुरक्षित क्षेत्र में ले जाया जा सके। भारी गोलाबारी के बीच निश्चित स्थल पर पहुंचने के दौरान लांस नायक जंगबीर सिंह को दक्षिणी बाजू की ओर बढ़ने का काम सौंपा प्रकार वे अकेले वहां पहुंचे। इस बात का ध्यान न रखते हुए कि वे अकेले हैं, उन्होंने विद्रोहियों का सामना किया और बराबर ठीक निशाने पर गोलियां चलाते रहे। उनकी गोलियों से प्लाटून कमांडर ने फिर संतुलन संभाल लिया और सम्पर्क क्षेत्र के पीछे लगभग 30 मीटर पर अपनी प्लाटून को तैनात किया। परन्तु लांस-नायक जंगबीर सिंह स्वचालित हथियारों की भीषण गोला-बारी में फंस गए और उनपर एक आर पी एफ रॉकेट फटने से उनके कंधों पर चोट आयी।

अकेला होने तथा गम्भीर दबाव और दर्द के बावजूद नायक जंगबीर सिंह ठीक निशाने पर गोलियां चलाते रहे। इसी बीच लांस नायक जंगबीर सिंह को बचाने के लिए प्लाटून हवलदार वहां पहुंच गए परन्तु विद्रोहियों की गोली लगने से उसी समय उनकी मृत्यु हो गई।

लांस नायक जंगबीर सिंह ने विद्रोहियों का मुकाबला करते समय उत्कृष्ट साहस और पराक्रम का परिचय दिया।

23. 13612851 नायक रणजीत सिंह,
5 पैरा (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 8 अप्रैल, 1989)

पकड़े गए एक दुर्दान्त आतंकवादी से प्राप्त सूचना के आधार पर 8 अप्रैल, 1989 को 10 सशस्त्र आतंकवादियों के एक दल को समाप्त करने के लिए छापा मारा गया था। नायक रणजीत सिंह छापा मारने के लिए विशेष रूप से चुने गए दल में शामिल थे। जैसे ही यह छापामार दल एक घर के पास पहुंचा इस पर स्वचालित हथियारों से भीषण गोलाबारी शुरू हो गई जिसके जवाब में तत्काल छापामार दल ने भी गोली चलानी शुरू कर दी।

यह पता चलने पर कि आतंकवादी उत्तर की ओर भागने की कोशिश में हैं, छापामार दल को दो दलों में बांट दिया गया। नायक रणजीत सिंह ने देखा कि दो आतंकवादी एक दल पर भारी गोलाबारी कर रहे हैं जिससे उसके आगे बढ़ने की गति धीमी हो गई है, समय बहुत कम है और विद्रोही दूर भागने जा रहे हैं तो वे आड़ लेकर आगे बढ़े और गोलाबारी करके एक विद्रोही को मार गिराया। उसे मारने के बाद उन्होंने एक और विद्रोही का पीछा करके उसे घायल कर दिया परन्तु वह भागने में सफल हो गया। जैसे ही नायक रणजीत सिंह आड़ से बाहर की ओर आए एक तीसरे विद्रोही ने उनकी छाती में गोली मार दी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें एक सिविल अस्पताल में ले जाया गया परन्तु घावों की वजह से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।

नायक रणजीत सिंह ने विद्रोहियों का मुकाबला करते हुए बहादुरी, अनुकरणीय साहस तथा पहल-शक्ति का परिचय दिया।

24. 2870390 नायक महावीर सिंह,
7 राजपूताना राइफल (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 31 मई, 1989)

श्रीलंका में तैनात राजपूताना राइफल्स की 7वीं बटालियन में रेडियो आपरेटर नायक सिंह को 5 अन्य कर्मिकों के साथ 31 मई, 1989 को विद्रोहियों को भागने से रोकने के लिए नाकेबन्दी करने का काम सौंपा गया। भागने का प्रयास कर रहे विद्रोहियों ने उनके ग्रुप पर फायरिंग शुरू कर दी। नायक महावीर सिंह ने तत्काल जवाबी फायर किया और अपने प्लाटून कमांडर के साथ उन्होंने विद्रोहियों को बचकर भागने से रोकने के लिए उनका पीछा शुरू कर दिया। पीछा करते हुए नायक महावीर सिंह और उनके प्लाटून कमांडर को गोली लग गई और वे दोनों घायल हो गए। नायक महावीर सिंह को गोली उनकी छाती में लगी थी फिर भी उन्होंने रेंगते हुए आगे बढ़ना जारी रखा और झाड़ियों में गड्ढा खोदकर मोर्चा बांधे हुए विद्रोहियों का पता लगा लिया। विद्रोहियों का पता लगाने के बाद उन्होंने अपनी कार्बाइन से उनका मुकाबला शुरू कर दिया और वहां मोर्चा बांधे हुए दोनों विद्रोहियों को मार गिराया और उनसे दो ए.के. 47 राइफलें बरामद कर ली। परन्तु जब उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा था तो गंभीर घावों की वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया।

इस प्रकार नायक महावीर सिंह ने विद्रोहियों का सामना करते हुए अदम्य साहस पहलशक्ति और वीरता का परिचय दिया तथा सेना की उच्च परम्पराओं के अनुरूप अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान किया।

25. मेजर सुरेन्द्र सिंह (आई सी-39558),
16 राजपूताना राइफल्स (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 5, जून, 1989)

मेजर सुरेन्द्र सिंह को श्रीलंका में पुत्तर के पूर्व में विद्रोहियों के छिपने के एक संदिग्ध अड्डे का पता लगाने का काम सौंपा गया। उन्होंने अड्डे का पता लगा लिया और उसके बाद वहां छापा मारने का निर्णय लिया। 5 जून, 1989 को 15 सैनिकों को साथ लेकर उस क्षेत्र पर छापा मारा और इस कार्यवाई के दौरान उन्होंने स्वयं दो विद्रोहियों को गोली का निशाना बनाया। उनके दल ने

झोंपड़ी से भागते हुए दो विद्रोहियों को देख लिया। अपनी जान की चिन्ता न करके मेजर सिंह ने भागते हुए विद्रोहियों का पीछा शुरू कर दिया। झोंपड़ी में उनके द्वारा पहले मारे गए दो विद्रोही पड़े हुए थे। जैसे ही वे झोंपड़ी से आगे बढ़े एक विद्रोही ने बहुत निकट से उन पर गोली चलाई और उन्हें गम्भीर रूप से घायल कर दिया। छाती में गोली लगने के बावजूद उन्होंने पलटकर उस विद्रोही को मार गिराया और मरते दम तक भागते हुए विद्रोही का पीछा करते रहे। अपने साथियों को अपनी देखभाल के लिए मना कर दिया उन्हें विद्रोहियों का पीछा करने का निर्देश दिया। अंततः उनमें से भागता हुआ एक विद्रोही मारा गया। इस कार्रवाई के तुरन्त बाद उन्हें फील्ड अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

मेजर सुरेन्द्र सिंह ने बहुत ही विषम एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में उत्कृष्ट वीरता एवं बहादुरी का परिचय दिया।

26. 5040010 हवलदार भीम बहादुर थापा, गोरखा राइफल्स (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 21 जून, 1989)

हवलदार भीम बहादुर थापा, सेक्शन कमांडर, 7 प्लाटून, वीलीं कपनी, पहली बटालियन, 20/21 जून, 1989 की रात को श्रीलंका में कोन्तककरण कुलम इलाके में घात लगाकर बैठे हुए थे। 21 जून, 1989 को लगभग 0530 बजे उन्होंने अपने स्थान से पश्चिम की ओर लगभग 15-20 विद्रोहियों को देखा। उन्होंने तत्काल अपने प्लाटून कमांडर सूबेदार शिवदर्शन सिंह गुरुंग को इसकी सूचना दी और सूचना पाते ही उन्होंने अपनी सारी प्लाटून को सावधान कर दिया। एक लाइट मशीनगन को सही स्थान पर ले जाते समय उसकी खड़खड़ाहट से विद्रोहियों को शक हो गया और उन्होंने अपने स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दीं। इस बीच कपनी कमांडर, मेजर एस. पी. मेहता वहां पहुंच गए और स्थिति का जायजा लेने के बाद वे प्लाटून कमांडर, हवलदार भीम बहादुर थापा, राइफलमैन गंगा बहादुर घाला के साथ एक ओर आगे बढ़े तथा उन्होंने विद्रोहियों पर व्यक्तिगत रूप से आक्रमण कर दिया।

इस आक्रमण में हवलदार भीम बहादुर थापा छाती में गोली लगने से बुरी तरह जख्मी हो गए और खून की धारा फूट पड़ी परन्तु वे विद्रोहियों से लड़ते रहे और उन्होंने दो विद्रोहियों को मार डाला। उन्होंने युद्ध के दौरान असाधारण कर्तव्यपरायणता और बहादुरी का परिचय दिया और सेना की उच्च परम्पराओं को कायम रखते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे दिया।

27. 2767350 नायक श्रीधर विठ्ठल कुरानकर, 18 गढ़वाल राइफल्स (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 8 जुलाई, 1989)

8 जुलाई, 1989 को आठ कार्मिकों के एक गश्ती दल ने दो खूंखार आतंकवादियों को साइकिल पर जाते देखा। सेना के वाहन को देखकर आतंकवश वे अपनी साइकिल छोड़कर सुरक्षा के लिए भाग खड़े हुए। एक आतंकवादी चारदीवारियों और मकानों का फायदा उठाकर बच निकला। कमांडिंग अफसर की गाड़ी चला रहे नायक कुरानकर ने अपनी गाड़ी को बड़ी सूझ-बूझ के साथ दूसरे विद्रोही के पीछे लगा दिया। जैसे ही वाहन आतंकवादी के पास पहुंचा और उसे कुचलने वाला ही था, नायक कुरानकर ने अनजाने में ही ब्रेक लगा दिया और तेज गति में ब्रेक लगने के कारण गाड़ी सड़क पर घिसटती हुई रुक गई। कमांडिंग अफसर, नायक कुरानकर और राइफलमैन सुरेश कुमार गाड़ी से बाहर आए और विद्रोही को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, परन्तु उस समय तक विद्रोही गाड़ी के कुचले जाने के भय से मुक्त हो चुका था और अपने हाथ में पकड़े हुए ए. के. 47 राइफल के साथ बैठकर मोर्चा संभाल लिया।

लगभग डेढ़ मीटर की दूरी पर विद्रोही को गोली चलाने के लिए तैयार देखकर नायक करानकर ने अपने कमांडिंग अफसर को एक ओर धकेल दिया तथा वे अपनी व्यक्तिगत रक्षा की कतई परवाह न करते हुए विद्रोही पर झपट पड़े। ए. के. 47 राइफल से बरसाई जा रही गोलियां उनकी छाती और सिर में लगी और वे गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े और 0930 बजे दम तोड़ दिया।

नायक श्रीधर विट्ठल कुरानकर ने विद्रोहियों का सामना करते हुए अदम्य साहस, और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

28. 13609104 हवलदार अजीत सिंह 10 पैरा (कमांडो) (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 28 अगस्त, 1989)

हवलदार अजीत सिंह 10 पैरा कमांडो की 3 ट्रूप आफ अल्फा असाल्ट टीम के स्क्वेड कमांडरों में थे। 28 अगस्त, 1989 को श्रीलंका में आलमपील में तैनात नंबर 3 ट्रूप आतंकवादी क को श्रीलंका में आलमपील में तैनात नंबर 3 ट्रूप को आलमपील मुलैती बू भाग के साथ-साथ खोजकार्य और मिशन नष्ट करने का काम सौंपा गया। नंबर 3 ट्रूप के कमांडर ने एक राकेट लांचर के साथ हवलदार अजीत सिंह के स्क्वेड को एक ओर से ट्रूप के संचलन पर सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान रखने का कार्य सौंपा। ट्रूप पर लघु शस्त्रों से हमला हो गया।

हवलदार अजीत सिंह ने यह बात समझते हुए कि ट्रूप पर विद्रोहियों द्वारा घात लगाकर हमला कर दिया गया है, उन्होंने जवाब में फायरिंग शुरू कर दी। परन्तु इस बात का आकलन कर लेने के बाद कि विद्रोहियों की संख्या और उनका मोर्चा दुर्जेय है, उन्होंने विद्रोहियों को घेराबंदी करने का निर्णय लिया। हवलदार अजीत सिंह ने अपने स्क्वेड को एक ओर के मोर्चे पर लगा दिया और विद्रोहियों पर लगातार कारगर ढंग से गोलियां चलाते रहे। एक ओर से हुए इस आक्रमण से विद्रोहियों का ध्यान बंट गया और शेष ट्रूप पर फायर कम हो गया। इस गोलाबारी के बीच एक राकेट लांचर डिटेचमेंट पैरा ट्रूपर घायल हो गया और एक राकेट लांचर डिटेचमेंट कमांडर मारा गया। हवलदार अजीत सिंह ने स्वयं राकेट लांचर उठाकर फायर करना शुरू कर दिया। इस कार्रवाई में हवलदार अजीत सिंह की छाती में भी एक गोली आ लगी और वे घटनास्थल पर ही मारे गए।

हवलदार अजीत सिंह ने युद्ध के दौरान कुशल नेतृत्व, उत्कृष्ट साहस एवं बहादुरी का परिचय दिया और सेना की उच्च परम्पराओं के अनुरूप उन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे दिया।

29. 4267374 सिपाही जान बिट्टोकिरो, 9 बिहार (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 13 सितम्बर, 1989)

सिपाही जान बिट्टोकिरो 13 सितम्बर, 1989 को लाइट मशीनगन नंबर ए. एक कार्मिक के रूप में कार्य करते हुए एक

नाला पार कर रहे थे, जिसमें भारी मात्रा में बारूदी सुरंग बिछी हुई थीं। अचानक उन पर सामने और दाहिने बाजू की ओर से भारी गोलीबारी शुरू हो गई। उन्होंने तत्काल अपना मोर्चा संभाल लिया। मोर्चा संभालने के दौरान उनका पांव विद्रोहियों की जमीन के अंदर बिछाई गई सुरंग पर पड़ गया और उनका दाहिना पैर उड़ गया। अति गंभीर रूप से घायल हो जाने के बावजूद उन्होंने विद्रोहियों पर अचूक कारगर ढंग से गोलाबारी की। उनके द्वारा लाइट मशीनगन से फायरिंग करते रहने से उनके साथियों को काफी समय मिल गया। सिपाही जान बिट्टीकिरो को घायल अवस्था में स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। अभी उनकी टुकड़ी मुश्किल से दो सौ गज दूर ही गई होगी कि विद्रोहियों ने घात लगाकर उन पर फिर हमला कर दिया। इस टुकड़ी पर सामने तथा दाहिने ओर से गोलियां चलने लगीं। घायल अवस्था में होने के बावजूद उन्होंने विद्रोहियों के जवाब में फायर करना शुरू कर दिया और यह गोली-बारी 15–20 मिनट तक चलती रही। सिपाही किरो ने गले में गोली लगने से मरने तक गोली चलाना बंद नहीं किया।

विद्रोहियों के विरुद्ध युद्ध करते हुए सिपाही जान बिट्टा-किरो ने अदम्य साहस, बहादुरी और वीरता का परिचय देते हुए सेना की उच्च परम्पराओं के अनुरूप अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे दिया।

सं. 34-प्रज/90—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उनकी उत्कृष्ट वीरता के लिए "कीर्ति चक्र" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. जी/4467-एच चार्जमैन गोलक बिहारी पटनायक
(मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 17 मई, 1988)

सीमा संगठन की 157 फार्मेशन कंटिंग प्लाटून में चार्जमैन गोलक बिहारी पटनायक 17 मई, 1988 को बसोली-बानी-मदारवा मार्ग पर पहाड़ी कटन के काम की देख-रेख कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि डोजर बहुत ही जोखिम वाले स्थान पर खड़ा है। सूझ-बूझ का परिचय देते हुए उन्होंने डोजर को वहां से हटवा लिया और विस्फोट से बिखरे हुए पत्थरों को हटाने के लिए आदमियों को लगा दिया ताकि कोई भारी दुर्घटना न हो। वे नजदीक से ही इस बात की निगरानी करने लगे कि जहां आदमी काम कर रहे हैं वहां पर कोई पहाड़ी अथवा शिला गिरने वाली तो नहीं है ताकि आदमियों को हटने के लिए समय पर चेतावनी दे सकें। अचानक भारी भू-स्खलन हुआ। तब वे घाटी की ओर खड़े थे। उन्होंने तत्काल अपने आदमियों को वहां से हटने की चेतावनी दी परन्तु स्वयं भू-स्खलन के साथ नीचे गिर गए।

चार्जमैन गोलक बिहारी पटनायक ने अपने प्राणों को गंभीर खतरा होने के बावजूद सरकारी सम्पत्ति को बचाने और समय पर चेतावनी देकर अपने आदमियों के प्राणों की रक्षा करने में अदम्य साहस एवं उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. जी/121709-एल ओ ई एम./ गोपीनाथन् पिल्लै
(मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 12 नवम्बर, 1988)

सीमा सड़क संगठन की वर्तक परियोजना के अधीन 156 फार्मेशन कंटिंग प्लाटून के ओ. ई एम गोपीनाथन् पिल्लै 12 नवम्बर, 1988 को अरुणाचल प्रदेश के ऊपर सुबनसिरी जिले में तालिहा-नाकू सड़क पर चट्टान काटने के काम पर लगाए गए। बारूदी विस्फोटों के कारण चट्टान हिल गई थी और ढीली पड़ चुकी थी। ऊपर से मलबा गिर रहा था। अपने प्राणों के भारी जोखिम के बावजूद वे निडर होकर अनवरत रूप से सड़क साफ करने में लगे रहे। अचानक चट्टान का एक बड़ा भाग खिसका और वे अपनी मशीन समेत सैकड़ों फुट गहरी खाई में जा गिरे। उन्हें बचाने के सभी प्रयास निष्फल रहे। इस प्रकार ओ. ई. एम. गोपीनाथन् पिल्लै ने देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दे दी।

3. जी/89178-एच. ओ. ई. एम. कासी राम
(मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 20 दिसम्बर, 1988)

सीमा सड़क संगठन की हिमांक परियोजना की 168 कार्मेशन प्लाटून केयर : 113 सड़क निर्माण कम्पनी के ओ. ई. एम. कासी राम को लद्दाख क्षेत्र में लेह-चालुका सड़क पर 18380 फुट की ऊंचाई पर 20 दिसम्बर, 1988 को खारडुंगला दर्रे में बर्फ हटाने का काम सौंपा गया। भारी हिमपात और लगातार बर्फीली तूफान चलने के कारण जान के खतरे की आशंका से उनके साथ काम कर रहे मजदूर वहां से भाग खड़े हुए। परन्तु बहादुर आपरेटर कासी राम डोजर चलाते रहे और इस निश्चय के साथ बर्फ हटाते रहे कि दर्रा यातायात के लिए खुल जाए और दर्रे के पार संचार व्यवस्था कायम हो जाए। इस बात को भली-भांति यह जानते हुए भी कि भारी हिमपात और बर्फीली तूफान का बढ़ता हुआ खतरा उनके लिए घातक हो सकता है, उन्होंने बर्फ हटाने का काम जारी रखा और वही हुआ। कुछ समय बाद एक विशाल हिमखंड गिरा और वे डोजर के साथ उसके नीचे दब गए। तत्काल बचाव कार्य करने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस प्रकार ओ. ई. एम. कासी राम ने साहस और असाधारणता का परिचय देते हुए सीमा सड़क संगठन की उच्च परम्परा के अनुरूप अपने जीवन का बलिदान दिया।

4. जी/11221-के. ओ. ई. एम. अभिमन्यु

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 31 दिसम्बर, 1988)

सीमा सड़क संगठन की हिमांक परियोजना के अंतर्गत कार्यरत 168 फार्मेशन कंटिंग प्लाटून/113 सड़क निर्माण कम्पनी के ओ ई. एम अभिमन्यु को नुबरा घाटी और सियाचिन ग्लेशियर की ओर जाने वाले सामरिक महत्व के मार्ग "लेह चालुका" पर 18380 फुट की ऊंचाई पर खारडुंगला के पास 31 दिसम्बर, 1988 को बर्फ हटाने के काम पर तैनात किया गया। ओ. ई. एम अभिमन्यु अपने डोजर के साथ खारडुंगला के पास कार्य कर रहे थे कि उनका डोजर बर्फ में फंस गया। डोजर के साथ काम करने वाले मजदूर अपनी जान के जोखिम के भय से काम छोड़कर चले गए। परन्तु भीषण बर्फीले तूफानों और हिमपात तथा अत्यधिक संकटमय परिस्थितियों के बावजूद ओ ई. एम अभिमन्यु ने अपने डोजर से बर्फ हटाने का कार्य जारी रखा। इनके लिए खारडुंगला के पार पड़े सैनिकों का जीवन बचाना अपने जीवन से अधिक महत्वपूर्ण था। तभी एक हिमखंड नीचे आ गिरा और ये बर्फ से ढकी घाटी में लगभग 800 फुट नीचे लुढ़क गए। इस पर भी उन्होंने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया और साहस के साथ स्वयं बर्फ से बाहर आए। घायल होने के बावजूद इन्होंने अपना डोजर संभाला और फिर बर्फ हटाने के काम में जुट गए और देर रात तक काम करके सड़क को यातायात के लिए साफ कर दिया।

इस प्रकार, ओ. ई. एम. अभिमन्यु ने असाधारण साहस का उदाहरण पेश किया और अपने प्राणों की तनिक भी चिंता न करते हुए परम कर्त्तव्य निष्ठ होने का परिचय दिया।

5. श्री केदारनाथ, खेमकरण,
पंजाब

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 20 जुलाई, 1989)

20 जुलाई, 1989 की रात तीन खूंखार आतंकवादियों के एक दल ने पंजाब के खेमकरण डाकघर में डाक सहायक, श्री केदारनाथ को गलती से धनाढ्य व्यक्ति समझकर फिरौति में रकम वसूल करने के लिए उनका अपहरण कर लिया आतंकवादियों के पास दो ए. के. 47 राइफलें और एक रिवाल्वर था। केदारनाथ को कई घंटे तक पैदल ले जाने के बाद उन्हें एक फार्म हाउस में बंद कर दिया। 21 जुलाई, 1989 को दोपहर बाद जब उन तीन में से दो आतंकवादी सो गए और तीसरा कमरे के बाहर पहरा देने के लिए खड़ा हो गया, तो उसी समय श्री केदारनाथ ने अपने समीप पड़ी ए. के. 47 राइफल उठाई और बाहर पहरे पर खड़े ए.के. 47 राइफल लिए आतंकवादी जीत सिंह पर गोली दाग दी। उसके हाथ को घायल करने के बाद श्री केदारनाथ ने फुर्ती से बाकी दोनों आतंकवादियों पर गोलियों का निशाना बनाया जो उसे पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। तभी जीत सिंह, फार्म हाउस की चार दीवारी फांद कर भागने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे भी उसी समय गोली से उड़ा दिया। इस तरह तीनों आतंकवादी मारे गए और श्री केदारनाथ ने आतंकवादियों के कब्जे से प्राप्त दो ए. के. 47 राइफलें, एक पिस्तौल और कुछ गोला-बारूद बल्टोहा पुलिस थाने में जमा करा दिया।

श्री केदारनाथ ने अपनी असाधारण सझ-बझ और बहादुरी की इस कार्रवाई में अपनी जान को गंभीर संकट में डालकर घातक हथियारों से लैस 3 दुर्दान्त आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता हासिल की।

सं. 35-प्रेज/90—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उनकी वीरता के लिए "शौर्य चक्र" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. श्री दीपेन्द्र नाथ राय, (मरणोपरान्त)
जलपाईगुड़ी,
पश्चिम बंगाल ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 6 दिसम्बर, 1985)

6 दिसम्बर, 1985 की रात लगभग 23.30 बजे 15-20 बदमाश जलपाईगुड़ी गांव में श्री अमरजीत घोष के घर में घुस गए और घर के लोगों को डरा धमकाकर, शारीरिक यातनाएं देकर 20 हजार रुपये के सोने के गहने, हाथ की घड़ी, अलार्म घड़ी, कपड़े आदि लूट लिए। उसी रात को इसी दल ने इसी गांव में पास के एक और घर में डकैती डालने की कोशिश की। इस दौरान गांव के लोग जाग गए और सारे गांव में भारी शोर मच गया। परिणामस्वरूप बदमाशों ने भागने की कोशिश की। बदमाशों के पास घातक हथियार होने के बावजूद दीपेन्द्र नाथ राय सहित गांव के कुछ लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया। इस पर डकैतों ने श्री राय सहित गांव के चार लोगों पर प्रहार किया। श्री राय की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई।

श्री दीपेन्द्र नाथ राय ने अनुकरणीय साहस का परिचय दिया और बदमाशों से गांव वालों की रक्षा करने में आत्म बलिदान करने का विरल उदाहरण प्रस्तुत किया।

2. श्री बूटा राम,
अमृतसर,
पंजाब ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 5 मई, 1987)

5 मई, 1987 को श्री बूटा राम ने आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए अनुकरणीय साहस और बहादुरी का परिचय दिया तथा अपनी जान को जोखिम में डालकर दो सशस्त्र आतंकवादियों को पकड़ लिया। पुनः 30 मार्च, 1988 को जब ये अपनी किरयाने की दुकान में बैठे हुए थे, इन्होंने देखा कि आतंकवादी अंधा-धुन्ध गोलियां चला रहे हैं और उसके परिणामस्वरूप श्री सत्य नारायण शर्मा की मृत्यु हो गई है। श्री बूटा राम और इनके अंगरक्षक ने आतंकवादियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। दोनों ओर से गोलियां चलने पर आतंकवादी भाग गए। श्री बूटा राम ने 1.5 किलोमीटर तक उनका पीछा किया और अपनी जान को बहुत ही जोखिम में डालकर उनमें से एक आतंकवादी को पकड़ लिया।

श्री बूटा राम ने दुर्दान्त आतंकवादियों का पीछा करने और उनमें से तीन को पकड़ने की कार्रवाई में उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया और इस प्रकार अनेक बेगुनाह लोगों की हत्या होने से बचा लिया।

3. जी/47577-एल, ड्राइवर यांत्रिक उपस्कर प्रेम सिंह वर्मा,

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 13 मार्च, 1988)

लगातार भारी वर्षा के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 6 मार्च से 9 मार्च, 1988 तक अनेक स्थानों पर भू-स्खलन होने से यातायात अवरुद्ध हो गया। सीमा सड़क संगठन की 367 सड़क अनुरक्षण प्लाटून के ड्राइवर यांत्रिक उपस्कर प्रेम सिंह वर्मा ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा पर ध्यान न देते हुए अपने डोजर से सड़क को साफ करने का प्रयास किया परन्तु केवल आंशिक रूप से ही सफलता हासिल हुई। 11 और 12 मार्च, 1988 को फिर भारी वर्षा और भू-स्खलन की वजह से 13 मार्च, 1988 को यातायात अवरुद्ध हो गया। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की तनिक भी चिंता न करते हुए ड्राइवर यांत्रिक उपस्कर प्रेम सिंह वर्मा ने अपने डोजर से मलबे को साफ करना शुरू कर दिया काम करते हुए उनके डोजर का दायां पहिया घाटी की ओर फिसल गया और डोजर जाम हो गया। इन्होंने डोजर को निकालने का प्रयास किया परन्तु कामयाब न हो सके। उसके बाद उन्होंने तत्काल पहिए की चेन के नीचे पत्थर लगाने शुरू कर दिए और बहुमूल्य डोजर को घाटी में गिरने से बचा लिया। इस प्रकार उन्होंने लाखों रुपये की सरकारी सम्पत्ति को नष्ट होने से बचा लिया। इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरे डोजर की सहायता से 15 मार्च को सड़क को साफ करने में सफलता प्राप्त कर ली और उस पर एक ओर का यातायात शुरू हो गया।

इस प्रकार अपनी जान को खतरे में डालकर भू-स्खलन से अवरुद्ध मार्ग को साफ करने और बहुमूल्य डोजर को नष्ट होने से बचाने में ड्राइवर यांत्रिक उपस्कर प्रेम सिंह वर्मा ने असाधारण साहस, व्यावसायिक कौशल तथा कर्त्तव्य निष्ठा का परिचय दिया।

4. श्री मुख्तियार अहमद, (मरणोपरान्त)
सुल्तानपुर,
उत्तर प्रदेश ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 14 अप्रैल, 1988)

14 अप्रैल, 1988 को दिल्ली परिवहन निगम की रूट नं. 446 पर चल रही एक बस में यात्रा करते समय तीन बदमाशों ने त्रिलोकपुरी निवासी श्री नरुल हुडा का पर्स निकाल लिया जिसमें 390 रुपये थे । श्री नरुल हुडा ने शोर मचा दिया और ड्राइवर ने हजरत निजामुद्दीन पुलिस थाने के सामने बस रोक दी । जैसे ही बस रुकी, तीनों बदमाशों ने जिनकी बाद में मनजीत सिंह, मोहम्मद शहीद और सुरेन्द्र कुमार के रूप में शिनाख्त की गई, भागने का प्रयास किया परन्तु साहस और बहादुरी का परिचय देते हुए श्री मुख्तियार अहमद ने बदमाशों का पीछा करके उनमें से एक को पकड़ लिया । अन्य दो बदमाशों ने चाकू से श्री अहमद पर वार किए। बुरी तरह घायल हो जाने और घावों से तेजी से रक्त स्राव होने के बावजूद उन्होंने बदमाशों का पीछा नहीं छोड़ा और अन्ततः वे गिर पड़े । उन्हें तत्काल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया गया जहां उन्होंने उसी दिन दम तोड़ दिया ।

श्री मुख्तियार अहमद ने कुख्यात अपराधियों का पीछा करके उन्हें पकड़ने में अनुकरणीय साहस एवं वीरता का परिचय दिया ।

5. 3372430 हवलदार दलबारा सिंह, (मरणोपरान्त)
3 महार ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 7 मई, 1988)

3 महार रेजिमेंट के हवलदार दलबारा सिंह को सियाचिन क्षेत्र की चुनौती पूर्ण शिवा चौकी पर पुनः कब्जा करने के कार्य के लिए विशेष रूप से चुना गया । 7 मई, 1988 को लगभग 6.00 बजे उन्होंने दो गैर कमीशन प्राप्त अफसरों और चार अन्य रैंक के कार्मिकों को एक सम्पर्क दल के साथ प्रहार मेक्शन से शिवा चौकी के लिए प्रस्थान किया । इस दल का मुख्य कार्य चढ़ने के लिए रस्सियों को बांधना और चौकी पर कब्जा करने से पूर्व वहां पर आवश्यक सामान पहुंचाने का चुनौतीपूर्ण कार्य करना था । इससे पहली रात वहां पर भारी हिमपात हुआ था । अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में पहलशक्ति, दृढ़ निश्चय एवं उत्कृष्ठ नेतृत्व का परिचय देते हुए हवलदार दलबारा सिंह शिवा चौकी की ओर हल्ला से बढ़ते रहे । जब यह सम्पर्क दल चौकी पर पूरी तरह से चढ़ने से लगभग 300 मीटर ही दूर था कि 800 मीटर लम्बा एक विशाल हिमखण्ड सीधे नीचे की ओर आ गिरा और यह पूरा संपर्क दल उसकी चपेट में आ गया । बचाव दल तत्काल घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ा । उस दिन शाम को 17.00 बजे तक पूरे दिन और अगले दिन भी खोज कार्य जारी रखा गया परन्तु कोई लाभ न हुआ । यद्यपि इसके बाद भी दल को खोजने का प्रयास किया गया परन्तु इस समस्त इलाके के बहुत ही अस्थिर और असुरक्षित होने के कारण खोज कार्य बन्द करना पड़ा ।

इस प्रकार हवलदार दलबारा सिंह ने बहुत विषम परिस्थितियों में उत्कृष्ट साहस का परिचय दिया तथा अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे दिया ।

6. मेजर राजेन्द्र प्रताप सिंह (मरणोपरान्त)
(आई सी-32939),
बिहार ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 7 जुलाई, 1988)

मेजर राजेन्द्र प्रताप सिंह ने नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल आफ नागालैंड नामक भूमिगत संगठन की भावी योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करने के एक विशेष मिशन पर 7 जुलाई, 1988 को मणिपुर में उखरुल कस्बे के भीड़ भरे बाजार में नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल आफ नागालैंड के विद्रोहियों ने एम-22 चीनी स्वचालित राइफलों से उनके वाहन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी । गम्भीर रूप से घायल हो जाने के बावजूद मेजर राजेन्द्र प्रताप सिंह ने विद्रोहियों पर जवाबी गोलाबारी की । उनके द्वारा बरसाई गई गोलियों के कारण विद्रोहियों को भागना पड़ा । परन्तु मेजर सिंह ने अपने गंभीर रूप से घायल होने के कारण दम तोड़ दिया ।

मेजर राजेन्द्र प्रताप सिंह ने विद्रोहियों का सामना करते हुए अद्भुत वीरता एवं कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया ।

7. 641460 सार्जेंट लक्ष्मण प्रसाद (मरणोपरान्त)
स्वामी,
एयर फ्रेम फिटर ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 7 जुलाई, 1988)

एक संचार स्क्वाड्रन के एयर फ्रेम फिटर सार्जेंट लक्ष्मण प्रसाद स्वामी अपने परिवार के साथ 7 जुलाई, 1988 को राजस्थान में बस द्वारा बड़ाबर गांव से मजानगढ़ जा रहे थे । रास्ते में बस रेत में फंस गई । बस का संवाहक बस की छत से जब पी एस पी सीट निकाल रहा था तो वह अचानक ऊपर से जा रही उच्च वोल्टता वाली बिजली की तार से छू गई जिससे बस में करन्ट आ गया और कई यात्री गंभीर रूप से जल गए।

बुरी तरह से जख्मी हो गई अपनी पत्नी और बच्चे तथा अपनी खुद की सुरक्षा की परवाह न करते हुए सार्जेंट प्रसाद ने उस नाजुक स्थिति में असाधारण साहस और सूझ-बूझ का परिचय दिया जब कि बस का चालक वहां से फरार हो गया था । उन्होंने घायल और बुरी तरह घबराए हुए सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से बस से बाहर निकाला और उस आभागी बस को छोड़ने वालों में वे स्वयं सब से पीछे रह गए । लेकिन इससे पहले कि वे बस में लौटकर कदम रखें, दूर बिजलीघर में कर्मचारी ने उड़े हुए फ्यूज को फिर से लगा दिया, जिससे उस बस को बिजली का दूसरी बार करन्ट लगा, फलस्वरूप सभी यात्रियों को बचाने वाले भारतीय वायुसेना के सार्जेंट लक्ष्मण प्रसाद की मृत्यु हो गई ।

इस प्रकार अपनी जान की बाजी लगा कर अपने साथी यात्रियों की जान बचाने में सार्जेंट लक्ष्मण प्रसाद स्वामी ने असाधारण निःस्वार्थता और साहस का प्रदर्शन किया।

8. कुमारी मोनिशा वर्मा,
विवेक विहार,
दिल्ली ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 11 अगस्त, 1988)

11 अगस्त, 1988 को इन्द्रप्रस्थ कालेज की एम ए (अंग्रेजी) (अंतिम वर्ष) की छात्रा कुमारी मोनिशा वर्मा ने दिल्ली परिवहन निगम की एक बस में यात्रा करते हुए 5 व्यक्तियों के साथ हुई

मुठभेड़ में बहादुरी, सूझबूझ और ताकत का परिचय दिया । तेज रफ्तार से चल रही उस बस में उन 5 व्यक्तियों ने इन्हें दबोचने की कोशिश की। कुमारी मोनिशा वर्मा ने अपने स्पोर्ट्स के जूतों से बदमाशों के मुंह छील दिये और चलती हुई बस से बाहर कूद गई साथ में एक बदमाश को भी बाहर खींच लाई और उसे पकड़ लिया ।

इस प्रकार कुमारी मोनिशा वर्मा ने अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत की ।

9 जी/13585-एक्स ड्राइवर जस राम, (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 3 अक्तूबर, 1988)

सीमा सड़क संगठन की स्वास्तिक परियोजना की 218 परमानेन्ट वर्क्स प्लाटून ड्राइवर जस राम को एक डोजर के साथ उत्तरी सिक्किम में एक नई सड़क यूमथांग-यूमसोमडांग के निर्माण के लिए पहाड़ियों की कटाई का काम सौंपा गया । 3 अक्तूबर, 1988 को लगभग 13.00 बजे जब वे दुर्गम एवं जोखिमपूर्ण तराई में पहाड़ियों की कटाई के काम में लगे हुए थे ; तब नरम धरती धंस गई और उनकी मशीन का संतुलन बिगड़ गया । अपनी जान बचाने के लिए डोजर से कूदने के बजाए वे अटूट साहस के साथ अंतिम समय तक मशीन को नियंत्रित करने के प्रयास में लगे रहे। अपने अनुकरणीय प्रयास में उन्होंने डोजर को नीचे नदी में गिरने से तो बचा लिया परन्तु उसे पलटने से न रोक सके। डोजर के पलटने पर भी वे चालक की सीट पर बैठे हुए मशीन की लीवर प्रणाली को नियंत्रित करने के प्रयास में लगे रहे और अन्ततः सड़क से लगभग छः मीटर नीचे डोजर को पूरी तरह से रोकने में सफलता हासिल कर ली । इस कार्रवाई में वे गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया ।

इस प्रकार बहुमूल्य उपस्कर को भारी क्षति से बचाने में ड्राइवर जस राम ने अनुकरणीय एवं उत्कृष्ट साहस का परिचय देते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया ।

10. स्क्वाड्रन लीडर संजीव मिश्री (14094), उड़ान (पायलट) ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 7 अक्तूबर, 1988)

50 से 70 वर्ष की आयु के सात यूरोपियन यात्रियों (ट्रेकर) का एक दल भूटान में 14500 फुट की ऊंचाई पर फंस गया था । इनमें से एक की पहले ही मृत्यु हो गई थी और बाकी भी नाजुक स्थिति में थे । ऐसी सूचना मिली थी कि ये उच्च तुंगता फुफ्फुस शोफ (एच ए पी ओ) से पीड़ित हैं और अगर इन्हें तत्काल वहां से निकाला न गया तो इनकी भी वही दशा हो जाएगी । 7 अक्तूबर, 1988 को स्क्वाड्रन लीडर संजीव मिश्रा को हताहत बचाव मिशन पर तैनात किया गया । यह जानते हुए भी कि बचाव का स्थान चेतक हेलीकाप्टर की प्रचालन सीमाओं से काफी ऊपर और अज्ञात क्षेत्र में है स्क्वाड्रन लीडर मिश्रा ने दया मिशन पर जाने का निर्णय लिया क्योंकि देर करने से और लोगों की मृत्यु हो सकती थी । इन्होंने एक वरिष्ठ भूटानी अफसर को साथ ले उड़ान भरी और असाधारण कौशल दिखाते हुए इन्होंने उस क्षेत्र को ढूंढ लिया और चार जीवित बचे यात्रियों का पता लगा लिया । अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के बावजूद इन्होंने एक तंग शिला पर हेलीकाप्टर उतारा और अधिक गम्भीर रूप से हताहत दो यात्रियों को वहां से निकाला । अब इन्हें पता लगा कि मृत विदेशी और अन्य दो जीवित बचे यात्री 2/3 मील की दूरी पर फंसे हुए थे और उनकी हालत और भी बदतर थी । स्क्वाड्रन लीडर मिश्रा दोनों हताहतों को हेलीकाप्टर में बिम्पू लाए, रोटर को चालू रखा और फिर पारो में तुरन्त पुनः ईंधन भरवाकर दूसरी जगह के लिए उड़ चले । चूंकि कोई साफ जगह नहीं मिल रही थी, काफी खोज-बीन के बाद और अपने अनुभव को काम लाते हुए इन्होंने हेलीकाप्टर को एक पहाड़ी नदी में एक छोटे से टुकड़े पर उतारा जिसमें शिलाखंड बिखरे हुए थे । इन्होंने मृत यात्री की देखभाल के लिए वरिष्ठ अफसर को वहां छोड़ा और दोनों हताहतों को थिम्पू पहुंचाया । एक बार फिर शीघ्र ईंधन लेकर ये पहले वाले स्थान पर पहुंच गए और वहां बचे दोनों को हेलीकाप्टर में ले आए । यद्यपि इस समय तक मौसम खराब हो गया था और इन्हें उड़ान करते हुए पांच घंटे से भी अधिक समय हो चुका था फिर भी यह महसूस करते हुए कि मृत यात्री की देखभाल कर रहा सिविलियन गम्भीर संकट में है और रात में जीवित नहीं बचेगा, ये पुनः उस स्थान पर गए और सिविलियन तथा लाश को निकाल लाए ।

इस प्रकार इस पूरे अभियान के दौरान स्क्वाड्रन लीडर संजीव मिश्रा ने उच्च कोटि की व्यावसायिक कुशलता और असाधारण साहस का परिचय दिया ।

11 14701106 सिपाही हीरा बल्लभ नगरकोटी, (मरणोपरान्त)

20 कुमाऊं ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 12 अक्तूबर, 1988)

सिपाही हीरा बल्लभ नगरकोटी को फिरोजपुर जिले में आई बाढ़ के दौरान माल जालंधर मार्ग पर ललवाला गांव के समीप कार्यरत बचाव दल के सदस्य के रूप में तैनात किया गया था । 12 अक्तूबर, 1988 को सिपाही हीरा बल्लभ नगरकोटी और अन्य साथी लगभग 20 सिविलियनों को पार ले जा रहे थे कि नौका डूब गई और उसमें बैठे सभी व्यक्ति डूबने लगे । सिपाही हीरा बल्लभ नगरकोटी ने अपनी पूरी ताकत के साथ नौका को नियंत्रित किया। उसके बाद डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए वे 35–40 फुट गहरे पानी में कूद पड़े । वे बहुत ही अच्छे तैराक थे और उन्होंने भरसक प्रयास करके एक महिला सहित तीन व्यक्तियों को खींचकर नाव में चढ़ा दिया । इस प्रयास में वे पूरी तरह थक गए थे और उनका दम फूलने लगा था। परन्तु वे पानी में डूबते हुए लोगों को न देख सके। अतः अपनी सुरक्षा की चिन्ता न करते हुए वे फिर पानी में कूद पड़े और एक महिला को बचाने के लिए तैरकर उसके समीप पहुंचे । उस भयातुर महिला ने उन्हें गर्दन से पकड़ लिया । सिपाही हीरा बल्लभ नगरकोटी ने डूबती हुई महिला को बचाने का अपनी पूरी ताकत के साथ प्रयास किया परन्तु बहुत अधिक थक जाने के कारण वे तैरकर नौका तक न आ सके और स्वयं डूब गए । वे बेहाल और पानी में डूबे हुए कीकर के पेड़ों की शाखाओं में उलझ गए तथा अपने आपको न बचा सके ।

इस प्रकार सिपाही हीरा बल्लभ नगरकोटी ने अपने जीवन की आहुति देकर डूबते हुए लोगों को बचाने में असाधारण साहस का परिचय दिया ।

12 1473314 सैपर महिपाल सिंह, इंजीनियर्स, (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 12 अक्तूबर, 1988)

सैपर महिपाल सिंह को एक बचाव दल के सदस्य के रूप में तैनात किया गया था। यह बचाव दल माल-जालन्धर मार्ग पर

नल्लूवाला गांव के समीप हवलदार सहदेव सिंह के नेतृत्व में कार्य कर रहा था । 12 अक्तूबर, 1988 को हवलदार सहदेव सिंह और उनके कर्मी दल के सदस्य लगभग 20 सिविलियनों को पार ले जा रहे थे कि नौका पलट गई महिलाएं, बच्चे और अन्य सभी व्यक्ति डूबने लगे। स्वर्गीय सैपर महिपाल सिंह ने अपनी पूरी शक्ति के साथ नौका को नियंत्रित किया और डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए 35–40 फुट गहरे पानी में छलांग लगा दी। बड़ी कठिनाई के साथ उन्होंने 3 व्यक्तियों को खींचकर नौका में चढ़ा दिया । इस प्रयास में वे पूरी तरह थक गए थे परन्तु अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए वे पुनः पानी में कूद पड़े । उन्होंने डूबते हुए लोगों को बचाने का भरसक प्रयास किया परन्तु वे इतने थक चुके थे कि स्वयं तैरकर नौका तक न आ सके और डूब गए ।

इस प्रकार सैपर महिपाल सिंह ने अपने जीवन की आहुति देकर डूबते हुए लोगों को बचाने में असाधारण साहस का परिचय दिया ।

13. 1556953 डब्ल्यू लांस नायक ओ ई एम बख्शीश सिंह

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 25 दिसम्बर, 1988)

दिसम्बर, 1988 में खारडुंगला दर्रे में भारी हिमपात हुआ और 20–25 फुट तक बर्फ जम गई । सीमा सड़क संगठन की 168 फोर्मेशन कटिंग प्लाटून की हिमांक परियोजना के अंतर्गत लांस नायक, ओ ई एम बख्शीश सिंह 25 दिसम्बर 1988 को अपने डोजर के साथ बर्फ हटाने के काम में लगे हुए थे। उसी समय एक भारी हिमखण्ड नीचे गिरा और लांस नायक बख्शीश सिंह अपने डोजर के साथ उसके नीचे दब गए । लांस नायक बख्शीश सिंह इस विपत्ति से तनिक भी विचलित नहीं हुए और घायल होने के बावजूद श्रमिकों की सहायता से उन्होंने अपना डोजर बर्फ से बाहर निकाल लिया । अपने घावों की परवाह न करते हुए और भीषण बर्फीले तूफान का सामना करते हुए इस डिजर आपरेटर ने फिर से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया । कार्य पूरा होने में शाम हो गई और उसके बाद ही लांस नायक बख्शीश सिंह ने अपने घावों की ओर ध्यान दिया ।

इस प्रकार लांस नायक बख्शीश सिंह ने उत्कृष्ट कर्तव्य परायणता तथा अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने कार्य को पूरा करने के दृढ़ निश्चय का परिचय दिया ।

14. 1077271 सवार ऋतु राज पांडेय, कवचित कोर ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 13 जनवरी, 1989)

81 कवचित कोर रेजिमेंट के सवार ऋतु राज पांडेय, 10 जनवरी 1989 से वार्षिक छुट्टी पर अपने भाई के साथ पटना में थे। 13 जनवरी, 1989 को रात लगभग आठ बजे अचानक चीख-पुकार के कारण उनकी आंख खुली । वे तेजी से घर से बाहर आए और देखा कि तीन सशस्त्र व्यक्ति श्री संजय कुमार से उनका वीडियो कैमरा छीनने का प्रयास कर रहे हैं। श्री संजय कुमार जोर-जोर से सहायता के लिए पुकार रहे थे। वहां पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे परन्तु कोई भी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था । सवार ऋतु राज पांडेय अपने जीवन को जोखिम में डालकर श्री संजय कुमार की सहायता के लिए आगे । परन्तु कंधे में गोली लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल होने के बावजूद उन्होंने श्री संजय कुमार और उनके वीडियो कैमरा को बचाने में सफलता प्राप्त कर ली।

इस प्रकार सवार ऋतु राज पांडेय ने अपने जीवन को गंभीर खतरे में डालकर डकैती के प्रयास को विफल करने में असाधारण साहस का परिचय दिया ।

15. जी/88757-एच, पायनीयर उत्तमान,

(मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 28 जनवरी, 1989)

सीमा सड़क संगठन की सेवक परियोजना टी 1654 पायनीयर कम्पनी के पायनीयर उत्तमान 28 जनवरी, 1989 को दिन का काम खत्म हो जाने के बाद सेंगनीपाल न्यू मामताल रोड पर रोड रोलर चला कर वापस आ रहे थे । सड़क का ढलान नीचे की ओर था । अचानक रोलर में खराबी आ गई और उसकी ब्रेक प्रणाली ने काम करना बंद कर दिया । परिणामस्वरूप रोलर तेज गति से दौड़ने लगा और अनियंत्रित हो गया । आगे सड़क पर बहुत से बच्चे खेल रहे थे । इन बच्चों को बचाने के लिए पायनीयर उत्तमान ने रोलर को पहाड़ी की ओर मोड़ दिया और रोलर को चढ़ाई की ओर जाने वाली एक छोटी सड़क पर ले जाकर रोकने की कोशिश करने लगे । इस प्रयास में रोलर लुढ़क कर एक तरफ उलट गया और पायनीयर उत्तमान उसके नीचे दब कर मर गए ।

पायनियर उत्तमान रोड रोलर के अनियंत्रित होने पर न तो आतंकित ही हुए और न ही अपनी जान बचाने के लिए उससे कूदे बल्कि उन्होंने धैर्य एवं असाधारण कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया तथा अपनी जान देकर सड़क पर खेल रहे अबोध बच्चों की जान बचाई ।

16. विंग कमांडर चेकुरी मोहन राव (10561), उड़ान (पायलट) । (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 26 फरवरी, 1989)

फरवरी, 1989 में विंग कमांडर चेकुरी मोहन राव की यूनिट को बारा-लाचा-ला से हिम तथा हिमस्खलन अध्ययन स्थापना (एस ए एस ई) बारह हताहतों को बचाने के अभियान पर जाने के लिए कहा गया । ये हताहत बर्फ से ढके क्षेत्रों में एक गंभीर अवलांश में फंस गए थे । विंग कमांडर राव ने यह कठिन कार्य करने का स्वयं जिम्मा उठाया और बचाव कार्रवाई के लिए दो चीता हेलीकाप्टरों के एक सेक्शन का नेतृत्व किया।

असाधारण कौशल और उत्कृष्ट साहस का प्रदर्शन करते हुए 26 फरवरी, 1989 को उन्होंने अत्यंत खतरनाक मौसम में रोहतांग दर्रा पार किया और 16000 फुट की ऊंचाई पर बारा-लाचा-ला में एक छोटे और बर्फ से ढके हेलीपैड पर सफलतापूर्वक उत्तर कर हिम तथा हिमस्खलन अध्ययन स्थापना के तीन हताहतों को निकाल कर मनाली पहुंचाया। दोबारा ईंधन लेकर और अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए उन्होंने फिर उड़ान भरी और बिगड़ते मौसम में बारा-लाचा-ला में उतर गए। वापसी उड़ान में विंग कमांडर के साथ उनका एक सह पायलट और हिम तथा हिमस्खलन अध्ययन स्थापना के तीन हताहत थे । बारा-लाचा-ला से उड़ान भरते ही उनके हेलीकाप्टर में तेज कम्पन होने और वायुयान नियंत्रण से लगभग बाहर हो गया । यह वायुयान की विकट आपातस्थिति थी जिसकी गंभीरता साफ दिखाई न देने और बिगड़ते मौसम के कारण और भी बढ़ गई थी । अपने असाधारण, उड़ान कौशल का इस्तेमाल करते हुए वे वस्तुतः नियंत्रण से बाहर हुए वायुयान को एक पहाड़ी ढलान पर एक मात्र

उपलब्ध बहुत छोटे चपटे भूमि खंड की तरफ ले गए। विपरीत अवतरण के अंतिम चरणों में अदम्य साहस का परिचय देते हुए उन्होंने अपना हेलीकाप्टर इस ढंग से मोड़ा कि पहाड़ी ढलान के साथ लगे धक्के का ज्यादा असर उन्होंने खुद झेला। हेलीकाप्टर बैठे अन्य व्यक्ति जीवित तो बच गए परन्तु विंग कमांडर राव गंभीर रूप से घायल हो गए और उस ऊंचाई पर शून्य से भी कम तापमान और खतरनाक मौसम में 12 घंटे जीवित रहने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया।

विंग कमांडर चेकुरी मोहन राव ने उत्कृष्ट साहस और अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण निष्ठा का परिचय दिया और वायुसेना की उच्च परम्परा के अनुरूप अपने जीवन का बलिदान दे दिया।

17. 843014 लांस नायक बीरबहादुर छेत्री, 9 गोरखा राइफल्स।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि: 16 मार्च, 1989)

3/9 गोरखा राइफल्स के लांस नायक बीर बहादुर छेत्री को 16 मार्च, 1989 को भारतीय स्टेट बैंक से कुछ दस्तावेज और स्टेशन मुख्यालय रांची से डाक लाने के लिए भेजा गया। जब वे रास्ते में थे, एक विस्फोट हो गया। उन्होंने देखा कि सिविल कपड़ों में दो व्यक्ति लोगों को भयभीत कर रहे हैं। उनमें से एक के हाथ में काला थैला और दूसरे के हाथ में पिस्तौल थी। उन्होंने उन दोनों व्यक्तियों से पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। इतने में उनमें से एक ने लांस नायक छेत्री की ओर विस्फोटक सामग्री फेंकी और वे भागने लगे। लांस नायक छेत्री ने उनका पीछा किया। उन व्यक्तियों ने अपना पीछा न करने की बार-बार चेतावनी दी परन्तु पिस्तौल द्वारा गोली चलाए जाने से दाहिने हाथ की हथेली के घायल होने के बावजूद लांस नायक छेत्री ने उनका पीछा करना जारी रखा। अन्त में उनमें से एक बदमाश ने किसी मकान में घुसकर अन्दर से कुण्डी बन्द कर ली। लांस नायक छेत्री भी मकान में घुस गए और जोरदार संघर्ष के बाद उन्होंने बदमाश को काबू में कर लिया और उसे पुलिस को सौंप दिया।

इस प्रकार लांस नायक बीर बहादुर छेत्री ने बदमाशों से टक्कर लेकर अनुकरणीय नागरिक भावना, अदम्य साहस तथा असाधारण वीरता का परिचय दिया।

18. श्री अनाथ भट्टाचार्यजी,
मिदनापुर,
पश्चिम बंगाल।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 15 अप्रैल, 1989)

15 अप्रैल, 1989 को श्री अनाथ भट्टाचार्यजी अपने बड़े भाई श्री भूषण भट्टाचार्यजी के साथ छत पर काम कर रहे थे। उसी समय उन्होंने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी और उसके बाद गांव में शोर गुल मच गया। लगभग 300 गज की दूरी पर उन्होंने एक विमान को गिरा हुआ देखा। विमान में आग लग गई थी और उसमें से धुएं के गुब्बारे उठ रहे थे। अन्य ग्रामवासी लोगों को बार-बार विमान के पास न जाने की चेतावनी दे रहे थे। फिर भी श्री अनाथ भट्टाचार्यजी अपने भाई के पीछे दौड़ते विमान के पास पहुंच गए और विमान के पायलट लेफ्टिनेंट यू. सोंधी की आवाज सुनी जो सहायता के लिए पुकार रहे थे। श्री अनाथ भट्टाचार्यजी ने अपने बड़े भाई श्री भूषण भट्टाचार्यजी के साथ मिलकर जलते हुए विमान के मलबे से पायलट को निकालने की कोशिश की परन्तु पायलट का बांया पैर फंसा हुआ था इसलिए वे उन्हें आसानी से न निकाल सके। जलती हुई आग और भीषण गर्मी की तनिक भी परवाह न करते हुए श्री अनाथ भट्टाचार्यजी ने पायलट को उस समय तक संभाले रखा जब तक उनके बड़े भाई पायलट की फंसी हुई टांग को निकालने में सफल न हुए। जैसे ही श्री अनाथ भट्टाचार्यजी और उनके बड़े भाई पायलट को जलते हुए मलबे से निकाल कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे विमान में एक धमाके के साथ भीषण आग लग गई।

श्री अनाथ भट्टाचार्यजी ने अपने जीवन को खतरे में डालकर ध्वस्त विमान के जलते हुए मलबे में फंसे हुए पायलट लेफ्टिनेंट सोंधी के प्राणों की रक्षा करके अनुकरणीय साहस, दृढ़ निश्चय एवं उत्कृष्ट बहादुरी का परिचय दिया।

19. श्री भूषण भट्टाचार्यजी,
मिदनापुर,
पश्चिम बंगाल।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 15 अप्रैल, 1989)

15 अप्रैल, 1989 को श्री भूषण भट्टाचार्यजी अपने छोटे भाई श्री अनाथ भट्टाचार्यजी के साथ छत पर काम कर रहे थे। उसी समय उन्होंने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी और उसके बाद गांव में शोरगुल मच गया। लगभग 300 गज की दूरी पर उन्होंने एक विमान को गिरा हुआ देखा जिसमें आग लगी हुई थी और काफी धुआं निकल रहा था। अन्य ग्रामवासी लोगों को बार-बार विमान के पास न जाने की चेतावनी दे रहे थे। विमान में तेल भरा हुआ था और फिर भी श्री भूषण भट्टाचार्यजी अपने छोटे भाई के साथ दौड़ कर जलते हुए विमान के पास पहुंच गए और विमान के पायलट लेफ्टिनेंट यू. सोंधी की आवाज सुनी जो सहायता के लिए पुकार रहे थे। श्री भूषण भट्टाचार्यजी ने अपने छोटे भाई अनाथ भट्टाचार्यजी के साथ मिलकर जलते हुए विमान के मलबे से पायलट को निकालने की कोशिश की परन्तु पायलट का बायां पैर फंसा हुआ था। इसलिए वे उसे आसानी से न निकाल सके। जलती हुई आग और भीषण गर्मी की तनिक भी परवाह न करते हुए श्री अनाथ भट्टाचार्यजी ने पायलट को संभाले उस समय तक रखा जब तक उनके बड़े भाई पायलट की फंसी हुई टांग को निकालने में सफल न हुए। जैसे ही श्री भूषण भट्टाचार्यजी और उनके भाई पायलट को जलते हुए मलबे से निकाल कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे विमान में एक धमाके के साथ भीषण आग लग गई।

श्री भूषण भट्टाचार्यजी ने अपने जीवन को खतरे में डालकर ध्वस्त विमान के जलते हुए मलबे में फंसे हुए पायलट लेफ्टिनेंट सोंधी के प्राणों की रक्षा करके अनुकरणीय साहस, दृढ़ निश्चय एवं उत्कृष्ट बहादुरी का परिचय दिया।

20. लेफ्टिनेंट उदय कुमार सोंधी,
02897-एच (पायलट),
भारतीय नौ सेना।

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 15 अप्रैल, 1989)

15 अप्रैल, 1989 को लेफ्टिनेंट उदय कुमार सोंधी को एक सामरिक विरचना में नं. 2 के रूप में उड़ान भरने के लिए प्राधिकृत किया गया था। वायुयान को अंतिम चरण पर मोड़े जाने तक उड़ान सामान्य थी। अवतरण मोड़ लेने की कोशिश करने पर लेफ्टिनेंट सोंधी को पता चला कि नियंत्रण कालम जाम हो गया है और ये अंतिम चरण पर वायुयान को मोड़ नहीं सके। असाधारण फुरती और जागरूकता दिखाते हुए इन्होंने तरबोडाइन डम्प वाल्व का सही प्रयोग किया और बहुत ही कम प्रतिक्रिया समय उपलब्ध होने के बावजूद थ्रोटल को खोल दिया। फिर भी इससे वायुयान पर केवल सीमित नियंत्रण हो पाया और ये पलटी

से निकल नहीं सके। एक आबादी वाले गांव में वायुयान के टकराए जाने की संभावना थी, स्वयं को भारी खतरे के बावजूद लेफ्टिनेंट सोंधी ने वायुयान में ही रहने के अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन किया। इन्होंने गांव से दूर रहने के लिए अपने पास उपलब्ध सीमित नियंत्रण का इस्तेमाल किया और अनेक लोगों की जान बचाते हुए वायुयान को लेकर एक खुले और आबादी रहित क्षेत्र में गिर गए। वायुयान गिर जाने के बाद इसमें और इनके उड़ान वस्त्रों में आग लग जाने पर भी लेफ्टिनेंट सोंधी ने विलक्षण सूझबूझ, धैर्य और व्यावसायिकता का परिचय देते हुए इनकी सहायता के लिए वहां आ गए असैनिक लोगों को प्रेरित किया। भूमि पर गिरने में लेफ्टिनेंट सोंधी का बायां टखना जाम हो गया परन्तु शरीर को छूती लपटों और पीड़ा का प्रशंसनीय ढंग में सामना करते हुए, वे अपनी टांग को घसीटते हुए बाहर आ गए। वस्तुतः आग में जलते हुए भी इन्होंने जलते हुए मलबे से इन्हें बाहर खींचने के लिए स्थानीय लोगों से कहा। इस अग्निपरीक्षा में ये 45% गंभीर रूप से जल गए और बाद में इनकी बाईं टांग घुटने के नीचे से काटनी पड़ी।

लेफ्टिनेंट उदय कुमार सोंधी ने बहुत ही नाजुक परिस्थिति में उत्कृष्ट साहस और सूझ-बूझ का परिचय दिया।

21. श्री डूंगर राम गटियाला, (मरणोपरान्त)
जोधपुर (राजस्थान)।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 19 अप्रैल, 1989)

19 अप्रैल, 1989 को आतंकवादियों का एक गिरोह राजस्थान के गंगानगर जिले में सदूल कस्बे में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा को लूटने आया। बैंक गार्ड श्री जागूराम अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए आतंकवादियों को बैंक में घुसने से रोकने के प्रयास में उनसे भिड़ पड़े, जबकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि आतंकवादी रिवाल्वरों से लैस हैं और उनके साथ मुठभेड़ में जान भी जा सकती है। इस मुठभेड़ में आतंकवादियों की गोली से श्री जागूराम की मृत्यु हो गई। बैंक गार्ड को मारने के बाद आतंकवादी बैंक में घुस गए। इस बीच बैंक के प्रबन्धक, श्री डूंगर राम गटियाला को डकैती के इस प्रयास का पता चल गया। उन्होंने बिना कोई क्षण खोए अलार्म बजा दिया और अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने कमरे से बाहर आकर उनमें से एक को पकड़ने की कोशिश करने लगे। इस बीच एक आतंकवादी ने उन पर गोली चला दी और उन्होंने बैंक को लूटने से बचाने के इस महान कार्य में अपने प्राणों की आहुति दे दी।

बैंक प्रबंधक, श्री डूंगर राम गटियाला और बैंक गार्ड, श्री जागूराम ने उत्कृष्ट साहस एवं कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया और अपने प्राणों की बाजी लगाकर 5 करोड़ रुपये की भारी राशि की बैंक डकैती को विफल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

22. श्री जागूराम,
झुंझुणु (राजस्थान) (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 19 अप्रैल, 1989)

19 अप्रैल, 1989 को आतंकवादियों का एक गिरोह राजस्थान के गंगानगर जिले में सदूल कस्बे में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा को लूटने आया। बैंक गार्ड, श्री जागूराम अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए आतंकवादियों को बैंक में घुसने से रोकने के प्रयास में उनसे भिड़ पड़े जबकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि आतंकवादी रिवाल्वरों से लैस हैं और उनके साथ मुठभेड़ में जान भी जा सकती है। इस मुठभेड़ में आतंकवादियों की गोली से श्री जागूराम की मृत्यु हो गई। बैंक गार्ड को मारने के बाद आतंकवादी बैंक में घुस गए। इस बीच बैंक के प्रबंधक श्री डूंगर राम गटियाला को डकैती के इस प्रयास का पता चल गया। उन्होंने बिना कोई क्षण खोए अलार्म बजा दिया और अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने कमरे से बाहर आकर उनमें से एक को पकड़ने की कोशिश करने लगे। इस बीच एक आतंकवादी ने उन पर रिवाल्वर से गोली चला दी जिससे उनकी भी मृत्यु हो गई।

बैंक गार्ड, श्री जागूराम और बैंक के प्रबन्धक, श्री डूंगर राम गटियाला ने उत्कृष्ट साहस एवं कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया और अपने प्राणों की बाजी लगाकर 5 करोड़ रुपये की भारी राशि की बैंक डकैती को विफल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

राजीव महर्षि,
राष्ट्रपति का उप सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 1990

स. ए-11019/5/87-प्रशा.-I.—राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड, जिसे दिनांक 10 सितम्बर, 1987 के समसंख्यक संकल्प द्वारा स्थापित किया गया था, 1 अप्रैल, 1990 से समाप्त माना जायेगा।

दीपक दासगुप्ता, संयुक्त सचिव

इलेक्ट्रानिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च 1990

संकल्प

स. 15(32)/89-एस. डी. ए.-खण्ड-III.—भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि इलैक्ट्रानिकी विभाग, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत "सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, पुणे" के नाम से एक संस्था स्थापित की जाए।

2. इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय पुणे में होगा।

3. इस संस्था के मुख्य उद्देश्य नीचे दिए गए हैं :—

(क) आंकड़ा सम्पर्क के माध्यम से सॉफ्टवेयर के विकास तथा निर्यात के लिए भूसंरचनात्मक सुविधाएं स्थापित करना तथा उनका प्रबंध करना जैसे कि संचार की सुविधाएं, मुख्य कम्प्यूटर, भवन, अन्य सुविधाएं आदि, तथा (निर्यात के प्रयोजन से सॉफ्टवेयर के विकास का कार्य करने वाले) प्रयोगकर्ताओं को सेवाएं उपलब्ध कराना।

(ख) सॉफ्टवेयर तथा सॉफ्टवेयर सेवाओं के विकास तथा निर्यात का कार्य करना।

(ग) निर्यात संवर्धन से संबंधित कार्यकलाप करना जैसे कि प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन, बाजार का विश्लेषण, बाजार का विभाजन आदि।

(घ) सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यवसायियों को प्रशिक्षण देना तथा/अथवा उन्हें तैयार करना।

(ङ) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सॉफ्टवेयर इंजीनियरी के क्षेत्र में डिजाइन तथा विकास के कार्य करना और उसे बढ़ावा देना।

4. सचिव, इलेक्ट्रानिकी विभाग, भारत सरकार साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, पुणे के "विजिटर" (निरीक्षणाधिकारी) होंगे।

5. पुणे स्थित साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का प्रबंध भारत सरकार, इले. विभाग द्वारा यथाअनुमोदित प्रतिष्ठान पत्र और नियमों तथा विनियमों के अनुसार अधिशासी परिषद् तथा स्थायी कार्यकारिणी बोर्ड द्वारा किया जाएगा। अधिशासी परिषद् तथा स्थायी कार्यकारिणी बोर्ड का गठन नीचे दिए अनुसार होगा :—

I. अधिशासी परिषद्

अध्यक्ष

1. इलेक्ट्रानिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा मनोनीत इलेक्ट्रानिकी विभाग का एक अधिकारी

सदस्य

2. महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि
3. कार्यकारी निदेशक, इलेक्ट्रानिकी तथा कम्प्यूटर निर्यात संवर्धन परिषद्
4. प्रौद्योगिकी पार्क में भाग लेने वाले प्रयोक्ता उद्योग के प्रतिनिधि
5. वित्तीय सलाहकार, इलेक्ट्रानिकी विभाग, भारत सरकार अथवा उनके प्रतिनिधि
6. वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि
7. साफ्टवेयर विकास प्रभाग, इलेक्ट्रानिकी विभाग, भारत सरकार के सदस्य
8. सचिव, इलेक्ट्रानिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा मनोनीत दो अधिकारी

सदस्य-सचिव

9. निदेशक, साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क

II. स्थायी कार्यकारिणी बोर्ड

संयोजक

(क) निदेशक, साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, पुणे

सदस्य

(ख) साफ्टवेयर विकास प्रभाग, इलेक्ट्रानिकी विभाग के प्रतिनिधि

(ग) वित्तीय सलाहकार, इलेक्ट्रानिकी विभाग के प्रतिनिधि

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा सभी संबंधित अधिकारियों को प्रेषित की जाए।

अनिल कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च 1990

संकल्प

सं. 8-2/90-आई. ज. एम. सी.—योजना आयोग के दिनांक 1 जून 1962 के संकल्प संख्या एक 13(39)/62-प्रशासन 1 द्वारा गठित भारत और जापान में आर्थिक विकास संबंधी अध्ययन समिति और 13 जनवरी, 1979 के संकल्प संख्या VIII-2/79-आई. जे. एम. सी. द्वारा भारत-जापान अध्ययन समिति के रूप में पुन. नामोद्दिष्ट तथा योजना आयोग के दिनांक 4 नवम्बर, 1985 के संकल्प संख्या VIII-2/85-आई. जे. एस. सी. द्वारा पिछली पुनर्गठित समिति का एतद् द्वारा निम्न प्रकार से पुनर्गठन किया जाता है :

अध्यक्ष

डा. ए. के. घोष

सदस्य

प्रो. सी. एन. आर. राव

श्री मनोष मोदी

श्री वीरेन शाह

श्री वाई. एल. अग्रवाल

श्री मकरंद दवे

प्रो. दीपक नयय्यर

सदस्य-सचिव

श्री एस. सी. गुप्त

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के मंत्रालयों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति के सैनिक सचिव और जापान में भारत के राजदूत को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

दिनांक 27 मार्च 1990

संकल्प

सं. एम-11011/1/90-भावी योजना—योजना आयोग के समसंख्यक संकल्प का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से एक सलाहकार पैनल का गठन करने का निर्णय लिया है जो नियमित आधार पर विकास का जायजा लेने के लिए योजना आयोग के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करके कार्य करेगा तथा विभिन्न नीति विषयक विकल्पों और कार्यक्रम संबंधी कार्य-नीतियों के बारे में सुझाव देगा।

2. पैनल में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(1) आचार्य राममूर्ति
श्रम भारती, खादी ग्राम
जिला मुंगेर
बिहार-811313

(2) डा. डी. टी. लाकड़ावाला
बिल्डिंग-5, लेडी एन-काट आर्फनेज
7, चौपाटी रोड
बम्बई-400007

(3) डा. के. एन. राज
नन्दवन
डालावा कुन्नु
कुमारपुरम
त्रिवेन्द्रम-695001

(4) डा. के. एस. कृष्णस्वामी
प्रणति
प्लाट नं. 1706, 14वां मेन
30वां क्रास, बनशंकरी स्टेज-।।
बंगलौर-560070

(5) डा. वी. कुरियन
अध्यक्ष
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड
आनंद (गुजरात) पिन-388001

(6) डा. अमूल्य रेड्डी
भारतीय विज्ञान संस्थान
बंगलौर-560012

(7) डा. वीना मजूमदार
निदेशक
महिला विकास अध्ययन केन्द्र
बी-43, पंचशील एन्क्लेव
नई दिल्ली-110017

(8) डा. वी. ए. पाई पनांदीकर
निदेशक
नीति अनुसंधान केन्द्र
धर्म मार्ग, चाणक्यपुरी
नई दिल्ली-110021

(9) डा. वाई. पी. नन्जप्पा
121, छटा क्रास, 10 मेन
राज महल विलास एक्सटेंशन
बंगलौर-560080

(10) डा. एम. बी. बोकारे
कुलपति
नागपुर विश्वविद्यालय
नागपुर-1

(11) प्रो. देव कुमार बोस
अध्यक्ष
प. बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड
तथा सदस्य,
राज्य योजना बोर्ड,
कलकत्ता

3. पैनल के कार्य के संबंध में, पैनल के सदस्य हवाई जहाज की उच्च श्रेणी या रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी द्वारा यात्रा करने के पात्र होंगे।

4. बाहर से आने वाले सदस्यों के लिए ठहरने का स्थान तथा भोजन की बैठक के स्थान पर व्यवस्था योजना आयोग द्वारा की जाएगी।

5. पैनल के जो सदस्य उपर्युक्त पैरा 4 और 5 में उल्लिखित सुविधाओं का लाभ नहीं उठाएंगे, वे उच्चाधिकार प्राप्त समितियों के सदस्यों को यथा अनुमत्य तथा व्यय विभाग के दिनांक 23 जून, 1986 के कार्यालय ज्ञापन सं. 19020/1/84-ई-4 (समय समय पर यथा संशोधित) में विनिर्दिष्ट दैनिक भत्ते अथवा वाहन भत्ते के पात्र होंगे। यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते तथा वाहन भत्ते पर होने वाला व्यय योजना आयोग द्वारा वहन किया जाएगा।

7. योजना आयोग के दिनांक 25 मार्च, 1983 के संकल्प संख्या ए-12034/2/83-प्रशासन-1 (समय समय पर यथा संशोधित) द्वारा गठित अर्थशास्त्रियों का पैनल तत्काल प्रभाव से कार्य करना बंद कर देगा।

8. यह संकल्प भारत के राजपत्र के भाग 1 खंड 1 में प्रकाशित दिनांक 21-2-90 में समसंख्यक संकल्प का स्थान लेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबद्ध व्यक्तियों को प्रेषित की जाए तथा इसे सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जगदीश चन्द्र अगरवाल, निदेशक (प्रशासन)

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली-3, दिनांक 29 मार्च 1990

संकल्प

सं. 12015/34/87-रा.भा. (त.क.)—राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4(1) के अधीन संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई थी। सरकारी कार्यालयों में देवनागरी में यांत्रिक सुविधाओं के प्रयोग के संबंध में सिफारिशें करते हुए समिति ने अपना द्वितीय प्रतिवेदन जुलाई, 1987 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4(3) के अनुसार इसे 29 मार्च, 1988 को लोक सभा में एवं 30 मार्च, 1988 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया। इसकी प्रतियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को भेजी गई। चूंकि सिफारिशों का संबंध विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में होने वाले कामकाज से है, अतः इस संबंध में उनसे भी राय ली गई। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त मतों पर विचार करने के बाद समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को मूल रूप में या कुछ संशोधन के साथ स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार अधोहस्ताक्षरी को राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4(4) के अधीन समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के संबंध में राष्ट्रपति के निम्नलिखित अनुसार आदेश सूचित करने का निदेश हुआ है :—

(1) समिति ने यह सिफारिश की है कि (क) 1990 तक 'क' क्षेत्र स्थित कार्यालयों में कम से कम 90% 'ख' क्षेत्र स्थित कार्यालयों में 66-2/3% और 'ग' क्षेत्र स्थित कार्यालयों में 25% टाइपराइटर देवनागरी के होने चाहिए। यह बात साधारण टाइपराइटर के अतिरिक्त पिन प्वाइंट, बुलेटिन और पोर्टेबल तथा बिजली चालित टाइपराइटरों पर भी लागू होती है। (ख) यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक कार्यालय में देवनागरी का कम से कम एक टाइपराइटर अवश्य हो और अतिरिक्त टाइपराइटरों की खरीद उपर वर्णित विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्धारित प्रस्तावित प्रतिशत के अनुसार की जानी चाहिए।

समिति की सिफारिश को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया गया है कि 1994-95 के अन्त तक समिति द्वारा प्रस्तावित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आदेश राजभाषा विभाग द्वारा निकाले जाएं । इन आदेशों में समिति की सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में राजभाषा विभाग के आदेशों की पुनरावृत्ति की जाये कि प्रत्येक कार्यालय में कम से कम देवनागरी का एक टाइपराइटर अवश्य हो और वर्तमान देवनागरी टाइपराइटरों में प्रत्येक वर्ष लगभग 20% वृद्धि करते हुए यह सुनिश्चित किया जाये कि वर्ष 1994-95 के अन्त तक समिति द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये जायें। इसी के अनुसार प्रत्येक वर्ष हिन्दी आशुलिपि तथा देवनागरी टाइपिंग के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए । यह लक्ष्य राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक वर्ष के अनुसार वार्षिक कार्यक्रम में भी परिलक्षित किये जाएं ।

(2) टाइपराइटरों के बारे में समिति ने यह सिफारिश की है कि

(क) इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों के अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि केवल देवनागरी के इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों का भी देश में निर्माण शीघ्रातिशीघ्र हो सके और उपलब्ध होने पर टाइपराइटरों की 'क' तथा 'ख' क्षेत्र स्थित कार्यालयों द्वारा की जाने वाली मांग को शीघ्र पूरा किया जा सके । इसके निर्माण तथा प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार को चाहिए कि इस प्रकार के टाइपराइटर पर उत्पाद शुल्क में विशेष रियायत दे ।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । इसके कार्यान्वयन के लिए इलैक्ट्रानिकी विभाग और उद्योग मंत्रालय आवश्यक कार्रवाई करें ।

(ख) यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जब तक केवल देवनागरी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक सभी कार्यालय केवल वही इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर खरीदें जिनमें रोमन के साथ-साथ देवनागरी टाइपिंग की सुविधा भी उपलब्ध हो ।

राजभाषा विभाग द्वारा 15 जून, 1987 को यह आदेश जारी किया जा चुका है कि केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में केवल द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर ही खरीदे जाएं । समिति की सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में राजभाषा विभाग द्वारा इन आदेशों को दोहराते हुए सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाए कि जब तक केवल देवनागरी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक सभी कार्यालय केवल वही इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर खरीदें जिनमें रोमन के साथ-साथ देवनागरी टाइपिंग की सुविधा भी उपलब्ध हो ।

(3) हिन्दी टाइपिंग तथा हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण के संबंध में समिति ने सिफारिश की है कि

(क) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हिन्दी टाइपिंग या हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित सभी कर्मचारियों की सेवाओं का हिन्दी के काम के लिए पूरा लाभ उठाया जाए ।

राजभाषा विभाग द्वारा आदेश जारी किए जाएं कि सभी प्रभागादि देवनागरी टंकण व आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाओं का हिन्दी के काम में समुचित उपयोग करें तथा जहां उनकी संख्या के अनुरूप टाइपराइटर उपलब्ध नहीं है, वहां तुरन्त देवनागरी टाइपराइटर खरीदे जाएं तथा यदि कोई अन्य कारण है, जिससे प्रशिक्षण कर्मचारियों की सेवाओं का हिन्दी के काम में उपयोग नहीं हो पा रहा हो तो उन कारणों को तुरन्त हटाया जाए।

(ख) जिन कर्मचारियों को अभी तक हिन्दी टाइपिंग अथवा हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, उन्हें एक समय-बद्ध योजना के अनुसार 1990 के अन्त तक इसमें प्रशिक्षित कराया जाए ताकि आवश्यकतानुसार वे हिन्दी में टाईपिंग तथा आशुलिपि का कार्य कर सकें ।

सिफारिश के इस भाग को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया गया है कि समयबद्ध योजना के अनुसार 1994-95 के अन्त तक हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए वर्तमान में शेष रहे लगभग सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए। इसके लिए प्रत्येक वर्ष राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम में हिन्दी आशुलिपिकों तथा देवनागरी टाइपिस्टों के लक्ष्यों में प्राय: 20% वृद्धि की जानी अपेक्षित होगी ।

(4) समिति ने यह सिफारिश की है कि हिन्दी टाइपिंग तथा हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण की वर्तमान व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए । इस समय इस प्रकार के प्रशिक्षण की सुविधाएं अत्यन्त सीमित हैं । विशेषकर अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में तो इनका प्राय: सर्वथा अभाव ही है । जहां-जहां भी निजी संस्थाओं में इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है वहां हिन्दी शिक्षण योजना के प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने चाहिए । यदि ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र अधिक नहीं खोले जा सकते तो संबंधित कर्मचारियों को कुछ समय के लिए इस प्रकार के गहन प्रशिक्षण के लिए चुने हुए प्रशिक्षण केन्द्रों में भेजा जाना चाहिए ।

समिति की सिफारिश मान ली गई है तथा इसके लिए केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान तुरन्त निम्नलिखित कदम उठाये —

(क) इस समय विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए बनी कार्मिक-शक्ति तथा उनके परिप्रेक्ष्य में वर्तमान प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का सर्वेक्षण ।

(ख) 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रशिक्षण विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्णकालिक तथा अंशकालिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलना ।

(ग) जहां संभव हो, राज्य सरकार अथवा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों में सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करवाना।

(घ) कुछ चुने हुए केन्द्रों में पूर्णकालिक प्रशिक्षण व्यवस्था तथा वहां पर गहन प्रशिक्षण के क्रैश कोर्सों का आयोजन।

इसके अतिरिक्त राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को सूचित करे कि ऐसे स्थानों पर, जहां सरकारी कर्मचारियों की संख्या इतनी अधिक नहीं है कि उनके लिए पूर्णकालिक/अंशकालिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएं और जहां पर स्वैच्छिक संस्थाओं आदि द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं है, वहां सरकारी कर्मचारियों का हिन्दी आशुलिपि तथा हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण निजी संस्थाओं, जैसे प्राइवेट कमर्शियल इन्स्टीच्यूट में कराये जाने की स्वीकृति तथा इस प्रशिक्षण पर कर्मचारियों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित कार्यालय द्वारा की जाए। साथ ही सभी कार्यालयों के लिए कहा जाए कि प्रत्येक कार्यालय में कम-से कम एक टंकण हिन्दी में प्रशिक्षित अवश्य हो । जहां कहीं आवश्यक तथा संभव हो इस प्रकार के प्रशिक्षित

टंकक को उक्त अप्रशिक्षित कर्मचारियों को हिन्दी के टंकण के प्रशिक्षण के लिए प्रयोग किया जाए और यह अतिरिक्त कार्य करने के लिए कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उन्हें कुछ मानदेय भी नियमानुसार दिया जाए ।

(5) समिति ने यह सिफारिश की है कि

(क) हिन्दी टाइपिंग तथा हिन्दी आशुलिपि के पाठ्यक्रम का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाना चाहिए और इनमें अद्यतन तकनीकी विकास को देखते हुए गुणात्मक सुधार किया जाना चाहिए ताकि ये टाइपिस्ट इलैक्ट्रिक तथा इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों पर भी सुविधापूर्वक कार्य कर सकें ।

यह सिफारिश मान ली गई है । इस सिफारिश के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान कुछ चुने हुए केन्द्रों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलायें, जिसमें इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण दिया जाए । शुरू में यह प्रशिक्षण केवल उन्हीं कार्यालयों के टाइपिस्टों को दिया जाए, जहां पर कम से कम एक इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर उपलब्ध है अथवा जहां इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर खरीदने का निर्णय लिया गया हो। इसके अतिरिक्त जहां-जहां द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर उपलब्ध हों, वहां संबंधित कंपनियों द्वारा भी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर पर काम करने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर खरीदने वाले कार्यालयों द्वारा इस संबंध में कंपनियों से अनुरोध किया जाए ।

(ख) इसी प्रकार टैलेक्स तथा टेलीप्रिंटर प्रचालकों के भी समय-समय पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

यह सिफारिश मान ली गई है, इसके कार्यान्वयन के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम दूरसंचार विभाग तथा केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा चलाए जाएं और इसके लिए समयबद्ध योजना शीघ्र बनाकर कार्यान्वित की जाए ।

(6) पतालेखी मशीनों के संबंध में समिति ने सिफारिश की है कि

(क) 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में रोमन पतालेखी मशीन के साथ देवनागरी एम्बोसिंग मशीनें लगाई जाएं ।

यह सिफारिश मान ली गई है । इस सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा आदेश जारी किया जाए । चूंकि 'ग' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में भी कई बड़े-बड़े कार्यालय ऐसे हैं, जिनमें काफी पत्र-व्यवहार 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों के कार्यालयों से होता है । अतः ऐसे कार्यालयों में भी द्विभाषी पतालेखी मशीनों का प्रावधान होना चाहिए । इसलिए आदेशों की परिधि में 'ग' क्षेत्र को भी सम्मिलित किया जाए ।

(ख) इन मशीनों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

पतालेखी मशीनों पर कार्यरत कर्मचारियों को हिन्दी भाषा का ज्ञान होना चाहिए । ऐसे कर्मचारियों को पतालेखी मशीन पर हिन्दी भाषा में काम करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए पतालेखी मशीन कंपनियों से अनुरोध किया जाए ।

(7) टेलीप्रिंटर/टैलेक्स के संबंध में समिति ने सिफारिश की है कि

(क) 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों के कार्यालयों में जहां केवल रोमन टेलीप्रिंटर लगे हुए हैं वहां उनके साथ-साथ देवनागरी टेलीप्रिंटर जून, 1988 तक लगाए जाने चाहिए।

यह सिफारिश संशोधन के साथ स्वीकार की गई है । चूंकि अब द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टैलेक्स मशीन का विकास हो चुका है और इन मशीनों का व्यावसायिक उत्पादन भी हो रहा है । उचित यही रहेगा कि रोमन टेलीप्रिंटरों को द्विभाषी टैलेक्स मशीनों से बदल दिया जाए ।

(ख) इसके साथ-साथ देवनागरी तथा रोमन के द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिन्टर और टैलेक्स के विकास में भी तेजी लाई जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि इसके विकास में तनिक भी विलम्ब नहीं किया जाए और उनके परीक्षण सफल होने के बाद वर्तमान रोमन इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटरों की बजाए द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर स्थापित किए जाएं । यह कार्य वर्ष 1988 के अंत तक पूरा हो जाना चाहिए ।

यह सिफारिश भी संशोधन के साथ स्वीकार की गई है । द्विभाषी टैलेक्स मशीन के विकास का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और वर्तमान रोमन इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटरों की बजाय द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टैलेक्स मशीनें वर्ष 1988 के अन्त तक लगाने की समय-सीमा भी पहले ही समाप्त हो चुकी है । इसलिए दूरसंचार विभाग अंग्रेजी-देवनागरी द्विभाषी टैलेक्स मशीनों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करे और यह सुनिश्चित करे कि सभी सरकारी कार्यालयों में अगले लगभग तीन वर्षों में, अर्थात् 30-9-1993 तक सभी टेलीप्रिंटर/टैलेक्स द्विभाषी हों। इसके लिए दूरसंचार विभाग एक समयबद्ध योजना बनाये, ताकि जहां एक ओर शीघ्रातिशीघ्र द्विभाषी टैलेक्स मशीनें कार्यालयों में उपलब्ध हों, वहां दूसरी ओर उन पर मुख्यतया देवनागरी में ही काम किया जाए ।

(ग) टेलीप्रिन्टर प्रचालकों को हिन्दी में कार्य करने का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए ।

टेलीप्रिंटरों के प्रचालकों को हिन्दी में प्रशिक्षण देने की सिफारिश मान ली गई है । दूरसंचार विभाग टैलेक्स प्रचालकों के हिन्दी प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध करे । इसके लिए भी वह एक समयबद्ध योजना बना कर कार्यान्वित करे । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान में भी टैलेक्स प्रचालकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए

(8) समिति ने यह सिफारिश की है कि देवनागरी लिपि में कार्य करने में सक्षम कंप्यूटर प्रणालियों और शब्द-संसाधक आदि खरीदने में सरकार द्वारा कड़ाई से कार्य किया जाना चाहिए और इस संबंध में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जानी चाहिए । इस विषय में राजभाषा विभाग द्वारा उच्चतम स्तर पर निगरानी रखी जानी चाहिए । इस सिलसिले में, सभी मंत्रालयों, आदि से प्रति तिमाही मंगाई जाए कि उन्होंने किस प्रकार की कम्प्यूटर प्रणालियां आदि लगाई हैं ।

समिति की इस सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा इस विषय में दिनांक 31-8-1987 को जारी किए गए आदेश की पुनरावृत्ति की जाए और सभी विभागों से अनुरोध किया जाए कि वे इस विषय में कड़ाई से काम लें । हालांकि राजभाषा नीति के प्रगामी प्रयोग के विषय में निर्धारित तिमाही प्रगति रिपोर्ट में कंप्यूटर प्रणाली आदि के विषय में पहले सूचना उपलब्ध रहती है, तथापि समिति की सिफारिश के मानते हुए राजभाषा विभाग द्वारा इस विषय में एक सर्वेक्षण किया जाए तथा इस सर्वेक्षण के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए ।

(9) समिति ने यह सिफारिश की है कि इलैक्ट्रानिकी विभाग में एक संगठन स्थापित किया जाना चाहिए जो विभिन्न प्रकार की इलैक्ट्रानिकी यांत्रिकी सुविधाओं में हिन्दी के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर उनके निर्माण और विकास के बारे में भी सरकार को सिफारिशें कर सकेगा। इस प्रकार के यंत्रों के निर्माण और विकास में तेजी लाने के लिए सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में क्या-क्या किया जा सकता है इसका पता भी लगा सकता है।

समिति की सिफारिश मान ली गई है इसके कार्यान्वयन के लिए इलैक्ट्रानिकी विभाग कम्प्यूटर विकास प्रभाग में एक विशेष सैल बनाए, जो कि विभिन्न प्रकार की इलैक्ट्रानिकी, यांत्रिकीय सुविधाओं में हिन्दी के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर उनके निर्माण और विकास के बारे में भी सरकार को सिफारिश करे तथा इस प्रकार के यंत्रों के निर्माण और विकास में तेजी लाने के लिए सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में क्या-क्या किया जा सकता है। इसका पता भी लगाए। इलैक्ट्रानिकी विभाग इस विषय में एक कार्यदल भी गठित करे, जिसमें राजभाषा विभाग तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के प्रतिनिधि भी हों। यह कार्यदल इन दो मदों पर विचार-विमर्श करके एक वर्ष के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिस पर इलैक्ट्रानिकी विभाग के कम्प्यूटर विकास प्रभाग का विशेष सैल कार्यान्वयन के लिए प्रभावी कदम उठाए तथा राजभाषा विभाग से निरन्तर तालमेल रखे।

(10) समिति ने यह सिफारिश की है कि देवनागरी में कंप्यूटर प्रणालियों के लिए हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर का निर्माण और विकास प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। ऐसा सोफ्टवेयर तैयार किया जाए जिससे केवल देवनागरी में प्रोग्रैमिंग किया जा सके।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है। इलैक्ट्रानिकी विभाग इस बात को सुनिश्चित करे कि देवनागरी कम्प्यूटर प्रणाली के लिए हार्डवेयर तथा सोफ्टवेयर का विकास और निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, जिससे केवल देवनागरी में भी डाटा प्रोसेसिंग की जा सके। इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित भारतीय भाषाओं के लिए टैक्नालाजी विकास मिशन की योजना शीघ्र कार्यान्वित की जाए और यह कार्य एक निर्धारित समय-सीमा में सम्पन्न किया जाए।

(11) समिति ने यह सिफारिश की है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम (क्लास) में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके लिए स्कूलों में कम्प्यूटर के माध्यम से हिन्दी तथा हिन्दी के माध्यम से अन्य विषयों की शिक्षा के बारे में आवश्यक सोफ्टवेयर का विकास भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम के संबंध में प्रचार सामग्री तथा परिचय पुस्तिकाएं हिन्दी में उपलब्ध कराई जाएं। इस कार्यक्रम में लगाए गए सभी कंप्यूटरों पर हिन्दी के सोफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहिए।

समिति की सिफारिश मान ली गई है इसके कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग समयबद्ध योजना के अनुसार काम करे।

(12) हिन्दी एक ध्वन्यात्मक भाषा है। अन्य भारतीय भाषाओं की भी यही विशेषता है। इसलिए समिति की यह सिफारिश है कि ऐसी प्रौद्योगिकी का विकास और निर्माण किया जाए जिससे कम्प्यूटर द्वारा बोलने पर ही संदेश रिकार्ड कर लिया जाए अर्थात् कम्प्यूटर में 'इनपुट' के लिए देवनागरी अथवा रोमन लिपि के कीबोर्ड पर टाइप करने की आवश्यकता न हो और केवल मौखिक उच्चारण से ही उसमें अपेक्षित सामग्री भरी जा सकती हो। इसके लिए इलैक्ट्रानिकी विभाग को आवश्यक कदम उठाने चाहिए और शोध कार्य करना चाहिए।

समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है और इसके कार्यान्वयन के लिए इलैक्ट्रानिकी विभाग एक समयबद्ध योजना बनाए जिसमें मौखिक उच्चारण द्वारा हिन्दी में निर्देश कंप्यूटर में डालने के लिए अनुसंधान आदि किया जाए।

(13) समिति ने यह सिफारिश की है कि या तो लाइन प्रिंटर के स्थान पर आधुनिकतम लेजर प्रिंटर लगा दिए जाएं जिनमें देवनागरी मुद्रण संभव है अथवा देवनागरी के लाइन प्रिंटर का विकास करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

देवनागरी में उच्चगति के लाइन प्रिंटरों को देश में शीघ्र उपलब्ध करवाने के विषय में समिति की सिफारिश मान ली गई है तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग इस विषय में शोध कार्य, विकास तथा निर्माण को बढ़ावा दे। इलैक्ट्रानिकी विभाग इस विषय में राजभाषा विभाग को समय-समय पर अवगत कराए तथा राजभाषा विभाग इलैक्ट्रानिकी विभाग से प्राप्त सूचना तकनीकों तथा अन्य संस्थाओं को उपलब्ध कराये, ताकि विभिन्न संस्थान हिन्दी माध्यम से काम करने की क्षमता वाले अद्यतन प्रिंटर आदि अपने यहां लगवा सकें।

(14) समिति ने यह सिफारिश की है कि कम्प्यूटरों का प्रचुर मात्रा में उपयोग करने वाले कार्यालय जैसे बैंक, रेलें, एयरलाइन्स, रक्षा संगठन आदि यह सुनिश्चित करें कि उनके अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हिन्दी में सोफ्टवेयर का विकास तथा निर्माण क्षमता के आधार पर किया जाए।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है। राजभाषा विभाग इस विषय में इलैक्ट्रानिकी विभाग से अद्यतन जानकारी प्राप्त करके सभी सरकारी कार्यालयों तथा संस्थाओं को इस विषय में अवगत कराने तथा उनमें साफ्टवेयर विकास की समयबद्ध योजना बनाने के निर्देश दे।

(15) कम्प्यूटरों में देवनागरी टर्मिनल लगाए जाने के संबंध में समिति ने सिफारिश की है कि

(क) जिन कंप्यूटरों में केवल रोमन में कार्य करने की सुविधा है वहां देवनागरी टर्मिनल भी तत्काल लगाए जाने चाहिएं।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है। कम्प्यूटरों में 'जिस्ट' टर्मिनल या कार्ड लगाए जाने के विषय में राजभाषा विभाग अद्यतन तकनीक के बारे में सभी सरकारी कार्यालयों को सूचित करे तथा उनसे वर्तमान रोमन कम्प्यूटरों में जिस्ट प्रणाली या कार्ड आदि लगाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करे।

(ख) जिन विभागों में ऐसे पुराने कंप्यूटर हैं जिनमें तकनीकी कारणों से द्विभाषी सुविधा प्रदान नहीं की जा सकती उन्हें नवीनतम द्विभाषी कम्प्यूटरों में बदलना ही लागत की दृष्टि से अधिक लाभकारी होगा।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है। राजभाषा विभाग द्वारा इस सिफारिश को सभी सरकारी कार्यालयों के ध्यान में लाया जाए और उन्हें इसे कार्यान्वित करने के लिए कहा जाए।

(16) समिति ने यह सिफारिश की है कि

(क) इलैक्ट्रानिकी विभाग को केवल ऐसे कम्प्यूटरों की व्यवस्था के लिए स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए जिन पर हिन्दी में प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग की सुविधा हो।

समिति की सिफारिश मान ली गई है इसके कार्यान्वयन के लिए इलैक्ट्रानिकी विभाग विचार करे तथा आवश्यक कार्रवाई करे ।

(ख) इलैक्ट्रानिकी विभाग को यह भी देखना चाहिए कि उन्होंने अन्य विभागों को जो कंप्यूटर उपलब्ध कराए हैं उनमें देवनागरी टर्मिनल उपलब्ध हैं या नहीं । जहां-जहां ऐसे टर्मिनल नहीं लगाए गए हैं वहां देवनागरी टर्मिनल जोड़ने और हिन्दी मुद्रण की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (योजना आयोग) समिति की इस सिफारिश को कार्यान्वित करे ताकि उनके द्वारा अन्य विभागों को उपलब्ध कराये गये कंप्यूटरों में देवनागरी टर्मिनल जोडने और हिन्दी मुद्रण की व्यवस्था की जाए ।

(ग) इलैक्ट्रानिकी विभाग को कंप्यूटर से संबंधित पुस्तकें भी मूल रूप से हिन्दी में प्रकाशित करा के उन सभी विभागों/कार्यालयों को भेजी जानी चाहिए जहां उनके द्वारा कंप्यूटर लगाए गए हैं ।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र इलैक्ट्रानिकी विभाग से सम्पर्क स्थापित करे तथा समिति की इस सिफारिश को कार्यान्वित करे ताकि कंप्यूटरों से संबंधित पुस्तकें मूल रूप में हिन्दी में प्रकाशित करा कर उन सभी विभागों/मंत्रालयों आदि को भेजी जा सके जहां उनके द्वारा कंप्यूटर लगाए गए हैं ।

(17) समिति ने यह सिफारिश की है कि तकनीकी प्रकार के अथवा सरल प्रकार के अनुवाद कार्य के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करने की कोशिश की जानी चाहिए ।

समिति की सिफारिश मान ली गई है। इसके कार्यान्वयन के लिए इलैक्ट्रानिकी विभाग कंप्यूटर द्वारा अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं से हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद संबंधी प्रोजेक्ट बनाकर शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ करे ।

(18) समिति ने यह सिफारिश की है कि एक व्यावहारिक कंप्यूटर शब्दावली तैयार की जानी चाहिए जो छोटे आकार की हो और जिसकी कीमत काफी कम हो । इसके अतिरिक्त इसका समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में निरन्तर हो रहे अनुसंधान के कारण जो शब्द प्रचलित हों वे भी इसमें जोड़े जा सकें ।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने व्यावहारिक कंप्यूटर शब्दावली तैयार कर ली है और इस विषय पर पुस्तक छप भी चुकी है । अतः समिति की यह सिफारिश कार्यान्वित की जा चुकी है। तथापि समिति की इस सिफारिश के दूसरे हिस्से पर वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भविष्य में यथा समय कार्रवाई करे ।

(19) समिति ने यह सिफारिश की है कि शब्द-संसाधक और इलैक्ट्रानिकी टाइपराइटरों के कंजीपटलों पर देवनागरी वर्ण भी उत्कीर्ण किए जाने चाहिएं । आदेश देने की कंजियों पर भी देवनागरी में आदेश उत्कीर्ण करने के बारे में निर्माता फर्मों को आदेश दिए जाने चाहिए ।

इस सिफारिश पर उद्योग मंत्रालय आवश्यक कार्रवाई करे तथा राजभाषा विभाग स्वयं भी कंप्यूटरों के कंजीपटल आदि बनाने वाली कंपनियों को इस विषय में लिखे । इसके अतिरिक्त राजभाषा विभाग सभी विभागों को यह निर्देश दे कि वे केवल वही कंप्यूटर आदि खरीदें, जिनके कंजीपटल पर सभी आदेश द्विभाषी रूप में उत्कीर्ण किए गए हों ।

(20) केवल द्विभाषी उपकरण लगाए जाने के संबंध में समिति ने सिफारिश की है कि

(क) सभी कार्यालय तथा उपक्रम केवल रोमन के कम्प्यूटर शब्द-संसाधक, टेलीप्रिंटर आदि न खरीद कर देवनागरी में कार्य करने की सुविधा वाले उपकरण ही स्थापित करें।

सरकारी कार्यालयों में केवल ऐसे कम्प्यूटर, शब्द-संसाधक टेलीप्रिंटर आदि स्थापित किए जाएं, जिनमें देवनागरी में कार्य करने की सुविधाएं उपलब्ध हों, इस प्रकार के आदेश पहले ही दिनांक 30 मई, 1985 को जारी कर दिए गए थे। इन आदेशों की पुनरावृत्ति की जाए ।

(ख) कम्प्यूटर, शब्द-संसाधक आदि की खरीद के लिए जांच बिंदु इलैक्ट्रानिकी विभाग को बनाया जाए।

समिति की सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गई है कि कम्प्यूटर तथा शब्द संसाधक आदि की खरीद के लिए जांच बिंदु प्रत्येक विभाग का प्रशासन प्रभाग तथा इसमें किसी प्रकार की छूट देने के लिए जांच बिंदु राजभाषा विभाग रहेगा ।

(ग) टैलेक्स/टेलिप्रिंटर की खरीद के विषय में जांच बिंदु दूरसंचार विभाग को बनाया जाए।

समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली गई है दूरसंचार विभाग इस विषय में आवश्यक कार्रवाई करे।

(21) समिति ने यह सिफारिश की है कि विभिन्न सरकारी विभागों में किए जाने वाले एक ही प्रकार के कार्य जैसे वेतन बिल आदि हिन्दी में बनाने के लिए इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा आवश्यक सोफ्टवेयर तैयार किया जाना चाहिए जिससे कम्प्यूटर द्वारा हिन्दी में कार्य करने के लिए सभी विभागों को सुविधा हो।

समिति की सिफारिश मान ली गई है इसके लिए इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र आवश्यक कार्रवाई करें।

(22) समिति ने यह सिफारिश की है कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि द्विभाषी रूप में कार्य कर सकने वाले उपकरण जिनमें कम्प्यूटर आदि शामिल हैं, सस्ते उपलब्ध हो सकें और किसी भी दशा में उनका मूल्य केवल रोमन में कार्य कर सकने वाली मशीनों से अधिक न हो।

समिति की सिफारिश मान ली गई है इलैक्ट्रानिकी विभाग इस विषय में उत्पाद शुल्क आदि में रियायत करवा कर ऐसी व्यवस्था करे कि द्विभाषी कम्प्यूटरों आदि का मूल्य किसी भी हालत में केवल रोमन में कार्य कर सकने वाली मशीनों से अधिक न हो।

(23) समिति ने यह सिफारिश की है कि राजभाषा विभाग का इस प्रकार से पुनर्गठन किया जाए जिससे कि राजभाषा नीति के सुचारू अनुपालन के लिए किसी प्रकार की कठिनाई न हो। राजभाषा विभाग को पूरी तरह सशक्त और साधन संपन्न बनाया जाए।

समिति की सिफारिश मान ली गई है।

(24) समिति ने यह सिफारिश की है कि तार भेजने के लिए देवनागरी सोफ्टवेयर का निर्माण इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि. हैदराबाद द्वारा करवा किया जाए ताकि इसके अभाव में देवनागरी तार भेजने में कोई कठिनाई न हो।

यह सिफारिश मान ली गई है। दूरसंचार विभाग इसके कार्यान्वयन के लिए तुरन्त कार्रवाई करे।

(25) समिति ने यह सिफारिश की है कि चूंकि तार भी पत्राचार का ही एक रूप है इसलिए राजभाषा नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों तथा राज्य सरकारों और उनके कार्यालयों तथा अन्य व्यक्तियों आदि को तथा 'ग' क्षेत्र में स्थित अधिसूचित कार्यालयों को सभी सरकारी तार केवल देवनागरी में ही भेजे जाएं।

समिति की सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गई है कि जहां-जहां देवनागरी में तार भेजने की सुविधा उपलब्ध है, वहां स्थित कार्यालयों से सभी तार राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हिन्दी में ही भिजवाए जाएं।

(26) समिति ने यह सिफारिश की है कि कम्प्यूटरों के देवनागरी कुंजीपटल का मानकीकरण 1987 के अंत तक संपन्न कर लिया जाना चाहिए।

समिति की सिफारिश पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी है।

(27) प्रोत्साहनों के संबंध में समिति ने सिफारिश की है कि :—

(क) अंग्रेजी टाइपिंग और आशुलिपि जानने वालों को हिन्दी टाइपिंग और आशुलिपि सीखने पर और रोमन के साथ-साथ हिन्दी टाइपिंग और आशुलिपि का कार्य करने पर विशेष प्रोत्साहन क्रमशः 20/- रु. एवं 30/- रु. प्रतिमास दिया जाता है जो कि अत्यंत न्यून और अनाकर्षक है, इसे बढ़ाकर क्रमशः 100/- रु. और 200/- रु. कर दिया जाना चाहिए।

(ख) टेलीप्रिंटर तथा कम्प्यूटर प्रचालकों को भी दोनों भाषाओं में काम करने के लिए कुछ विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिया जाना चाहिए और यह विशेष प्रोत्साहन कुछ समयावधि यथा पांच वर्ष तक ही दिया जाना चाहिए ताकि इस दौरान कर्मचारी को दोनों भाषाओं में काम करने का अनुभव प्राप्त हो जाए।

रोमन के साथ-साथ हिन्दी टाइपिंग और आशुलिपि का कार्य करने पर विशेष प्रोत्साहन क्रमशः 20/- रु. एवं 30/- से बढ़ाकर 40/- रु. और 60/- रु. कर दिया गया है। इस आशय के आदेश 16-7-1987 को जारी किए गए थे। राजभाषा विभाग, समिति की इस सिफारिश के अनुरूप, प्रोत्साहन की राशि बढ़ाने का मामला पुनः वित्त मंत्रालय को भेजे तथा कम्प्यूटर और टैलेक्स आपरेटरों को भी इस आदेश की परिधि में लाया जाए। समिति की इस सिफारिश पर कि इस प्रकार का प्रोत्साहन कुछ समयावधि, यथा पांच वर्ष तक ही दिया जाना चाहिए, पांच वर्ष के पश्चात् पुनः विचार किया जाए।

(28) समिति ने यह सिफारिश की है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत सरकार को सभी प्रकाशन द्विभाषी रूप में साथ-साथ ही निकाले जाएं, यह आवश्यक है कि सभी सरकारी मुद्रणालयों में हिन्दी तथा अंग्रेजी के मुद्रण कार्य की सुचारू व्यवस्था उपलब्ध हो और हिन्दी के मुद्रण कार्य का स्तर अंग्रेजी के मुद्रण कार्य से किसी भी प्रकार से कम न हो। यह भी आवश्यक है कि मुद्रण कार्य में लगे हुए अधिकारियों और कर्मचारियों जैसे—कम्पोजिटरों, प्रूफरीडरों आदि को हिन्दी भाषा में कार्य करने का अपेक्षित प्रशिक्षण अथवा अनुभव प्राप्त ।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है मुद्रण निदेशालय इस विषय में अपेक्षित कार्रवाई करे।

(29) राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में एक निश्चित प्रतिशत को देवनागरी टाइपराइटर खरीदने और प्रत्येक कार्यालय में कम से कम एक देवनागरी टाइपराइटर उपलब्ध कराने तथा हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों पर कार्य करने में सक्षम इलैक्ट्रानिक यंत्रों/उपकरणों आदि की खरीद के बारे में आदेश जारी किए गए हैं। किन्तु विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा उपक्रमों आदि द्वारा समुचित अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है जिससे कि राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग की गति अवरुद्ध हुई है और अंग्रेजी के प्रयोग को बढ़ावा मिला है। इस संबंध में समिति ने यह सिफारिश की है कि राजभाषा नियमों के नियम 12 के अनुसार जिन विभागाध्यक्षों ने इस संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों का समुचित रूप से अनुपालन नहीं किया है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।

समिति की सिफारिश मान ली गई है इसके कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा सभी कार्यालयों का ध्यान समिति की सिफारिश की ओर दिलाया जाए तथा राजभाषा विभाग द्वारा इस बारे में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा जाए।

(30) समिति ने यह सिफारिश की है कि 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में जहां द्विभाषी यंत्र लगाए जाएं वहां उन यंत्रों का राजभाषा संबंधी नियमों के अनुसार मुख्यतः हिन्दी में कार्य करने के लिए ही प्रयोग किया जाए। इसके लिए मजबूत और कारगर जांच बिंदु बनाए जाएं तथा इनका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान किया जाए।

'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में जहां द्विभाषी यंत्र लगाए जाएं वहां उन यंत्रों का राजभाषा संबंधी नियमों के अनुसार मुख्यतः हिन्दी में कार्य करने के लिए ही प्रयोग करने, इसके लिए मजबूत और कारगर जांच बिंदु बनाए जाने तथा इनका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान किए जाने के बारे में समिति की सिफारिश मान ली गई है तथा इस विषय में राजभाषा विभाग निर्देश जारी करे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

निधि कान्त महाजन, संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 1990

सं. एफ. 9-17/84-यू-3—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयोग की सलाह पर यह घोषणा करती है कि दक्कन स्नातकोत्तर कालेज और अनुसंधान संस्थान, पुणे को पूर्वोक्त अधिनियम के उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था समझा जाएगा।

दिनांक 12 मार्च 1990

सं. 30-4/89-यू.3—भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के नियमों के नियम 13 के साथ पठित नियम में शामिल प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार ने प्रो. इरफान हबीब, अध्यक्ष, उच्च अध्ययन केन्द्र, इतिहास विभाग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ को तत्काल से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया है।

आदेश

आदेश है कि संकल्प की एक प्रतिलिपि निदेशक, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, 35 फिरोजशाह रोड़, नई दिल्ली को भेजी जाए।

यह भी आदेश है कि संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस. जी. मांकड, संयुक्त सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 1990

संकल्प

सं. 604/2/89-एन. पी.-1/आर. एन. आई./जे. एस. (पी)—इस मंत्रालय के दिनांक 2 जून 1989 के संकल्प संख्या 604/2/89-एन. पी.-1/आर. एन. आई/जे. एस. (पी) के अनुक्रम में, निम्नलिखित गैर सरकारी सदस्यों को एतद्द्वारा दिनांक 1-4-1990 से एक वर्ष के लिए अखबारी कागज कीमत निर्धारण सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है :—

गैर-सरकार सदस्य

1. श्री महेन्द्र मोहन गुप्त—भारतीय समाचार पत्र सोसायटी के नामिती
2. श्री अरूण पुरी—भारतीय समाचार पत्र सोसायटी के नामिती
3. श्री किरन आर. सेठ—भारती भाषा समाचार पत्र परिसंघ के नामिती
4. श्री राजेन्द्र शर्मा—भारती भाषा समाचार पत्र परिसंघ के नामिती
5. श्री हरभजन सिंह—अखिल भारतीय लघु और मझौले समाचार पत्र परिसंघ के नामिती

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

इमत्याज अहमद खान, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 6th April 1990

No. 25-Pres/90.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the Officer

Shri Ranjit Singh,
Inspector No. 620140276,
41, Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of Services for which the decoration has been awarded :

On the 11th December, 1988, the Superintendent of Police (Operations), Tarn Taran received information that some terrorists are taking shelter in one of the farm houses in village Talwandi Shoba Singh, Police Station Patti. A search and raid of the suspected hide-out was planned in the early hours of the 12th December, 1988. The Superintendent of Police (Operations) collected one platoon of 'C' Company and two sections of 'B' Company of 41 Battalion, Central Reserve Police Force, alongwith the local police. The two sections were led by Inspector Ranjit Singh and the Platoon of 'C' Company was led by another Inspector.

The party first searched the farm house of Shri Jagir Singh but found nothing. Then they proceeded to the farm house of Shri Gurbachan Singh, which has two built-up rooms with semi-pucca roof and the entire complex surrounded by a mud wall. As the party approached the farm house, one person was seen running towards residential rooms from the tubewell inside the farm house, who alerted the terrorists. The terrorists opened fire with AK-47 Rifles on the police party. Shri Ranjit Singh directed one Lance Naik to site his LMG on the east side of the farm house to counter the escape of terrorists into the adjoining sugarcane fields. He deployed another Constable to cover the door of the rooms with constant fire so that the terrorists could not come out of the rooms. Shri Ranjit Singh deployed his men with utmost speed displaying courage without caring for his personal safety.

The firing was stopped for some time, so that the innocent members of the house may not be killed in the firing. The members of the house were asked to come out and surrender. Two men, two women and three children of the family, came out of the house. On interrogation they told that there are two well-armed terrorists, are in the rooms. One terrorist, pretending to be grandson of Banta Singh, also came out. On interrogation he confessed that he was terrorist Kikkar Singh.

Firing continued from both sides, but the fire proved ineffective as the terrorists were entrenched inside the rooms. Shri Ranjit Singh climbed on the roof and lobbed one Grenade through one of the doors of the house. The terrorists opened heavy fire on Shri Ranjit Singh. Without caring for his personal safety, he lobbed another Grenade through the other door. Thereafter, the terrorists closed both the doors.

Shri Ranjit Singh, promptly reacted to the new strategy of the terrorists and made a hole in the roof and successfully lobbed Greanades inside. But after sometime the terrorists again started firing. It was learnt that both the rooms are internally connected with a door. When greanades were fired in one room the terrorists shifted to the other room and vice-versa. Shri Ranjit Singh ordered one Head Constable to climb the roof and made a hole in the second room also. Now Shri Ranjit Singh and the Head Constable manned both the holes and lobbed grenades simultaneously with intervals so as to trap the hiding terrorists in any of the rooms. After sometime the firing stopped from inside the rooms. Under covering fire Shri Ranjit Singh alongwith SHO, Valtoha crawled along the boundary wall and managed to peep through the window and noticed no movement inside the rooms. Shri Ranjit Singh desplayed extraordinary courage and leaped into the room and sprayed bullets from his stengun to kill the terrorists, who might be pretending to be dead. He was followed by SHO, Valtoha. Similarly they scanned the other room and found both the terrorists dead. Both the terrorists were later identified as Rattan Singh and Santok Singh alias Rekhi of Amritsar.

In this encounter, Shri Ranjit Singh, Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 12th December, 1988.

No. 26-Pres/90.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Names and rank of the Officers

Shri Chander Pal Singh,
Lance Naik No. 710510873,
65 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Saudan Singh,
Constable No. 800652925,
65 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri L. B. Swamy,
Constable No. 850800087,
65 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On the 16th May, 1989, at about 1500 hours, a patrolling party of 65 Battalion, Central Reserve Police Force, under the command of a Head Constable alongwith one ASI of Punjab Police, 1 Naik, Shri Chander Pal Singh, Lance Naik, Shri Saudan Singh and Shri L. B. Swamy, Constables and a Constable/Driver went for patrolling the area of Police Station Sadar, Moga. When the patrolling party was on Ludhiana—Ferozepur Road, one kilometre away from Dagru railway road—crossing, Ferozepur side, they saw a three-wheeler in which only one passenger was sitting. Suspicion arose in the minds of patrolling party, because at that peak hours when other three-wheelers were plying with full of passengers, why on that particular three-wheeler only two men were travelling.

After parking the jeep at a safe place, the patrolling party stopped that three-wheeler and asked about their identity. Suddenly one of them took out his pistol and opened fire on the police party. Lance Naik Chander Pal Singh with Constables Saudan Singh and L.B. Swamy simultaneously fired on the terrorists. One of the bullets fired by Shri Chander Pal Singh hit the terrorist on his right thigh near the stomach. Constable Saudan Singh took prompt action and first bullet fired by him hit the terrorist on the right hand in which he was holding a pistol. Simultaneously one of the bullets fired by Constable L. B. Swamy hit the terrorist on his left hand in which he was holding a pistol. As a result of this accurate firing by these three officers, the terrorist fell on the ground and died on the spot. However, the other terrorist managed to escape under the cover of thick bushes. The dead terrorist was later identified as Amrik Singh alias Lalli of Pakhia Kalan.

In this encounter Shri Chander Pal Singh, Lance Naik, Shri Saudan Singh and Shri L. B. Swamy, Constables displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 16th May, 1989.

No. 27-Pres/90.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Pilice Force :—

Name and rank of the officer

Shri Birender Singh Negi, (Posthumous)
Constable No. 850795558,
30 Battalion,
Central Reserve Police Force

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On the 6th December, 1988 at about 2000 hours, Deputy Superintendent of Police of 30 Battalion, Central Reserve Police Force along with two sections and SHO Garhshankar with his party left for patrolling in three jeeps (including Constable Birender Singh Negi). On the way, SHO Garhshankar received message on wireless about the presence of suspected extremists in a house on the outskirts of village Daulatpur. On reaching near the village at about 2130 hours, the party was divided into two groups. One party moved from the left and other from the right side to cordon the house and prevent the escape of terrorists. After covering all possible escape routes, SHO Garhshankar knocked at the main gate of the house and simultaneously the other party personnel took positions inside the compound wall and the Deputy Superintendent of Police, Central Reserve Police Force, knocked at the entrance door of the house. On receiving the response from inside, the police party asked them to open the door. On hearing this, the lights inside the house were switched off and suspicious movements were heard. On this Constable Birender Singh Negi alongwith another Constable got suspicious and immediately climbed on the roof. Suddenly terrorists fired a burst from the roof of the house where they had climbed over the compound wall. After firing the burst both the terrorists ran and jumped into the street towards the village. Constable Negi jumped after them into the street and scuffled with one of them. The other terrorist fired a burst towards Constable Negi which hit him on the left side of his chest. This weakened his grip on the youth, who got himself freed and both the terrorists started running in two different directions. Constable Negi even after the bullet injuries fired at him with his SLR, as a result of this the extremist fell down in the street. The other Police personnel also fired on the extremist who managed to escape under the cover of darkness. When the firing stopped and the area was searched Constable Negi was found dead. The terrorist, who fell down in the street was also found dead. He was later identified as Jaswinder Singh of village Mahatpur.

In this encounter Shri Birender Singh Negi, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 6th December 1988.

The 26th January 1990

No. 28-Pres/90.—The President is pleased to approve the award of the 'Param Vishisht Seva Medal' to the undermentioned personnel for distinguished service of the most exceptional order :—

1. Lieutenant General Gurinder Singh (IC-6123), AVSM, Armoured Corps.
2. Lieutenant General Faridoon Noshir Bilimoria (IC-6403), Infantry.
3. Lieutenant General Harjut Singh (IC-6126), MVC, Armoured Corps.
4. Lieutenant General Gurdial Singh Grewal (IC-7013), Armoured Corps.
5. Lieutenant General Vijai Singh (IC-7034), Armoured Corps.
6. Lieutenant General Jagmohan Singh Rawat (IC-6616), VSM, Infantry.
7. Lieutenant General Kuldeep Singh Khajuria (IC-6715), Armoured Corps.
8. Lieutenant General Gorakh Nath (IC-6529), AVSM, Army Service Corps.
9. Lieutenant General Naresh Pal Singh Bal (IC-7616), Infantry.
10. Lieutenant General Suraj Prakash (MR-0660), Army Medical Corps.
11. Lieutenant General Ram Kumar Gaur (IC-6730), Infantry.
12. Lieutenant General Harbans Lal (IC-6945), VSM, EME (Retired).
13. Major General Vinod Badhwar (IC-6701), VSM, Infantry.
14. Vice Admiral Surendra Prakash Govil, AVSM (00165-Z).
15. Vice Admiral Heathwood Johnson, VSM (00179-F).
16. Air Marshal Har Krishan Oberai, AVSM, VM (4583), Flying (Pilot).
17. Air Marshal Raj Kumar Mehra, VSM (4518) Aeronautical Engineering (Mechanical).
18. Air Marshal Brijesh Dhar Jayal, AVSM, VM & Bar (4972), Flying (Pilot).
19. Air Marshal Gandharva Sen, AVSM, VM (4429) Flying (Pilot) (Retired).

No. 29-Pres/90.—The President is pleased to approve the award of the 'Ati Vishisht Seva Medal' to the undermentioned personnel for distinguished service of an exceptional order :—

1. Lieutenant General Ajab Singh Bhullar (IC-6125), EME.
2. Major General Ananta Bhanu Gorthi (IC-8620), VSM, JAG's Deptt.
3. Major General Gian Singh Bains (IC-7019), Signals.
4. Major General Ravi Eipe (IC-11566), Infantry.
5. Major General Mohinder Jit Singh Chhatwal (IC-7904), Infantry (Retired).
6. Major General Jagjit Singh Herr (IC-6765), Artillery (Retired).
7. Major General Chengapa Samuel (IC-7827), Infantry (Posthumous).
8. Major General Jwaleshwari Pratap (IC-7375), Army Service Corps (Posthumous).
9. Brigadier Farouk Framroze Cowasjee Bulsara (IC-13234), Infantry.
10. Brigadier Bhupal Singh Malik (IC-13198), Infantry.
11. Brigadier Palande Kashinath Manajirao (IC-13539), Infantry.
12. Brigadier Mohan Lal Sapra (MR-994), VSM, Army Medical Corps.
13. Rear Admiral Prakash Narayan Gour (50036-T).
14. Rear Admiral Avinash Chandra Bhatia (60066-N).
15. Rear Admiral Soumirajulu Ramsagar, Vr C, NM (00379-K).
16. Rear Admiral Keki Pestonji, NM (00398-B).
17. Commodore Surinder Singh Bawa (40127-Y).
18. Commodore Ramlal Gulshan Kumar (00451-Z).
19. Commodore Ravindar Sikka (00484-Z).
20. Captain Madhvendra Singh (00502-R), Indian Navy.
21. Air Vice Marshal Sudheer Rajaram Kaikare (5083) Flying (Navigator).
22. Air Vice Marchal Ranjit Singh Bedi, VM (5120) Flying (Pilot).
23. Air Commodore Satish Kumar Sareen, VM (5370) Flying (Pilot).
24. Air Commodore Ajai Kumar Brahmawar, VM (5858) Flying (Pilot).
25. Air Commodore Subhash Chander Madan, VSM (5965) Aeronautical Engineering (Electronics).
26. Air Commodore Chitta Ranjan Ghosh, VM (6141) Flying (Pilot).
27. Air Commodore Lawrence Aloysious Menezes, VM (5280) Flying (Pilot) (Retired).
28. Group Captain Sham Rao, VSM (6200), Accounts.
29. Group Captain Amar Jeet Singh Sodhi (6388), Aeronautical Engineering (Mechanical).
30. Group Captain Chittatoor Doraiswamy Chandrasekhar, VM (8426) Flying (Pilot).

No. 30-Pres/90.—The President is pleased to approve the award of 'Bar to Ati Vishisht Seva Medal' to the undermentioned person for distinguished service of an exceptional order :—

Brigadier Satish Chander Kashyap (IC-11691), AVSM, 11 Garhwal Rifles.

No. 31-Pres/90.—The President is pleased to approve the award of 'Uttam Yuddh Seva Medal' to the undermentioned personnel for distinguished service of an exceptional order :—

1. Major General Jameel Mahmood (IC-8517), Artillery.
2. Brigadier Samay Ram (IC-12840), VSM, Infantry
3. Brigadier Kamal Dhari Sinha (IC-12959), Infantry.
4. Brigadier Loganathan Rangaswamy (IC-12899), Mechanisid Infantry.
5. Brigadier Shivaji Shripati Patil (IC-13799), Infantry.
6. Brigadier Dinesh Singh Chauhan (IC-13951), Infantry.
7. Commodore Sushil Kumar, NM (00449-W).

No. 32-Pres/90.—The President is pleased to approve the award of 'Maha Vir Chakra' to the undermentioned person for acts of conspicuous gallantry :—

SECOND LIEUTENANT RAJEEV SANDHU (SS-33343), 7 ASSAM. (POSTHUMOUS)

(Effective date of the award : 19th July 1988).

On the 19th July 1988 Second Lieutenant Rajeev Sandhu was leading a convoy of two vehicles from Madurang Keni Kulam to Mangani in Sri Lanka for collection of dry rations. On the way his jeep was suddenly fired upon by the militants with rockets and AK-47 and 7.62 rifles. He was seriously wounded and a direct hit of a rocket completely mutilated both his legs. Totally crippled and bleeding profusely, he tumbled out of the jeep with his 9 milimeter carbine and crawled to a fire position. Presuming that every one in the vehicle had been filled one of the militants came out of hiding and approached the jeep to pick up the weapons and ammunition. But all was not over yet for Second Lieutenant Rajeev Sandhu. Despite the fact that his legs were totally smashed and his body was perforated with bullets, he lifted his carbine with his blood soaked hands, sprayed the militant with bullets and killed him. The militant was later found to be none other than Kumaran of the group led by Batticaloa Sector militant leader Karuna

Second Lieutenant Rajeev Sandhu blunted every effort of the militants to come anywhere near his fallen comrades or their weapons. He displayed conspicuous courage and made the supreme sacrifice of his life in keeping with the traditional martial spirit of the Indian Army.

No. 33-Pres/90.—The President is pleased to approve the award of 'Vir Chakra' to the undermentioned persons for acts of gallantry :—

1. FLIGHT LIEUTENANT ATANU GURU (16794), FLYING (PILOT)

(Effective date of the award : 26th October 1987)

Flight Lieutenant Atanu Guru was inducted into the Air Force Element of the Indian Peace Keeping Force in Sri Lanka with the very first fleet of Abkars while he was still undergoing conversion. On the 26th October 1987 Flt Lt Atanu Guru flew in a mission ex-Jaffna to search and destroy militants' vehicles operating on the Jaffna Karaitivu causeway. Five vans were located on the causeway attempting to flee towards Karaitivu. With extraordinary accuracy and commendable calmness, he destroyed these vehicles and killed all the militants aboard these vehicles.

On the 3rd November 1987 Flt Lt Atanu Guru flew in a close air support mission for one of the Commando Battalions of the Para Regiment. The Commandos were surrounded by the militants and subjected to heavy automatic fire. He engaged the militants' locations on the Para Commando perimeter. These locations were within three hundred metres of friendly forces. The militants engaged the aircraft with automatic weapons using tracer ammunition and scored a hit. In spite of the visible stream of ground fire, Flt Lt Atanu Guru engaged the militants. His action forced the militants to retreat from the positions. The Para Commandos won this action solely because of the air support provided by Flt Lt Atanu Guru's determined attack on militants' positions.

On the 7th December, 1987 Flt Lt Atanu Guru flew in a search and destroy mission in support of one of the Commando Battalions of the Para Regiment in area Mulaitivu. The militants disembarked from a tractor and opened fire at the aircraft. In complete disregard of personal safety, Flt Lt Atanu Guru swiftly and accurately returned the fire and silenced the militants' guns. Subsequent intercepts of militant radio messages showed that the devestating fire had destroyed the tractor and killed and wounded several militants.

On the 15th December 1987 while engaging a militant vehicle carrying reinforcements against a battalion of Garhwal Rifles in Mulaitivu area, the militants opened fire and the aircraft was hit on the main rotor blade. Despite this and intense militants' fire, Flt Lt Atanu Guru returned the fire and destroyed the van

Flight Lieutenant Atanu Guru, thus, displayed conspicuous gallantry in a series of missions undertaken in support of IPKF ground forces.

2. WING COMMANDER KRISHAN KUMAR YADAV (12032), FLYING (PILOT).

(Effective date of the award : 9th November 1987)

On the night of 9th November 1987, at 2330 hours, Wing Commander Krishan Kumar Yadav, task force commander, heliborne operations in Jaffna, was called upon by one of the Division Commanders to undertake an emergent mission in which 180 commandos of one of the Para Battalions were to be dropped at Sabainai to neutralise a strong hold of the militants. Knowing the guerrilla warfare tactics and the prevailing ground situation, Wing Commander Yadav made a prudent assessment of the situation and flew initially a single aircraft with limited troops to the dropping zone to guard against the possibility of large unescorted heliborne force getting destroyed by ground fire before it could reach the target. His appreciation proved correct. Just after the force had landed, the militant guerrillas opened heavy ground fire on the helicopter and took a pot shot on Wing Cdr Yadav's aircraft. A brave and dedicated leader, Wg Cdr Yadav took control of his aircraft and returned the helicopter safely to the base. Undeterred by operational hazards of guerrilla warfare and the fierce ground fire encountered in the previous sortie, he led the remaining two sorties shortly after the first mission and accomplished the task of dropping all 180 troops at the designated place even though the ground fire still persisted.

Wing Commander Krishan Kumar Yadav displayed gallantry, professionalism and selfless devotion to duty in action against the militants.

3. CAPTAIN RAVINDER SINGH CHOPRA (IC-37083), 7 MADRAS

(Effective date of the award : 21st April 1988).

On the 21st April, 1988 Captain Ravinder Singh Chopra volunteered to accompany his Commanding Officer to intercept the militants at Urithirapuram in Sri Lanka. As they and their two platoons neared the target area, they were fired upon by the militants. In order to cover the move of his column as also to preempt any attempt by the militants to escape, Captain Chopra along with his party manoeuvred to a flank in the face of and through intense automatic fire. He spotted a militant firing at the troops and with an accurate aim he shot the militant dead. At this moment, the Commanding Officer got hit and collapsed. Captain Chopra rushed to his side and in the process was himself hit by three or four bullets in his thighs, a graze across the chin and also a direct hit on his right hand which shattered his right thumb and detached it from the hand. He also sustained two punctures on the front Portion of his chest. Despite these injuries he continued to fire from his own weapon as also pass orders to the platoon commanders directing their fire and movement. The militants now broke off action and withdrew. Captain Ravinder Singh Chopra reorganised his platoons and returned to the base from where he was evacuated to the hospital

Captain Ravinder Singh Chopra, thus, displayed conspicuous courage and valour in action against the militants.

4. 4061833 RIFLEMAN KULDIP SINGH, 11 GARHWAL RIFLES *(Posthumous)*

(Effective date of the award : 24th May, 1988)

On the 24th May, 1988 a Company of 11 Garhwal Rifles, in which Rifleman Kuldip Singh was light machine gunner number one, was tasked to search and sweep the area in jungles south of Alampil (Sri Lanka) where a huge militant hideout had been located the previous day. His section came under heavy fire from the front and right. In the initial volley of heavy fire, light machine gunner number 2 was fatally wounded. In the absence of his comrade, Rifleman Kuldip Singh kept engaging the militants for quite some time. Finding a few more of his colleagues injured and lying around him, he realised the gravity of the situation and in spite of intense volume of militants' fire, Rifleman Kuldip Singh lifted his comrade on his back and helped one more colleague of his to evacuate them to his platoon Headquarters. Without any loss of time, he came back to his position and found that militants' fire had become more intense from his right. He immediately changed his position and started engaging the militants' position. In the process, Rifleman Kuldip Singh, who gave a vicious fight to the militants could be easily singled out by his adversaries and ultimately become the target of their burst fire which pierced his head. In this action, Rifleman Kuldip Singh tenaciously held his position till he was killed.

Rifleman Kuldip Singh, thus, displayed conspicuous courage and valour in action against the militants.

5. FLIGHT LIEUTENANT MANAVENDRA SINGH (16983), FLYING (PILOT)

(Effecetive date of the award : 26th June 1988)

Since the 1st March, 1988 Flight Lieutenant Manvendra Singh has been on the posted strength of an Operation Helicopter Unit.

Flt Lt Manvendra Singh has to his credit the successful carrying out of over 2000 operational missions and over 1000 sorties to the highest helipad in the hospitable terrain of the Siachen Glacier. Between the 26th June, and the 21st August 1988 on eight separate occasions at three different helipads on the Siachen Glacier, Flt Lt Manavendra Singh faced the additional challenges of incessant firing from enemy's small arms and artillery. He has faced this grim situation, every time with exceptional courage, skill and gallantry. Being a dedicated soldier, he always undertook such missions with enthusiasm in spite of being well aware of the inherent dangers. His gallant conduct has been a source of inspiration to all personnel of his unit besides upholding the great traditions of the Indian Air Force.

6. 4346957 LANCE HAVILDAR BISHNU BAHADUR THAPA, 4 ASSAM *(Posthumous)*

(Effective date of the award : 2nd July 1988)

Lance Havildar Bishnu Bahadur Thapa was a section commander during search operation in area Viswamadu in Sri Lanka from the 2nd July to the 3rd July 1988. As his section was approaching general area Viswamadu it came under a very heavy fire of AK-47, G-3 Rifles and hand grenades. The fire was so sudden that two members of his section were injured before they could react. Lance Havildar Bishnu Bahadur Thapa was also injured as a number of bullets went through his body. But undeterred by the flying bullets and splinters Lance Havildar Bishnu Bahadur Thapa moved ahead and observed 18 to 20 militants occupying a dominant position and firing at his section. He moved his section to a position behind the cover and returned the fire. In the encounter that ensued, he himself occupied a position behind a tree and brought down accurate and lethal fire on the militants. The devastating fire brought by his section unnerved the militants who were seen making preparations for leaving their position. While the exchange of fire was on a grenade was hurled at Lance Havildar Bishnu Bahadur Thapa which burst in the air inflicting a very severe injury on his head. He succumbed to the injury and died while firing at the militants. Later on the examination of his dead body revealed 16 bullets wounds on his body.

Lance Havildar Bishnu Bahadur Thapa, thus displayed conspicuous courage and valour in action against the militants.

7. 4356647 SEPOY RABI KUMAR DEB BARMA, 4 ASSAM *(Posthumous)*

(Effective date of the award : 3rd July 1988)

Sepoy Rabi Kumar Deb Barma was a Rifleman in his Platoon tasked to carry out search of area astride road Mullaitivu (Sri Lanka). On the 3rd July 1988 when his platoon was carrying out its task, it came under a very heavy fire of AK-47, G-3 and hand grenades. The fire was so intense that before the platoon could occupy a suitable position from where they could return the fire, three personnel were hit by bullets and were incapacitated temporarily. Sepoy Rabi Kumar Dev Barma observed that there were 18 to 20 militants. He immediately went to the ground and crawled towards the militants. His action motivated others to follow him. When he was in close range of the militants, he fearlessly charged and killed one militant dead and injured another. The charge by the section unnerved the militants who immediately came out of their position and ran for their lives. Sepoy Barma pursued the militants and as he was doing so, a burst of AK-47 rifle hit him on the left side of the chest. This brave soldier later succumbed to the injury.

Sepoy Rabi Kumar Deb Barma displayed conspicuous courage and valour in action against the militants.

8. 2578762 HAVILDAR SHANMUGA SUNDARAM, 5 MADRAS

(Effective date of the award : 16th July 1988)

On the 16th July 1988 a mobile patrol consisting of one Junior Commissioned Officer and 15 Other Ranks was sent out to area Pannakam and Tolpuram/Chulipuram in Sri Lanka to kill/apprehend a group of armed militants reported to have been seen in that area. When the patrol reached near Victoria College Tolpuram, it came under heavy fire from the militants and almost half of the patrol party including the patrol leader were seriously injured. Havildar Shanmuga Sundaram immediately assumed the duties of the patrol leader and ordered his colleagues to jump out of the vehicles and start firing at the militants. The Non Commissioned Officer himself took up appropriate fire position in the varandah of a shop and started engaging the militants effectively. Despite serious injuries and in total disregard for his life he charged single handedly at the advancing militants while continuing to fire from the hip. In this most daring act and against overwhelming odds, he killed one of the militants who was later identified as the Area Commander of Tolpuram. Motivated and inspired by his personal example, the other members of the patrol also got up and charged at the militants. The rest of the militants then fled from the scene.

Havildar Shanmuga Sundaram, thus, displayed conspicuous courage and valour in action against the militants.

9. 3376395 LANCE NAIK MOHINDER SINGH, 16 SIKH *(Posthumous)*

(Effective date of the award : 23rd July 1988)

On the 23rd July 1988 Bravo and Delta companies of 16 Sikh were tasked to search an area in Sri Lanka. At about 1030 hours, 11 platoon came under heavy fire of militants. At the same time Delta company started closing in from the East. They also came under heavy fire. Delta Company Commander decided to launch an attack. One General Purpose Machine Gun was taking heavy toll of the assaulting troops. Lance Naik Mohinder Singh, Light Machine Gun number 1, fired at the bunker from the hip position. He realised that his fire had little impact on small loopholes. He dashed towards the GPMG and caught the barrel of GPMG. Although he received the full burst of fire and died on the spot, his act silenced the militants' GPMG as the militant gunner fled in apprehension of the charging. This made it possible for the assaulting company to move forward and capture the hideout. His personal example of supreme sacrifice inspired his comrades to rush forward with vengeance and capture the camp.

Lance Naik Mohinder Singh, thus, displayed supreme courage and valour in action against the militants.

10. JC (NYA) 13605991 NAIB SUBEDAR MADAN LAL, 1 PARACHUTE COMMANDO

(Posthumous)

(Effective date of the award : 16th August 1988)

Naib Subedar Madan Lal was a member of a commando team detailed for search and destroy operation in Alampil Forest during Operation Checkmate IV in Sri Lanka. The operation commenced on the 16th August 1988. Naib Subedar Madan Lal was bringing up the rear of the Team with his trap. He heard a distant noise. The Team Commander asked him to take a patrol of 10 Other Ranks and to go to investigate the noise. Naib Subedar Madan Lal having gone 150 metres to the right suddenly noticed a green tent of militants. Having noticed movement inside the tent, he quickly crawled upto the tent, simultaneously giving orders to his patrol to fan out and then fired two bursts from his AK-47 into the tent. However, when Naib Subedar Madan Lal was in the act of changing his magazine, he was fired upon simultaneously from two trenches. Though fatally wounded, he managed to fire his second magazine also towards one of the trenches and hit one militant. He later succumbed to his injuries on the same day. In this action, three militants were killed and six to seven wounded, mostly by the fire of Naib Subedar Madan Lal.

Naib Subedar Madan Lal displayed conspicuous courage and valour in action against the militants.

11. 2869189 HAVILDAR PREM KUMAR CHAUHAN, 5 RAJPUTANA RIFLES

(Effective date of the award : 23rd August 1988)

On the 23rd August 1988, an unconventional method of nabbing the militants in Sri Lanka in civil clothes and civil van was adopted. On the Vavuniya-Manner road in Sri Lanka, Havildar Prem Kumar Chauhan fired at the armed militants from the moving civil van injuring one of them. Jumping off the moving van, he gave chase to the other militants. In a face to face encounter with a militant armed with AK-47 rifle when his own weapon got jammed, he lunged at the militant and disarmed him after scuffle. After dispossessing the militant of his rifle, he fired from the snatched AK-47 rifle and injured him. One AK-47 rifle and lot of ammunition were also recovered in this encounter.

Havildar Prem Kumar Chauhan, thus, displayed conspicuous courage and valour in action against the militants.

12. WING COMMANDER DHIRENDRA NATH SAHAE (11590), FLYING (PILOT)

(Effective date of the award : 24th August 1988).

On the 24th August 1988 when 'OP CHECKMATE' phase (III) was being conducted by 4 Inf Div in Mitikaikulam jungles in Sri Lanka, Wing Commander Dhirendra Nath Sahae was detailed to stand by at Mulaitivu helipad with 4 x 16.57 mm RPS in offensive role. During a dare devil attack on the TAC HQ of 7 Brigades, the militants blew up one AOP Chetak aircraft and managed to damage another. They also managed to attack the HQ with RPG and automatic weapons thus gravely endangering lives of GOC, IPKF Land Forces, other senior Army and Air Force Officers present at that location. Wg Cdr Sahae was immediately asked to scramble in order to deal with the militants' threat. He got airborne and reached the area within record time of 12 minutes. He engaged the militants and fired rockets at the area as directed by another airborne Chetak aircraft. He successfully neutralised the threat and ensured safety and security of the TAC HQ and senior Army and Air Force Commanders at the site. Three militants were reported killed due to his timely action and they were forced to withdraw without causing any further damage.

Wing Commander Dhirendra Nath Sahae, thus, displayed exceptional professional skill, devotion to duty, courage and bravery of a very high order in action against the militants.

13. CAPTAIN KAVIL ADHIKHARKUNNETH MOHAN (IC-39681), 9 PARACHUTE COMMANDO

(Effective date of the award : 10th October 1988)

Captain Kavil Adhikharkunneth Mohan was the commander of an ambush party which laid a successful ambush in Area Ommantai in Sri Lanka on the 10th October, 1988. The militants were completely taken by surprise when they came into the ambush site. Captain Mohan killed 13 militants, wounded 2 and recovered 9 weapons, 3 walkie talkie sets and a large quantity of ammunition. He captured cipher documents which proved to be of immense value in deciphering the transmissions of the militants.

Captain Kavil Adhikharkunneth Mohan displayed a rare sense of judgement, conspicuous courage and valour in action against militants.

14. 2464948 HAVILDAR RUP LAL, 3 PUNJAB

(Effective date of the award : 2nd November 1988)

Havildar Rup Lal was the commander of a vehicle check post at Kankarayan Kulam on road Vavuniya-Mankulam in Sri Lanka. On the 2nd November 1988 five other Ranks were also deployed at the Check Post. The vehicle check post was attacked by 10 to 15 militants who approached it in a civil lorry. The militants sprayed the check post with bullets from automatic weapons and threw grenades killing five personnel on the spot and seroiusly injuring Havildar Rup Lal. The militants rushed to the dead personnel, snatched their weapons and tried to escape in the vehicle. Though seriously wounded, Havildar Rup Lal continued to fire with his carbine and prevented the militants from escaping. He shot down two militants who tried to snatch his weapon. In this process he was again hit but continued to hold on to his post and wounded two more militants. Meanwhile reinforcement reached the spot and four more militants were killed, their vehicle destroyed and three weapons recovered.

Havildar Rup Lal, thus, displayed conspicuous courage and valour in his fight with the militants.

15. IC-98872 SUBEDAR MARIA RUSSEL, 5 MADRAS.

(Effective date of the award : 26th November 1988)

Subedar Maria Russel was a Platoon Commnader of Alfa Company, 5 Madras, located at Karainagar in Sri Lanka. On the 26th November 1988 the Junior Commissioned Officer while leading a patrol intercepted two militants who instantaneously started firing. With exceptional courage and determination, Subedar Maria Russel gave hot pursuit and personally killed self-styled Lieutenant Colonel Insoor and self-styled Major Suri, the two most dreaded militants of the area. He consistently displayed tenacity and leadership of high quality and showed utter disregard for his personal safety in the single minded pursuit of completing the task by even going beyond the call of duty.

16. 2768373 LANCE HAVILDAR ARUN RAMLING MALI, 2 MARATHA LIGHT INFANTRY

(Effective date of the award : 27th December 1988)

On the 27th December 1988 Lance Havildar Arun Ramling Mali alongwith three men were carrying out the search of a group of about ten houses in area Punochimunai in Sri Lanka. While the search was in progress, suddenly the militants who were hiding in a nearby house, opened automatic fire on Havildar Mali's search party with two AK-47 rifles. The militants also started lobbing grenades at Havildar Mali's party. His party was, thus, pinned down by fire. The Non-Commissioned Officer realised that unless the militants' fire was neutralised there was every likelihood of his party as well as the adjoining search parties sustaining fatal casualties. Without wasting time or awaiting instructions from his Company Commander Lance Havildar Mali ordered his party to provide him covering fire while he himself crawled forward towards the house. When he was about 20 metres from it, he got up and fired from hip position in utter disregard of his personal safety. He single handedly shot dead all the four militants who were in the house and recovered two AK-47 rifles and 112 rounds of ammunition with five magazines.

Lance Havildar Arun Ramling Mali, thus, displayed conspicuous courage and valour in action against the militants.

17. 3179188 SEPOY DHARAJIT SINGH CHAHAR, 4 JAT (*Posthumous*)

(Effective date of the award : 13th January 1989).

Sepoy Dharajit Singh Chahar of 4 Jat was a member of party which laid ambush against the militants at the road crossing on Vavuniya-manner road in Sri Lanka on the 13th January 1989. At about 0850 hours he spotted a group of militants approaching from an unexpected direction through the thick jungle. He alerted the ambush group and opened fire on the militants when they were at a distance of 10 metres.

During the exchange of fire, Sepoy Sree Chand of his group was wounded. One of the militants, after throwing his own weapon towards his unarmed comrade, rushed forward to snatch away the rifle from Sepoy Sree Chand. Sepoy Dharajit Singh Chahar, in total disregard of his personal safety, charged at the militant and fired at his stomach and engaged him in hand to hand close combat and killed him. Another militant sensing danger from the dare devil act of Sepoy Chahar fired a fatal burst which took his life.

Sepoy Dharajit Singh Chahar displayed conspicuous courage and valour in action against the militants.

18. SECOND LIEUTENANT AMARDEEP SINGH BEDI (SS-33103), ENGINEERS (*Posthumous*)

(Effective date of the award : 18th January 1989)

On the 18th January 1989 Second Lieutenant Amardeep Singh Bedi decided to carry out a search of the jungle, adjacent to a lagoon in Sri Lanka. Second Lieutenant Amardeep Singh Bedi spotted a few militants trying to cross the lagoon at a distance of 700 metres. With a view to cutting off the escape route, he manoeuvred his boat to close in on the militants. He engaged the escaping militants and succeeded in killing one and possibly killing or injuring three others and thus, prevented the militants from escaping.

While Second Lieutenant Bedi was moving through a narrow channel, another group of about 10 to 15 militants waiting to cross the lagoon brought down heavy volume of fire including General Purpose Machine Gun fire on Second Lieutenant Amardeep Singh Bedi's boat which was barely 70 metres away from the bank. During the exchange of fire, Second Lieutenant Amardeep Singh Bedi and two other Ranks were hit and succumbed to their injuries.

Throughout the operation, Second Lieutenant Amardeep Singh Bedi displayed initiative, conspicuous courage, leadership qualities and devotion to duty. The plan made by him succeeded in effectively confining the militants to the small jungle strip and his gallant action prevented their escape through the lagoon. In this action he made the supreme sacrifice.

19 9082174 HAVILDAR SWARAN SINGH 11 JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY

(Effective date of the award : 2nd February 1989)

Havildar Swaran Singh was Number 2 scout of a platoon of 11 Jammu and Kashmir Light Infantry, which was given the task of operating the rail track. On the 2nd February 1989, at about 1015 hours, the leading scout came under fire from the militants and was killed. Captain M. K. Das, the Platoon Commander was then ordered to carry out a physical assault on the ambush. Havildar Swaran Singh immediately charged and while approaching a barbed wire fencing tripped, lost balance and in the process dropped his rifle. He found himself face to face with a militant who was pointing the barrel of AK-47 rifle at him. Showing rare presence of mind and bravery, he charged at the militant with bare hands. He managed to snatch his rifle and then shot him dead.

The gallant act on the part of Havildar Swaran Singh resulted in the killing of a number of militants and the capture of a large quantity of arms and ammunition.

20. 5750333 LANCE NAIK KUMAR SINGH GURUNG, 6/8 GORKHA RIFLES (*Posthumous*)

(Effective date of the award : 2nd March 1989).

One company group of 6/8 Gorkha Rifles operating on a search and destroy mission encountered a militants camp in the general area of Nayaroo lagoon in the Wanoi sector (Sri Lanka) on the 2nd March 1989. This encounter which initially started as an exchange of fire turned into a prolonged engagement, lasting over twenty four hours. Lance Naik Kumar Gurung of 6/8 Gorkha Rifles was the Radio Operator of the Company Commander. He, alongwith the party, was surrounded by approximately 100 to 150 militants. While manning the radio station, the Non Commissioned Officer sustained a bullet injury on his arm. Undeterred, he not only continued to perform his duties but also killed three to four militants.

Lance Naik Kumar Singh Gurung acted valiantly without any regard for his personal safety and life and set a perosanl example of the highest order. Finally, he was fatally hit by the militants at close range and thus, made the supreme sacrifice.

21. 13746410 NAIK SUKHDEV SINGH, 9 PARACHUTE COMMANDO (*Posthumous*)

(Effective date of the award : 4th March 1989)

Naik Sukhdev Singh was rocket launcher number one of 1 Troop Alfa Team in Sri Lanka. On the 4th March 1989 the team faced a strong militant camp of approximately 150 strength. Under heavy fire, Naik Sukhdev Singh deployed his Rocket Launcher. He was injured by a claymore mine but continued to fire his rocket launcher, warding off determined efforts by the militants to assault and encircle the team. He continued to fire for nearly 90 minutes till he got seriously hit in the head and was evacuated. He later succumbed to his injuries on the 13th March 1989.

Naik Sukhdev Singh displayed conspicuous courage, bravery and valour in action against the militants.

22. 4062451 LANCE NAIK JANGBIR SINGH, 4 GARHWAL RIFLES (*Posthumous*)

(Effective date of the award : 22nd March 1989)

Lance Naik Jangbir Singh was performing the duties of Light Machine Gun Number 1 with Number 14 Platoon of Echo Company 4 Garhwal Rifles. The company had been tasked to advance, contact and reduce a militant camp in the Nayaroo lagoon area of Northern Vavuniya Sector (Sri Lanka). On the 22nd March 1989 the leading platoon of the company contacted the militants. A fierce exchange of fire ensued resulting in casualties in the platoon. It was at this time that Number 14 Platoon to which Lance Naik Jangbir Singh belonged, was tasked to move towards the southern flank. Lance Naik Jangbir Singh was ordered to move his detachment to a point approximately 30 metres away and engage the militants so that the rest of the platoon could pull back to a safe area. In the dash to the indicated point under heavy fire, Lance Naik Jangbir Singh was separated from Number 2 of his detachment and thus, reached there alone. Unmindful of the fact that he was alone, he immediately engaged the militants with sustained and accurate fire. Due to his fire, the platoon commander regained balance and redeployed his platoon some 30 metres behind the area where contact had been made. However Lance Naik Jangbir Singh's position came under heavy automatic fire and an RPF rocket burst above injuring him on the shoulders.

Though isolated and under great stress and pain, Lance Naik Jangbir Singh continued firing accurately. By the time the platoon Havildar returned to rescue Lance Naik Jangbir Singh, the latter was hit by a burst of militant fire and killed on the sport.

Lance Naik Jangbir Singh displayed conspicuous courage and valour in action against the militants.

23 13612851 NAIK RANJEET SINGH,
5 PARA (*Posthumous*)

(Effective date of the award 8th April, 1989)

On the 8th April, 1989, based on information from a captured hardcore militant, a raid was launched to eliminate a group of 10 armed militants Naik Ranjeet Singh was a member of the specially selected raid team When the raid group reached a house, it came under intense automatic fire. Fire was immediately returned

When it was realised that the militants were trying to flee to the North, the group was divided into two sub teams Naik Ranjeet Singh noticed two militants bringing down effective fire on number one sub team, thereby slowing their advance Naik Ranjeet Singh realised that time was running out and that the militants were getting away. He charged from behind the cover and while on the move fired and killed one militant After killing the militant he chased and wounded another militant who, however, managed to escape As Naik Ranjeet Singh dashed beyond the cover, he too received a bullet in the chest from a third militant and was severly injured He was evacuated to Civil Hospital where he succumbed to his injury

Naik Ranjeet Singh displayed boldness, exemplary courage and initiative in action against the militants

24 2870390 NAIK MAHAVIR SINGH,
7 RAJPUTANA RIFLES (*Posthumous*)

(Effective date of the award 31st May, 1989)

On the 31st May, 1989 Naik Mahavir Singh, a radio operator of 7 Battalion Rajputana Rifles inducted into Sri Lanka, was entrusted with the task of establishing a block along with five other personnel to prevent militants from escaping. His group was fired at by the militants who were attempting to escape The Non Commissioned Officer reached instantly and returned the fire He then gave immediate chase alongwith the platoon commander to prevent the militants from escaping Both the Non Commissioned Officer and his platoon commander were hit and injured Inspite of being injured in his chest, Naik Mahavir Singh continued to crawl forward to close on and locate the militants, who had holed up in the bush Having located the militants the Non Commissioned Officer engaged them with his carbine, killing both the militants holed up there This led to the recovery of two AK-47 rifles However, Naik Mahavir Singh succumbed to his injuries while he was being evacuated

Naik Mahavir Singh, thus, displayed conspicuous courage initiative and valour in action against the militants and made the supreme sacrifice in the best tradition of the Army

25 MAJOR SURINDER SINGH (IC-39558),
16 RAJPUTANA RIFILES
(*Posthumous*)

(Effective date of the award 5th June, 1989)

Major Surinder Singh was tasked to approach a suspected militant hideout in an area east of Puttar in Sri Lanka. He located and identified the hideout Thereafter, he decided to raid it On the 5th June, 1989 he organised his patrol of 15 ORs and went in for the raid during which he personally shot two militants The patrol observed two militants fleeing the hut The officer, without worrying about his personal safety, decided to chase the fleeing militants In the hut were lying two militants earlier shot by him As he ran past the hut one militant opened fire at point blank range on Major Surinder Singh and injured him seriously Despite the injury on the chest the officer turned around, shot dead the injured militant and continued chasing the militants till he collapsed on the ground He refused to be attended to and directed his personnel to pursue the militants Eventually, one of the fleeing militants was shot dead Soon after the operation the officer was evacuated to a field hospital where he was declared dead

Major Surinder Singh, thus, displayed conspicuous gallantry and valour in the face of very adverse circumstances

26 5040010 HAVILDAR BHIM BAHADUR THAPA,
1 GORKHA RIFLES (*Posthumous*)

(Effective date of the award . 21st June, 1989)

Havildar Bhim Bahadur Thapa, a section commander of 7 Platoon Charlie Company, First Battalion of the First Gorkha Rifles was in ambush in area Kontakkaran Kulam (Sri Lanka) on the night of the 20th/21st June, 1989. At about 0530 hours on the 21st June, 1989 he observed the movement of 15 20 militants west of his location He immediately informed his platoon commander Subedar Shiv Darshan Singh Gurung, who in turn altered his entire platoon Due to the rattling of a Light Machine Gun while being adjusted, the militants got suspicious and started firing indiscriminately with their automatic weapons. In the meantime, Company Commander Major S K. Mehta reached there and after assessing the situation, he alongwith platoon commander, Havildar Bhim Bahadur Thapa and Rifleman Ganga Bahadur Ghala, moved to a flank and launched a physical assault on the militants

During this assault, Havildar Bhim Bahadur Thapa got a burst of bullet in the chest and started bleeding profusely but he continued fighting the militants and killed two of them. He displayed a high sense of responsibility and valour in combat and made the supreme sacrifice in the highest tradition of the Army.

27 2767350 NAIK SHRIDHAR VITHAL
KURANKAR, (*Posthumous*)
18 GARHWAL RIFLES

(Effective date of the award . 8th July, 1989)

On the 8th July, 1989 a patrol party consisting of eight personnel spotted two hardcore militants going on a bicycle. On seeing the army vehicle, the militants discarded their bicycle in panic and ran for safety. One of the militants, taking advantage of compound walls and built up area, escaped Naik Shridhar Vithal Kurankar, driver of the Commanding Officer's vehicle, swiftly manoeuvred his vehicle to pursue the second militant. Naik Kurankar, successfully managed to knock down the militant but unknowingly applied the brakes bringing the vehicle to a screeching halt when it was about to run over the militant. The Commanding Officer Naik Kurankar and Rifleman Suresh Kumar immediately got down from the vehicle and moved in front of it to apprehend the militant, who by then had recovered from the shock received from being knocked down by a vehicle and had taken up a sitting position with an AK-47 in his hand.

Seeing the weapon in ready position in the hands of the militant a metre and half away, Naik Kurankar pushed his Commanding Officer to one side and charged at the militant in total disregard of his personal safety He received a deadly volley of bullets from AK-47 rifles in his chest and head and dropped down on the ground seriously wounded He succumbed to injuries subsequently

Naik Shridhar Vithal Kurankar, thus, displayed conspicuous courage and dedication to duty in action against the militants.

28 13609104 HAVILDAR AJIT SINGH,
10 PARA (COMMANDO) (*Posthumous*)

(Effective date of the award 28th August, 1989)

Havildar Ajit Singh was one of the squad commanders of 3 Trop of Alfa Assault Team 10 Para Commando. On the 28th August, 1989, Number 3 Troop located at Alampil (Sri Lanka), was tasked to carry out a search and destroy mission along road Alampil—Mullaitivu. The Troop Commander of Number 3 Troop deployed Havildar Ajit Singh's squad with a rocket launcher on the flank to cover the move of the Troop The Troop came under fire of small arms and rockets

Havildar Ajit Singh realising that the Troop had been ambushed by the militants, returned the fire However, assessing that the strength and position of the militants was formidable, he decided to encircle them Havildar Ajit Singh deployed his squad on the flank and brought down continuous and effective fire on the militants. This threat on the flank diverted the attention of the militants and reduced the weight of fire on the remainder of the Troop In

the ensuing, exchange of fire a rocket launcher detachment paratrooper was wounded and a rocket launcher detachment commander was killed. Havildar Ajit Singh himself picked up the rocket launcher and commenced firing. In the process, Havildar Ajit Singh also received a bullet in the chest and died on the spot.

Havildar Ajit Singh, thus, displayed leadership qualities, conspicuous courage and valour in action and made the supreme sacrifice in the highest tradition of the Army.

29. 4267374 SEPOY OHN BRITTO KIRO, 9 BIHAR (*Posthumous*)

(Effective date of the award : 13th September, 1989)

On the 13th September, 1989, Sepoy John Britto Kiro, Light Machine Gun Number one was navigating through a heavily mined nala when suddenly a heavy volume of fire came from the front and the right flank. He immediately went into firing position. In the process, he stepped on an anti-personnel land mine. His right foot was blown off. Despite being grievously wounded, he brought down accurate and effected fire on the militants. By firing his Light Machine Gun he had gained precious time for his comrades. Sepoy John Britto Kiro now a casualty was being carried on a stretcher. The column had hardly moved 200 yards when it was again ambushed. The column came under fire from the front and the right flank. Even in the casualty state, he fired back at the militants. The firing continued for 15 to 20 minutes. He kept on firing till he was fatally hit in the throat by a bullet.

In the above action, Sepoy John Britto Kiro displayed conspicuous courage, bravery and valour in action against the militants making the supreme sacrifice in the best tradition of the Army.

No. 34-Pres/90.—The President is pleased to approve the award of 'Kirti Chakra' to the undermentioned persons for acts of conspicuous gallantry :—

1. G/4467-H CHARGEMAN GOLAK BEHARI PATNAIK

(Effective date of the award : 17th May, 1988)

On the 17th May, 1988 while supervising the formation cutting work on Road Basoli-Bani-Bhaderwah, Chargeman Golak Behari Patnaik of 157 Formation Cutting Platoon of BRO observed that the dozer was located at a very dangerous position. He displayed alertness of mind, withdrew the dozer and deployed men to remove the loose blasted pieces of rock with a view to avoiding any major accident. The supervisor kept a close watch for any falling rock or boulder in the area where men were working so that timely caution for withdrawal could be given to his men. All of a sudden, a huge slide came down while the supervisor was standing on the valley side. He gave immediate caution to his working team, but himself went down with the slide and lost his life.

Chargemen Golak Behari Patnaik displayed tremendous courage and great sense of devotion to duty in saving Government property and life of his men by giving timely warning even when his life was in the gravest peril.

2. G/121709-L OPERATOR EXCAVATING MACHINERY GOPINATHAN PILLAI (*Posthumous*)

(Effective date of the award : 12th November, 1988)

Operator Excavating Machinery (OEM) Gopinathan Pillai of 156 Formation Cutting Platoon under Project Vartak of BRO was deployed on formation cutting work on Road Talliha-Nacho in Upper Subansiri District of Arunachal Pradesh on 12th November, 1988. The blasting made the rock loose and unstable. Despite shooting debris and grave risk to his life, he kept on cleaning the road relentlessly. Nothing could deter him. Suddenly a big boulder detached itself from the rocky formation and took OEM Gopinathan Pillai and his machinery into a deep ravine several hundred feet down. All efforts to save him were in vain.

Operator Excavating Machinery Gopinathan Pillai, thus, laid down his life while working for the country.

3. G/89178-H OPERATOR EXCAVATING MACHINERY KANSI RAM. (*Posthumous*)

(Effective date of the award : 20th December, 1988)

Operator Excavating Machinery (OEM) Kansi Ram of 168 Formation Cutting Platoon Care 113 Road Construction Company under Project Himank of BRO was deployed for snow clearance at Khardungla Pass on the 20th December, 1988, at an altitude of 18380 ft on Leh-Chalunka Road in the Ladakh Region. Apprehending grave danger to their lives on account of heavy snow drift and continuous snow storm, the civil labourers working with OEM Kansi Ram left the site. However, this brave Operator continued to operate the dozer and clear the snow to ensure that the pass was kept open and the line of communication on the other side was maintained. Knowing fully well that the snow drift and snow storm conditions might prove fatal to his life, OEM Kansi Ram continued with the snow clearance. Sure enough after a while, a huge avalanche came down and buried him alongwith the dozer. Inspite of prompt rescue operations, OEM Kansi Ram breathed his last.

Operator Excavating Machinery Kansi Ram, thus, displayed courage and extreme devotion to duty and laid down his life in the best tradition of the Force.

4. G/118221-K OPERATOR EXCAVATING MACHINERY ABHIMANU

(Effective date of the award : 31st December, 1988)

Operator Excavating Machinery (OEM) Abhimanu of 168 Formation Cutting Platoon/113 Road Construction Coy under Project Himank of BRO was engaged in snow clearance duty in the vicinity of Khardungla at an altitude of 18380 feet on Road Leh-Chalunka, a strategic road to Nubra Valley and Siachen Glacier. On the 31st December, 1988, OEM Abhimanu was operating his dozer near Khardungla. The dozer got blocked with heavy snow accumulation. The labourers who were deployed alongwith the dozer left the site in apprehension of danger to their lives. But OEM Abhimanu, despite severe snow blizzards, drifts and extremely risky working conditions, continued dozer operations to clear the snow. Consideration of the lives of troops across Khardungla was upper most in his mind. While he was working, a snow avalanche came hurtling down and he was blown off to about 800 feet down in the snow covered valley. He ezhibited cool courage and strong nerves and came out of the snow on his own. Inspite of being injured, he took his dozer again for operation, continued working till late in the evening and cleared the road for traffic.

Thus, Operator Excavating Machinery Abhimanu set a rare example of outstanding courage and displayed the utmost devotion to duty at grave risk to his own life.

5. SHRI KEDARNATH, KHEMKARAN, PUNJAB.

(Effective date of the award : 20th July, 1989)

Shri Kedarnath, a Postal Assistant, Khemkaran Post Office, Punjab was kidnapped on the night of the 20th July, 1989 by a gang of three dreaded terrorists armed with 2 AK-47 rifles and a revolver. The terrorists mistook him for a rich man and wanted some ransom money. Shri Kedarnath was made to walk barefoot for hours together and then detained in a farm house. In the afternoon of the 21st July, 1989 when two of the terrorists were sleeping and the third was standing guard outside the room, Shri Kedarnath took the AK-47 rifle lying close to him and fired at the AK-47 wielding terrorist Jeet Singh who was standing guard outside injuring him in the hand. After that Shri Kedarnath was quick enough to spray bullets on the remaining two terrorists trying to catch him. Jeet Singh was again shot while he was trying to scale the boundary wall of the farm house. All the three terrorists were eventually killed and Shri Kedarnath handed over the two AK-47 rifles, one pistol and some ammunition obtained from the possession of the terrorists to the Police Station at Valtoha.

Shri Kedarnath, by his extraordinary presence of mind and conspicuous act of bravery, managed to kill three hardcore terrorists armed with lethal weapons without caring for the grave risk involved to his own life.

No. 35-Pres/90—The President is pleased to approve the award of 'Shaurya Chakra' to the undermentioned persons for acts of gallantry :—

1. SHRI DIPENDRA NATH ROY,
JALPAIGURI, WEST BENGAL
(Posthumous)

(Effective date of the award : 6th December, 1985)

On the night of the 6th December, 1985, at about 2330 hours, a gang of 15/20 miscreants stormed into the house of one Shri Amarjit Ghosh of Kamakhyaguri of Jalpaiguri, District. They threatened the inmates with physical torture and took away gold ornaments, wrist watch, table clock, clothes etc., worth Rs. 20,000/- On the same night, this gang tried to commit another dacoity in an adjacent house of that village. In the meantime, all the villagers woke up and there was a hue and cry in the entire village with the result that the gang started retreating. Some villagers including one Shri Dipendra Nath Roy tried to apprehend the dacoits even at the risk of their lives knowing full well that the miscreants had deadly weapons with them The dacoits then attacked and injured four villagers including Shri Roy, who died on the spot.

Shri Dipendra Nath Roy exhibited an exemplary act of bravery and set a rare example of self sacrifice to protect the villagers from the miscreants.

2. SHRI BUTA RAM,
AMRITSAR, PUNJAB

(Effective date of the award : 5th May, 1987)

On the 5th May, 1987 Shri Buta Ram showed exemplary courage and bravery in fighting the terrorists and was able to overpower two armed terrorists at the risk of his own life. Again on the 30th March, 1988 while he was sitting in his Kiryana Shop, he saw a gang of terrorists indiscriminately opening fire which resulted in the death of one Shri Sat Naram Sharma. Shri Buta Ram alongwith his gunman, engaged the terrorists in gun-fire and the terrorists fled. Shri Buta Ram chased them upto 1.5 kilometres and was able to apprehend one of them at grave risk to his own life.

Shri Buta Ram displayed gallantry of a high order in chasing hardcore terrorists and nabbing three of them, thereby preventing loss of many innocent lives.

3. G/47577-L DRIVER MECHANICAL
EQUIPMENT PREM SINGH VERMA

(Effective date of the award : 13th March, 1988)

Due to heavy rains the National Highway from Jammu to Srinagar had been hit by several land-slides from the 6th March to the 9th March, 1988. Without caring for his personal safety, Driver Mechanical Equipment Prem Singh Verma of 367 Road Maintenance Platoon of BRO attempted to clear the road with his dozer but could achieve only partial success. Heavy rains again on the 11th and the 12th March, 1988, resulted in disruption of traffic on the 13th March, 1988 due to land slide. With utter disregard to his personal safety, DME Prem Singh Verma again started clearance of the slide with his dozer. While he was operating the dozer, its right track slipped towards valley side and the dozer got stuck. He tried to extricate the dozer but in vain. He then immediately started packing stones below the track chain and ultimately prevented the costly dozer from going down to the valley side and thus, saved Government property worth lakhs of rupees. On the 15th March, 1988 he finally had the road cleared for one way traffic with the help of another dozer, at a great risk to his own life.

Thus, Driver Mechanical Equipment Prem Singh Verma displayed extra-ordinary courage, professional skill and exceptional devotion to duty in clearance of land slides and in saving the dozer at a grave risk to his own life.

4. SHRI MUKHTIAR AHMED,
SULTANPUR, UTTAR PRADESH (Posthumous)

(Effective date of the award : 14th April, 1988)

On the 14th April, 1988 three miscreants divested Shri Nurul Huda of Trilokpuri of his purse containing Rs. 390/- while he was travelling in a DTC Bus plying on route No. 446. Shri Nurul Huda raised an alarm and the driver stopped the bus in front of Hazrat Nizamuddin Police Station. As soon as the bus stopped, all the three miscreants who were later identified as Manjeet Singh, Mohd. Shahid and Surender Kumar tried to run away, but Shri Mukhtiar Ahmed, in a daring attempt, chased them and caught hold of one of them. Two of the remaining miscreants whipped out knives and stabbed Shri Mukhtiar Ahmed. He did not give up the chase despite the fact that he was badly injured and bleeding profusely. Ultimately he collapsed. He was rushed to the All India Institute of Medical Sciences, where he succumbed to his injuries the same day.

Shri Mukhtiar Ahmed displayed exemplary courage and gallantry of a high order in chasing and apprehending the notorious criminals.

5. 3372430 HAVILDAR DALBARA SINGH,
3 MAHAR (Posthumous)

(Effective date of the award . 7th May, 1988)

Havildar Dalbara Singh of 3 Mahar was specially chosen for the task of re-establishing the challenging post at Shiva in Siachen area. On the 7th May, 1988, at about 0600 hours, he set out with the link party of two Non Commissioned Officers and four Other Ranks from ASSAULT SECTION for the SHIVA post. This was primarily to carry out the critical task of fixing the climbing ropes and conveying the final loads of essential rations and stores before the actual occupation of the post. It had snowed heavily the previous night. In-spite of such heavy odds, Havildar Dalbara Singh maintained a steady advance along the route towards the SHIVA post, displaying commendable drive, determination, skill and leadership of the highest order. When the link party was just about 300 metres short of the final climb to the post, a massive 800 metres long avalanche came down the steep mountains slope and took with it the entire link party.

Rescue parties were immediately rushed to the site. A day long search was launched till 1700 hours that evening and again the next day but in vain. Further search through attempted had to be abandoned as the whole area had become extremely unstable and unsafe.

Havildar Dalbara Singh thus displayed courage against heavy odds and made the supreme sacrifices of his life.

6. MAJOR RAJENDRA PRATAP SINGH (IC-32939),
BIHAR (Posthumous)

(Effective date of the award : 7th July, 1988)

On the 7th July, 1988 Major Rajendra Pratap Singh proceeded from his post at Ukhrul Town in Manipur on a special mission to gather vital information regarding future plans of the underground organisation known as the National Socialist Council of Nagaland (NSCN). While returning through the crowded Bazar of Ukhrul town, his vehicle was fired upon by NSCN insurgents with M-22 Chinese automatic rifles. The Officer, through grievously wonded, returned the fire. The insurgents had to flee under the hail of bullets but the officer succumbed to his injuries.

Major Rajendra Pratap Singh displayed conspicuous gallantry and leadership in the face of attack by the insurgents resulting in the supreme sacrifice of his life.

7. 641460 SERGENT LAKSHMAN PRASAD
SWAMY, AIR FRAME FITTER
(*Posthumous*)

(Effective date of the award : 7th July, 1988)

Sergeant Lakshman Prasad Swamy, Airframe Fitter of one of the Communication Squadron was travelling with his family in a bus from village Badabar to Sujjangarh in Rajasthan on the 7th July, 1988. The bus got bogged down in sand. The conductor while taking out a PSP sheet from the bus roof, accidently touched the PSP sheet with the overhead high voltage power cable where it got stuck, resulting in electric shock and severe burns to many passengers.

Without caring for his badly injured wife and son or his own personal safety, Sgt Prasad displayed rare courage and presence of mind in that critical situation in which the driver of the bus had fled the scene. He ensured the safe evacuation of all the injured and badly shaken passengers, himself being the last to leave the illfated bus. But before he could step out from the bus, the attendant in the distant power house had replaced the blown-out fuse causing a

second electric shock to the bus in which the saviour of all passengers—Sgt Lakshman Prasad of Indian Air Force was electrocuted.

Sergeant Lakshman Prasad Swamy, thus, gave a rare display of selflessness and courage in saving the lives of his co-passengers at the cost of his own life.

8. KUMARI MONISHA VERMA, VIVEK VIHAR, DELHI

(Effective date of the award : 11th August, 1988)

On the 11th August, 1988 Kumari Monisha Verma, a student of M.A.(Final) (English), Indraprastha College, displayed bravery, presence of mind and physical strength in her encounter with five men, who assaulted her in a fast moving D.T.C. bus in which she was travelling. She inflicted injuries on these persons by hitting them on their faces with her sports shoes and jumped out of the running bus. In the process, she pulled out one of the assaulters and succeeded in overpowering him.

By this act, Kumari Monisha Verma risked her life to save her honour and dignity.

9. G/13585-X DRILLER JAS RAM (*Posthumous*)

(Effective date of the award : 3rd October, 1988)

Driller Jas Ram of 219 Permanent Works Platoon Project Swastik of BRO was deployed with his dozer for the formation cutting for the construction of a new road Yumthang-Yumesomdong in North Sikkim. At about 1300 hours on the 3rd October, 1988 while he was engaged in formation cutting operation along the difficult and risky terrain, his machine lost balance as loose earth below it gave in. Driller Jas Ram, instead of jumping out of the machine to save his life, continuously struggled with immense courage till the last in order to bring the machine under control. With his valiant effort, he could prevent the dozer from rolling down into the river below, but could not prevent the machine from getting overturned. Driller Jas Ram still kept on holding on to the control levers in the operator's seat and the dozer ultimately stopped rolling about six metres below the road. In the process, Driller Jas Ram sustained severe injuries and breathed his last on his way to the hospital.

Driller Jas Ram, thus, exhibited exemplary and conspicuous courage in saving the costly equipment from major damages and made the supreme sacrifice of his life.

10. SQUADRON LEADER SANJIV MISHRA (14094), PLYING (PILOT)

(Effective date of the award : 7th October, 1988)

A team of seven European Trekkers between the ages of 50 to 70 years had been stranded at an altitude of 14500 feet in Bhutan. One of them had already died and the rest were in a critical condition. They were reported to be suffering from High Altitude Pulmonary Oedema (HAPO) and unless immediately evacuated would have met the same fate.

On the 7th October, 1988 Squadron Leader Sanjiv Misra was detailed for the casualty evacuation mission. Although he was aware that the place of evacuation was located well above the normal operating limits of the Chetak helicopter and that too in an uncharted territory, Sqn Ldr Misra decided to proceed with the mercy mission since any delay would have resulted in more fatalities. He took off with a senior Bhutanese official on board and showing exceptional skill quickly searched the area and located four survivors. Inspite of the extremely difficult hilly terrain, he managed to put down the helicopter on a narrow ledge and evacuated two of the more serious casualties. He now learnt that the dead foreigner and the other two survivors were stranded at a place 2/3 miles away and their condition was even worse. Sqn Ldr Misra flew the two casualties to Thimpu, kept the rotor going and then after quick refueling at Paro proceeded to the second location. Since no clear place was available, after considerable search and bringing all his experience into play, he managed to hold the helicopter on a small patch in a hilly stream which was strewn with huge boulders. He left the senior official at this site to guard the body and evacuated the two casualties to Thimpu. Once again, after quick refuelling, he went to the 1st location and flew out the remaining two casualties. By this time the weather had deteriorated and he had already been flying for over 5 hours. But realising that the civilian official guarding the dead body was in peril and would not survive the night, he went back once again and rescued the civilian along with the dead body.

Throughout this mission, Squadron Leader Sanjiv Misra showed high professional skill and exceptional courage.

11. 14701106 SEPOY HIRA BALLABH NAGARKOTI, 20 KUMAON (*Posthumous*)

(Effective date of the award : 12th October, 1988)

During floods in Ferozpur District, Sepoy Hira Ballabh Nagarkoti was detailed as one of the crew members of the rescue party operating near Village Lalluwala on Road Makhu-Jallandhar. On the 12th October, 1988 at approximately 1215 hours when Sepoy Hira Ballabh Nagarkoti and the other crew members were ferrying, a party of approximately 20 civilians, the BAUT capsized. Women, children and others started drowning. Sepoy Hira Ballabh Nagarkoti with all his strength managed to get the BAUT right. He hen jumped back into the 35-40 feet deep water to rescue the drowning persons. He was an excellent swimmer and with great effort pulled three persons including one women and got them inside the BAUT. By then he was totally exhausted and out of breath, but could not stand and see the others struggling in the water. Therefore, without caring for the safety of his own life, he again jumped into the water and swam to rescue a woman. The woman in panic clung to his neck. Sepoy Hira Ballabh Nagarkoti struggled with all his strength to get the drowning woman out but was too tired to swim back to the BAUT. He was trapped in the weeds and the submerged branches of kikar trees and could not save himself.

Sepoy Hira Ballabh Nagarkoti, thus, displayed exemplary courage in saving persons from drowning at the cost of his own life.

12. 1473314 SAPPER MAHIPAL SINGH, ENGINEERS (*Posthumous*)

(Effective date of the award : 12th October, 1988)

Sapper Mahipal Singh was detailed as one of the crew members of the rescue party led by Havildar Sahadev Singh operating near village Lalluwala on Road Makhu-Jallandhar. On the 12th October, 1988 when Havildar Sahadev Singh and his crew were ferrying a party of approximately 20 civilians, the BAUT overturned. Women, children and others were drowning. Late Sapper Mahipal Singh, with all his might got the BAUT right and jumped into 35 feet to 40 feet deep water to rescue the drowning persons. With great difficulty, he pulled 3 persons out of water and brought them into the BAUT. But then, he was exhausted and out of breath by then but in utter disregard of his own safety, he jumped into the water once again. He fought hard to get the drowning persons out but was too tired to swim back to the BAUT and was drowned himself.

Sapper Mahipal Singh, thus, displayed exemplary courage in saving persons from drowning at the cost of his own life.

13. 1556953-W LANCE NAIK OPERATOR EXCAVATING MACHINERY BAKSHISH SINGH

(Effective date of the award : 25th December, 1988)

During December, 1988 the Khardungla Pass area experienced heavy snowfall accumulation ranging from 20 feet to 30 feet. On the 25th December, 1988 while Lance Naik Operator Excavating Machinery (OEM) Bakshish Singh of 168 Formation Cutting Platoon under Project Himank of BRO was clearing the snow with his dozer, a very heavy avalanche came down. Lance Naik Bakshish Singh alongwith his dozer got buried in the snow. Undetered by this calamity and inspite of injuries, Lance Naik Bakshish Singh retrieved his dozer with the help of labourers. This fearless opeartor, without caring for his injuries, immediately resumed the work of snow clearance.

braving severe blizzards. It was only after dusk when the task was completed that Lance Naik Bakshish Singh attended to his own injuries.

Lance Naik Bakshish Singh, thus, displayed high degree of devotion to duty and great determination to complete his task against the adverse climatic conditions.

14. 1077271 SOWER RITU RAJ PANDEY, ARMOURED CORPS

(Effective date of the award : 13th January, 1989)

Sower Ritu Raj Pandey of 81 Armoured Corps Regiment was on annual leave from the 10th January, 1989 and staying with his brother in Patna. At about 2000 hours on 13th January, 1989 he was suddenly woken up by screams and shouts. He quickly came out of the house and saw three armed persons trying to snatch and rob on Shri Sanjay Kumar of his video camera. The victim was desperately shouting for help. There were many on-lookers but none was ready to help. Sowar Ritu Raj Pandey endangering his life quickly came to the help of Shri Sanjay Kumar but was shot in the shoulders. He was seriously injured. In spite of his injury he managed to save Shri Sanjay Kumar and his video camera.

Sower Ritu Raj Pandey, thus, exhibited exemplary courage in foiling an attempted robbery at grave risk to his own life.

15. G/88757-H POINEER UTHAMAN

(*Posthumous*)

(Effective date of the award : 28th January, 1989)

On the 28th January, 1989 Pioneer Uthaman of 1654 Pnr Coy of Project Sewak of BRO was driving his road roller on Tengnoupal New Samiti Road after finishing the day's work. The road was on a descending gradient. Suddenly the Roller developed a fault and the braking mechanism topped functioning. As a result, the Roller started moving very fast and went completely out of control. There were many children playing on the road. To save these children, Pioneer Uthaman took the Roller towards the hill side and tried to stop it by taking it on a small approach road which was on an ascending gradient. In doing so, the Roller tilted and toppled on its side. Pioneer Uthaman got trapped under the Roller and was crushed to death.

Pioneer Uthaman, instead of panicking and jumping out of the Road Roller to save his own life, exhibited cool courage, extraordinary devotion to duty and deep concern for the life of the children playing on the road.

16. WING COMMANDER CHEKURI MOHAN RAO (10561) FLYING (PILOT) (*Posthumous*)

(Effective date of the award : 26th February, 1989)

In February, 1989 Wing Commander Chekuri Mohan Rao's unit was called upon to launch a mission to rescue twelve casualties belonging to Snow and Avalanche Study Establishment (SASE) from Bara-Lacha-La, who were involved in serious avalanches in snowbound areas. Wing Commander Rao detailed himself to undertake this difficult mission and lead a section of two Cheetah helicopters for the rescue operation.

On the 26th February, 1989 displaying exceptional skill and consummate courage, he crossed the Rohtang Pass in extremly turbulent weather and landed successfully on the small and snow covered helipad at Bara-Lacha-La at an altitude of 16000 feet and evacuated three SASE casulties to Manali. After refuelling and unmindful of his personal safety, he took off again and landed at Bara-Lacha-La in marginal weather. On the return flight Wg Cdr Rao had on board his co-pilot and three SASE casualities. Shortly after getting airborne from Bara-Lacha-La, his helicopter developed severe vibrations and the aircraft became almost uncontrollable. It was a grave aircraft emergency aggravated by poor visibility and marginal weather. Using his extraordinary flying skill, he managed to guide the virtually uncontrollable aircraft towards the only available very small flat piece of land on a hill slope. Displaying tremendous courage, he managed to turn the helicopter during the last stages of force landing in such a manner that he personally took the major brunt of the impact with the hill slope. While all the other occupants survived, Wing Commander Rao sustained serious injuries and after 12 hours in the sub-zero and treacherous climatic conditions at that high altitude, he succumbed to his injuries.

Wing Commander Chekuri Mohan Rao demonstrated courage and devotion to duty of a very high order and made the supreme sacrifice of his life in the finest tradition of the Air Force.

17. 843014 LANCE NAIK BIR BAHADUR CHHETRI, 9 GORKHA RIFLES

(Effective date of the award : 16th March, 1989)

On the 16th March, 1989 Lance Naik Bir Bahadur Chhetri of 3/9 Gorkha Rifles was detailed to collect documents from the State Bank of India, Ranchi and mail from Station Headquarters Ranchi. While he was on his way, an explosion took place. He saw two persons in civil dress one carrying a black bag and the other a pistol, threatening the people. He asked the two persons what they were doing. At this, one of them threw an explosive device at him and started running away. Lance Naik Chhetri chased them. They warned his repeatedly not to follow them. But he did not give up the case even when he was wounded on the outer side of his right palm by a pistol shot fired at him. Finally, one of the miscreants entered a house and bolted it from inside. Lance Naik Bir Bahadur Chhetri also entered the house and after a furious hand to hand struggle managed to overpower and apprehend the miscreant and handed him over to the police.

Lance Naik Bir Bahadur Chhetri thus, displayed exemplary civic sense, indomitable courage and extraordinary gallantry in his flight with the miscreants.

18. SHRI ANATH BHATTACHARJEE, MIDNAPORE, WEST BENGAL

(Effective date of the award : 15th April, 1989)

On the 15th April, 1989 Shri Anath Bhattacharjee while working on the roof of his house alongwith his elder brother, Shri Bhushan Bhattacharjee heard a big noise followed by commotion in the village. He spotted a crashed aircraft 300 yards away which was on fire with a lot of smoke billowing out of it. Despite repeated warnings by the other villagers, Shri Anath Bhattacharjee rushed to the burning aircraft following his brother and heard the pilot, Lt U. Sondhi shouting for help. Shri Anath Bhattacharjee alongwith his elder brother, Shri Bhushan Bhattacharjee tried to lift the pilot out of the burning wreckage. As the pilot's left leg was stuck, they could not take him out easily Completely unmindful of the fire and the scathing heat, Shri Anath Bhattacharjee kept holding the pilot till his elder brother succeeded in pulling out the trapped leg of the pilot. No sooner had Shri Anath and his elder brother carried the pilot away from the burning wreckage to safety than the aircraft exploded into a huge fire ball.

Shri Anath Bhattacharjee displayed exemplary courage, determination and bravery of a very high order by staking his own life to save Lt. Sondhi who was trapped in the burning wreckage of the crashed aircraft.

19. SHRI BHUSHAN BHATTACHARJEE, MIDNAPORE, WEST BENGAL

(Effective date of the award : 15th April, 1989)

On the 15th April, 1989 Shri Bhushan Battacharjee while working on the roof of his house alongwith his younger brother Anath Bhattacharjee heard a big noise followed by commotion in the village. He spotted a crashed aircraft 300 yards away was on fire with a lot of smoke billowing out of it. Despite repeated warnings by the other villagers, Shri Bhushan Bhattacharjee rushed to the burning aircraft alongwith his brother and heard the pilot, Lt. U. Sondhi shouting for help. Shri Bhushan Bhattacharjee alongwith his younger brother Shri Anath Bhattacharjee tried to lift the pilot out of the burning wreckage. As the pilot's left leg was stuck, they could not take him out easily. Completely unmindful of the fire and the scathing heat, Shri Anath Bhattacharjee kept holding the pilot till his elder brother succeeded in pulling out the trapped leg of the pilot. No sooner had Shri Bhushan Bhattacharjee and his borther carried the pilot away from the burning wreckage to safety than the aircraft exploded into a huge fire ball.

Shri Bhushan Bhattacharjee displayed exemplary courage, determination and bravery of a very high order by staking his own life to save Lt. Sondhi who was trapped in the burning wreckage of the crashed aircraft.

20. LIEUTENANT UDAY KUMAR SONDHI (02897 H) (PILOT), INDIAN NAVY

(Effective date of the award : 15th April, 1989)

On the 15th April, 1989 Lieutenant Uday Kumar Sondhi was authorised to fly as No. 2 in a tactical formation. The sortie was normal till the aircraft was being turned on to finals. On attempting to roll out of the descending turn, Lt. Sondhi experienced jamming of the control column and could not roll out of finals. Showing exceptional alacrity and awareness he correctly operated the servodyne dump valve and opened throttle despite the critically low reaction time available. However, he gained only a limited control of the aircraft and was unable to roll out of the turn Faced with the likelihood of the aircraft crashing into a populated village on the approach. Lt Sondhi displayed exemplary courage by staying with the aircraft despite immense danger to himself. He used the limited control available to him to avoid the village and crashed in an open and unpopulated area thus saving a number of lives. Even after crashing with the aircraft and his own flying clothing in flames, Lt Sondhi displayed remarkable presence of mind, composure and professionalism in exhorting the civilians who arrived on the scene to come to his aid. Lt Sondhi's left ankle was jammed in the crash and displaying commendable resistance to pain and with flames licking at his body he was able to drag his leg out. Literally on fire, he was still able to instruct the locals in pulling him out of the burning wreckage. During this ordeal, he suffered 45% severe burns and subsequently his left leg was required to be amputate below the knee. Lieutenant Uday Kumar Sondhi, thus, displayed tremendous courage and presence of mind in a very critical situation.

21. SHRI DUNGAR RAM GATIYALA, JODHPUR, RAJASTHAN (*Posthumous*)

(Effective date of the award : 19th April, 1989)

On the 19th April, 1989 a gang of terrorists stormed into the State Bank of India at Sadul town in Ganganagar District of Rajasthan with the intention of looting the bank. The guard, Shri Jaguram without caring for his own safety grappled with the terrorists in a bid to prevent them from entering into the bank, fully knowing that the terrorists were armed with revolvers and as such this encounter with them could cost him his life. In the ensuing struggle with the terrorists, Shri Jaguram was hit fatally by one of the bullets fired upon him by the terrorists. After killing the guard, the terrorists entered the bank. In the meanwhile, the Bank Manager Shri Dungar Ram Gativala who came to know of this attempted robbery immediately switched on the alarm and without losing any moment in deliberations and in complete disregard of his own life, came out of his chamber and tried to apprehend one of the terrorists. In the struggle that followed, he was fired for him. Shri Gatiyala lost his life in his noble attempt to save the Bank from being robbed.

Shri Dungar Ram Gatiyala displayed courage and devotion to duty of the highest order and even at the cost of his precious life was instrumental in foiling the attempt to rob the bank of huge cash of Rs. 5 crore.

22. SHRI JAGURAM, JHUNJHUNU, RAJASTHAN (*Posthumous*)

(Effective date of the award : 19th April, 1989)

On the 10th April, 1989 a gang of terrorists stormed into the State Bank of India at Sadul town in Ganganagar District of Rajasthan with the intention of looting the bank. The guard, Shri Jaguram without caring for his own safety grappled with the terrorists in a bid to prevent them from entering into the bank, fully knowing that the terrorists were armed with revolvers and as such this encounter with them could cost him his life. In the ensuing struggle with the terrorists, Shri Jaguram was hit fatally by one of the bullets fired upon him by the terrorists. After killing the guard, the terrorists entered the bank. In the meanwhile, the Bank Manager Shri Dungar Ram Gativala who came to know of this attempted robbery immediately switched on the alarm and without losing any moment in deliberations and in complete disregard to his own life, came out of his chamber and tried to apprehend one of the terrorists In the struggle that followed, he was fired upon from a revolver by one of the terrorists which proved fatal from him.

Shri Jaguram displayed courage and devotion to duty of the highest order and at the cost of his life was instrumental in foiling the attempt to rob the bank of huge cash of Rs. 5 crore.

RAJIV MEHRISHI,
Depuy Secretary to the President.

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 30th March 1990

No. A. 11019/5/87-Ad.I.—The National Transportation Safety Board which was set up vide resolution of even number dated 10th September, 1987 will stand wound up with effect from 1st April, 1990.

DEEPAK DASGUPTA, Jt. Secy.

DEPARTMENT OF ELECTRONICS

New Delhi, the 20th March 1990

RESOLUTION

No. 15(32)/89-SDA-Vol.III.—1. It has been decided by the Government of India to set up a society to be known as "Software Technology Park, Pune" under the administrative control of the Department of Electronics, Government of India.

2. The Registered office of the society shall be at Pune.

3. The main objectives of the society are as follows:

(a) To establish and manage the infrastructural resources such as communication facilities core computers, buildings, amenities etc., and to provide services to the users (who undertake software development for export purposes) for development and export of software through data links.

(b) To carry out development and export of Software and software services.

(c) To undertake export promotion activities such as technology assessments, market analysis, market segmentation etc.

(d) To train and /or orient professionals in the field of Software Technology.

(e) To undertake and encourage design and development in the field of computer software and software engineering.

4. The Secretary to the Govt. of India, Department of Electronics shall be the VISITOR of the Software Technology Park, Pune.

5. The Software Technology Park, Pune will be managed by the Governing Council and the Standing Executive Board, in accordance with the Memorandum of Association and Rules & Regulations as approved by the Department of Electronics, Government of India The compositions of the Governing Council and Standing Executive Board are as follows :

I. Governing Council :

Chairman

1. An officer of the Deptt. of Electronics nominated by the Deptt. of Electronics, Govt. of India.

Members

2. Representative of the Govt of Maharashtra.
3. Executive Director, Electronics & Computer Software Export Promotion Council.
4. Representative of user industry participating in the Technology Park.
5. Financial Adviser, Deptt. of Electronics, Govt. of India or his representative.
6. Representative of Ministry of Commerce, Govt. of India.

7. Member of Software Development Division Deptt. of Electronics, Govt. of India.

8. Two Nominees of Secretary to the Govt. of India, Department of Electronics.

Member-Secretary

9. Director, Software Technology Park.

II. Standing Executive Board

Convenor

(a) Director, Software Technology Park, Pune.

Member

(b) Representative of Software Dev. Divn. DOE.

Member

(c) Representative of Financial Advisor, DOE, Hindi version will follow.

ORDER

Ordered that the resolution be published in the Gazette of India. Ordered also that copy of the resolution be communicated to the Ministries/Departments of the Government of India and all others concerned.

A. K. AGARWAL, Jt. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 22nd March 1990

RESOLUTION

No. VIII-2/90-IJSC.—The Committee for Studies on Economic Development in India and Japan set up vide Planning Commission Resolution No. F. 13(39)/62-Admn.I dated 1st June, 1962 and redesignated as "India-Japan Study Committee" vide Resolution No. VIII-2/79-IJSC dated 13th January, 1979 and last reconstituted vide Planning Commission Resolution No. VIII-2/85-IJSC dated November 4, 1985, is hereby reconstituted as follows :—

Chairman

Dr. A. K. Ghosh

Members

Prof. C. N. R. Rao

Shri Mantosh Sondhi

Shri Viren Shah

Shri Y. L. Agarwal

Shri Muchkund Dubey

Prof. Deepak Nayyar

Member-Secretary

Shri M. C. Gupta

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Ministries of the Government of India, Prime Minister's Secretariat, the Cabinet Secretariat, the Secretary to the President, the Military Secretary to the President and Indian Ambassador in Japan.

Ordered also that a copy be published in the Gazette of India.

The 27th March 1990

No. M-11011/1/90-PP.—In supersession of the Planning Commission's Resolution of even number the Government of India have decided to constitute a Panel of Advisers, which would interact closely with the Planning Commission on a regular basis to take stock of developments and would suggest various policy options and programme strategies.

2. The Panel will consist of the following Members :

(1) Acharya Ramamurthy,
Shram Bharati,
Khadi Gram,
District Munghyr,
Bihar 811 313.

(2) Dr. D. T. Lakdawala,
Bldg. 5, Lady N-Cot Orphanage,
7 Chaupati Road,
Bombay-400 007.

(3) Dr. K. N. Raj,
Nandavan,
Dalava Kunnu,
Kumarapuram,
Trivandrum-695 001.

(4) Dr. K. S. Krishnaswamy,
Pranathi,
Plot No. 1706, 14th Main,
30th Cross, Banashankari Stage II,
Bangalore-560 070.

(5) Dr. V. Kurien,
Chairman,
National Dairy Development Board,
ANAND (Gujarat)-388 001.

(6) Dr. Amulya Reddy,
Indian Institute of Science,
Bangalore-560 012.

(7) Dr. Vina Mazumdar,
Director,
Centre for Women's Development Studies,
B-43, Panchsheel Enclave,
New Delhi-110 017.

(8) Dr. V. A. Pai Panandikar,
Director,
Centre for Policy Research,
Dharma Marg, Chankyapuri,
New Delhi-110 021.

(9) Dr. Y. P. Rudrappa,
121, 6th Cross, 10th Main,
Raj Mahal Vilas Extension,
Bangalore-560 080.

(10) Dr. M. V. Bokare,
Vice-Chancellor,
Nagpur University,
Nagpur-1.

(11) Prof. Deb Kumar Bose,
Chairman,
West Bengal State Electricity Board, and
Member, State Planning Board,
Calcutta.

3. The Members of the Panel will be entitled to travel by air in executive class or by rail in first class airconditioned for journeys relating to the work of the Panel.

4. Planning Commission will provide board and lodging to outstanding Members at the place of the meeting.

5. Conveyance in connection with the work of the Panel at the place of meeting will be provided by the Planning Commission.

6. The Members of the Panel who do not avail of the facilities mentioned in Para 4 and 5 above will be entitled to daily allowance (DA) or conveyance allowance (CA) as admissible to the Members of High Powered Committees and specified in Department of Expenditure O.M. No. 19020/1/84-E.IV dated 23rd June 1986 (as amended from time to time). The expenditure on TA, DA and CA will be borne by the Planning Commission.

7. The Panel of Economists constituted vide Planning Commission's Resolution No. A-12034/2/83-Adm.I, dated March 25, 1983 (as amended from time to time) will cease to function with immediate effect.

8. This Resolution supercedes the Resolution of even number dated 21-2-1990 published in the Gazette of India, Part I, Section 1.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

J. C. DANGWAL, Director (Admn.)

(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

(TECHNICAL CELL)

New Delhi, the 29th March 1990

RESOLUTION

No 12015/34/87-OL(TC).—The Committee of Parliament on Official Languages was constituted under Section 4(1) of Official Languages Act, 1963. The Committee submitted its Second Report to the President in July, 1987 making recommendations about the mechanical facilities in Devanagari in Government offices In accordance with section 4(3) of the Official Languages Act, 1963 it was laid on the table of the Lok Sabha on 29th March, 1988 and the Rajya Sabha on 30th March, 1988. Its copies were sent to the Governments of States and Union Territories Since the recommendations are related to the work being done in various Ministries/Departments, they were also consulted in this regard. After taking into consideration the views of the Governments of States and Union Territories, it has been decided to accept most of the recommendations of the Committee either in full or with some modifications. Therefore, in accordance with Article 4(4) of the Official Languages Act, 1963 the undersigned is directed to convey the orders of the President, regarding the recommendations contained in the Report of the Committee, as follows :—

(1) The Committee has recommended that (a) by 1990, the percentage of Devanagari typewriters should be at least 90% in offices located in region "A", 66.60% in offices located in region "B" and 25% in offices located in region "C". This is applicable to pin-point, bulletin, portable and electric typewriters also besides ordinary typewriters. (b) It should also be ensured that every office has at least one Devanagari typewriter and purchase of additional typewriters should be made according to the percentages proposed above.

The recommendation of the Committee has been accepted with the modification that the Department of Official Language may issue orders for attaining the targets proposed by the Committee by the end of 1994-95. In the light of the recommendation of the Committee, the previous instructions of the Department of Official Languages that every office should have at least one Devanagari typewriter, may be reiterated in these orders and it should be ensured that the targets prescribed by the Committee are achieved by the end of 1994-95 by increasing the existing number of Devanagari typewriters every year by about 20%. The arrangements for training in Hindi stenography and Hindi typing may also be made accordingly. These targets should also be reflected every year in the annual programme for the implementation of the official language policy.

(2) Regarding the typewriters the Committee has recommended that

(a) The research and development of the electronic typewriters should be encouraged so that only Devanagari electronic typewriters can be manufactured in the country as early as possible and when these are available, the demands of the offices located in region "A" and "B" for these typewriters can be met as early as possible The Government should give special concession in the excise duty to promote the manufacture and use of these typewriters.

This recommendation has been accepted The Department of Electronics and Ministry of Industry may take necessary action for its implementation.

(b) It should also be ensured that till such time as only Devanagari electronic typewriters are manufactured, all the offices should purchase only such electronic typewriters as have the facility of typing in Devanagari also along with English.

Orders have already been issued by the Department of Official Language on 15th June, 1987 to the effect that only bilingual (Hindi, English) electronic typewriters should be purchased in all the Central Government offices In view of the recommendation of the Committee the Department of Official Language while reiterating these orders may request all the Ministries and Departments to ensure that till such time as only Devanagari electronic typewriters are manufactured, all the offices should purchase only such electronic typewriters as have the facility of typing in Devanagari along with English

(3) Regarding training in Hindi stenography and typewriting, the Committee has recommended :

(a) It should be ensured that the services of all the employees trained in Hindi stenography and Hindi typing are fully utilised.

The Department of Official Language may issue orders that all the Departments etc. should make optimum use of the services of employees trained in Hindi typing and Hindi stenography in Hindi work and wherever sufficient number of Devanagari typewriters are not available for these persons, additional Devanagari typewriters should be purchased immediately and if there are any other reasons due to which the services of trained employees are not being utilised for Hindi work, these reasons should be immediately removed.

(b) All the employees who have not been trained in Hindi typing or Hindi stenography, should be given this training by the end of 1990 according to a time bound programme so that they can do the work of Hindi typing or Hindi stenography as required.

This part of the recommendation has been accepted with the modification that all the employees yet to be trained in Hindi typing and Hindi stenography should be trained by the end of 1994-95 under time bound programme. For this purpose, it would be necessary to raise the targets for Hindi stenographers and Hindi typists in the Annual Programme drawn up by the Department of Official Language by about 20% every year.

(4) The Committee has recommended that the existing arrangements for training in Hindi typing and Hindi stenography should be further strengthened. At present facilities for this type of training are very limited. These facilities are practically non-existent in non-Hindi speaking areas. Training Centres of the Hindi Teaching Scheme should be opened wherever this training is not available in private institutions. If it is not possible to open a large number of such training centres then the employees concerned should be sent for some time to selected training centres for intensive training in this field.

The recommendation of the Committee has been accepted and the Central Hindi Training Institute may take the following steps in this regard immediately :

(a) A survey of the untrained manpower in various fields and the existing facilities in the light thereof.

(b) Opening of full-time and part-time training centres under the programme for expansion in training during the 8th Five Year Plan.

(c) To get the Government employees trained in the training centres run by the State Governments or private institutions, wherever possible.

(d) Full-time training and arrangement of crash-courses for intensive training in selected centres.

In addition to this, the Department of Official Language may inform all the Ministries/Departments that at all places, where the number of employees is not sufficient for opening full-time or even part-time training centres and where training facilities by voluntary organisations are also not available, approval to the employees being trained in Hindi stenography and Hindi typing in private institutions, like private commercial institutes, and for reimbursement of the expenses incurred by the employees on this training should be given by the office concerned. At the same time, all the offices may be informed that every office should have at least one typist trained in Hindi typing. Wherever it is feasible and it is necessary to do so, the trained typist should be used for training other untrained employees in Hindi typing and for doing this additional work, he should also be given some honorarium by the Head of Office as per rules.

(5) The Committee has recommended that

(a) The syllabus for Hindi typing and Hindi stenography should be reviewed from time to time and keeping in view the latest technical developments, qualitative improvements should be made therein so that these typists are able to work on electric and electronic typewriters also without any difficulty.

This recommendation has been accepted. For implementation of this recommendation, the Central Hindi Training Institute may run specialised training programmes at some selected centres in which training in use of electronic typewriters should be imparted. Initially, this training should be given to the typists of only those offices, where at least one electronic typewriter is available or it has been decided to purchase an electronic typewriter. In addition, wherever bilingual electronic typewriters have been installed training for work on electronic typewriters can also be imparted by the concerned firms. The offices which have purchased bilingual electronic typewriters should request the companies in this regard.

(b) Similarly refresher courses should be arranged from time to time for telex and teleprinter operators also.

This recommendation has been accepted. For its implementation the Department of Telecommunications and the Central Hindi Training Institute may run special training programmes and for this purpose, a time bound scheme should be expeditiously prepared and implemented.

(6) Regarding the Addressograph Machines the Committee has recommended that

(a) In the offices located in region "A" and "B" Devanagari embossing machines should be installed with the Bradma Addressograph.

This recommendation has been accepted. The Department of Official Language may issue orders for its implementation. There are many big offices in region "C" which have considerable correspondence with offices located in region "A" and "B". Therefore the provision of bilingual addressograph should be made in these offices also. Accordingly the "C" region should also be included in the ambit of these orders.

(b) Arrangements should be made for training the employees working on these machines in both Hindi and English

The employees working on addressographs should have knowledge of Hindi. The companies providing the addressograph machines should be asked to give the necessary training to such employees for working on addressographs in Hindi.

(7) Regarding Teleprinters/Telexes, the Committee has recommended that :

(a) In all the offices in region "A" and "B" where only Roman teleprinters have been installed, Devanagari teleprinters should also be installed by June, 1988.

This recommendation has been accepted with the modification that since bilingual teleprinter/telex machines have since been developed and are also being manufactured on commercial basis, it would be appropriate that the Roman teleprinter are replaced by bilingual telex machines.

(b) At the same time, development of Devanagari and Roman bilingual electronic teleprinter and telex should be expedited. It should be ensured that there is no delay in its development and after its successful testing, bilingual electronic teleprinters should be installed in place of the existing Roman electronic teleprinters. This work should be completed by the end of 1988.

This recommendation has also been accepted with modifications The development of a bilingual telex machine has also been completed and the time limit for replacing the existing Roman electronic teleprinter with bilingual electronic telex machines by the end of year 1988 has also expired. Therefore the Department of Telecommunications may raise the production capacity of English-Devanagari bilingual telex machines and also ensure that in the next three years i.e. by 30-9-1993, all the teleprinters/telexes in Government offices are bilingual. The Department of Telecommunications may draw a time bound plan for this so that while on the one hand the bilingual telex machines should be available in offices at the earliest, on the other hand these are mainly used in Devanagari only

(c) Teleprinter operators should compulsorily be given training in working in Hindi.

The recommendation for training the teleprinter operators in Hindi has been accepted. The Department of Telecommunications may arrange Hindi training of the telex operators also. For this also it should draw up and implement a time bound plan. In addition, arrangements for training the telex operators at the Central Hindi Training Institute may also be made

(8) The Committee has recommended that the Government should act strictly in the matter of purchase of computer systems and word processors etc. capable of working in Devanagari and no relaxation should be given in this matter. This should be monitored in the Deprtment of Official Language at the highest levels. Quarterly reports should be obtained from all the Ministries regarding the computer system installed by them.

For the implementation of this recommendation, the orders issued by the Department of Official Language on this subject on 31-8-1987 may be reiterated and all the offices requested to act strictly in this regard. Although information about computer systems etc. is already incorporated in the Quarterly Progress Report regarding progressive implementation of the official language policy, yet the Department of Official Language may conduct a survey in this regard in accordance with the recommendation of the Committee and further action may be taken on the basis of this survey.

(9) The Committee has recommended that the Department of Electronics should set up an organisation which can make recommendations to the Government regarding development and manufacture of various electronic and mechanical facilities keeping in view the use of Hindi in them. This organisation can also find out as to what can be done for expediting the development and manufacture of such equipment in public and private sectors.

The recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Electronics may set up a cell in the Computer Development Division which should make recommendations to the Government regarding development and manufacture of various electronic and mechanical facilities keeping in view the use of Hindi in them and also find out as to what can be done for expediting the development and manufacture of such equipment in public and private sectors. The Department of Electronics may also set up a Working Group which should include the representatives of the Department of Official Language and the National Informatics Centre. The Working Group may consider these two issues and submit its report within one year. The special cell of the Computer Development Division of the Department of Electronics may take effective steps on this report in close coordination with the Department of Official Language.

(10) The Committee has recommended that the development and manufacture of hardware and software for computer systems in Devanagari should be undertaken on priority basis and a software should be developed thorugh which it should be possible to do processing in Devanagari only.

This recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Electronics may ensure that the development and manufacture of hardware and software for computer systems in Devanagari is undertaken on priority basis so that data processing in Devanagari only is also possible. The plan for Technology Development Mission for Indian Languages proposed by the Department of Electronics may be implemented expeditiously and the work completed within a fixed time-frame.

(11) The Committee has recommended ensuring that facilities are provided for imparting training in CLASS programme through the medium of Hindi. Towards this end, development of software for teaching Hindi and other subjects through Hindi medium using computers should also be done on a priority basis. The promotional and reference material about this programme should be made available in Hindi. Hindi software should be used on all the computers installed in this programme

The recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Education of the Ministry of Human Resource Development may work according to a time-bound programmes for implementing this recommendation.

(12) Hindi is a phonetic language. This is also a special feature of other Indian languages The Committee has, therefore, recommended that a technology should be developed through which it should be possible to enter text in computers through speech only, i.e it should not be necessary to type on Roman or Devanagari keyboard for "input" on computers and it should be possible to enter data through oral pronunciation. The Department of Electronics should undertake research and necessary steps for this purpose.

This recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Electronics may prepare a time-bound programme in which research should be undertaken for entering commands in computers orally in Hindi.

(13) The Committee has recommended that either the line printers should be replaced by the latest laser printers, in which Devanagari printing is possible or necessary steps should be taken for development of line printers in Devanagari.

The recommendation of the Committee for making available high speed Devanagari line printers has been accepted and the Department of Electronics may encourage research, development and production in this direction The Department of Electonics may, from time to time, apprise the Department of Official Language in this regard and the Department of Official Language should provide this information to banks and other institutions, so that they can install the latest Devanagari printers in their offices.

(14) The Committee has recommended that the organisations like banks, railways, airlines and defence establishments, which use large number of computers, should ensure that Hindi software for their requirements is developed and produced on priority basis.

This recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Official Language may obtain the latest information on this subject from the Department of Electronics and inform various Government offices and institutions and also direct them to prepare time bound schemes for development of software

(15) Regarding installation of Devanagari terminals on computers, the Committee has recommended that :

(a) Devanagari terminals should be installed immediately on all the computers which have the capability of working in Roman only.

This recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Official Language may inform all the Government offices about the latest technology of installing GIST terminals or cards in computers and ask them to prepare time-bound programmes for installing gist technology or cards in the existing Roman computers.

(b) In the Departments where computers are very old and it is not possible to provide bilingual capability due to technical reasons, it would be more useful in terms of costs to replace these machines by the latest bilingual computers.

This recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Official Language may bring this recommendation to the notice of all the Government offices and ask them to implement it.

(16) The Committee has recommended that

(a) The Department of Electronics should allow installation of only those computers which have the facility of processing and printing in Hindi

The recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Electronics may take necessary action for its implementation.

(b) The Department of Electronics should also see whether Devanagari terminals are available on the computers provided by them to other departments. Arrangements for installing Devanagari terminals and Devanagari printing should be made wherever such terminals have not been installed.

The National Informatics Centre (Planning Commission) may implement this recommendation of the Committee so that arrangements are made for providing Devanagari terminals and Devanagari printing on the computers provided by them to other Departments.

(c) The Department of Electronics should get the books relating to computers published in Hindi and provide these to all the Departments and offices where computers have been installed by them

The National Informatics Centre may contact the Department of Electronics and implement this recommendation of the Committee so that books relating to computers are published in Hindi also and provided to all the Departments and offices where computers have been installed by them

(17) The Committee has recommended that efforts should be made to utilise computers for translation work of technical or simple nature.

The recommendation of the Committee has been accepted. For its implementation the Department of Elctronics may prepare and start expeditiously a project regarding translation from English and other foreign languages to Hindi and other Indian languages through computers.

(18) The Committee has recommended that a small, low cost practical computer vocabulary in Hindi should be prepared. It should be reviewed from time to time so that the new words which come up due to continuous research going on in this field are also incorporated in it.

The Commission on Scientific and Technical Terminology has prepared a practical computer vocabulary and a book has also been published on this subject. Therefore, this recommendation of the Committee has been implemented. However, the Commission on Scientific and Technical Terminology may take action on the second part of the recommendation at the appropriate time in future.

(19) The Committee has recommended that Devanagari characters should also be engraved on the keyboards of word processors and electronic typewriters. The manufacturing companies should be ordered to engrave the Devanagari commands on the command keys also.

The Department of Industry may take necessary action on this recommendation and in this regard the Department of Official Language may also write to the companies manufacturing keyboards. In addition, the Department of Official Language may issue directions to all the Departments that they should purchase only those computers which have all the commands on their keyboards in bilingual form

(20) Regarding installation of bilingual equipment, the Committee has recommended that :

(a) The offices and undertakings should not purchase only Roman computers, word processors and teleprinters etc. but purchase only those machines which have bilingual facilities.

Orders, to the effect that in Government offices only such computers, word processors and teleprinters as have the facility of Devanagari should be purchased, had already been issued on 30-5-1985. These may be reiterated.

(b) The Department of Electronics should be made a check-point for purchase of computers, word processors etc.

The recommendation of the Committee has been accepted with the modification that the check point for purchase of computers and word processors would be the Administrative Division of every Department and the check point for any relaxation in this matter would be the Department of Official Language.

(c) The Department of Telecommunication should be make a check point for purchase of telex/teleprinters.

The recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Telecommunication may take necessary action in this regard.

(21) The Committee has recommendd the Department of Electronics should develop software for use of Hindi in common items of work, being done in different Government departments like pay bills etc. so that the facility of working on computers in Hindi may be available to all the Departments.

The recommendation of the Committee has been accepted. The Department of Electronics and National Informatics Centre may take necessary action in this regard.

(22) The Committee has recommended that arrangements should be made under which the equipment, like computers etc, capable of working in bilingual form are available at a relatively lower price and in any case their cost should not be more than that of machines capable of working in Roman only.

The recommendation of the Committee has been accepted and the Department of Electronics may make arrangements, by way of concession in Excise duty etc. so that in any case the cost of bilingual computers etc is not more than that of machines capable of working in Roman only.

(23) The Committee has recommended that the Department of Official Language should be reorganised in such a manner that there is no difficulty in proper implementation of the official language policy. Department of Official Language should be strengthened and provided with all resources.

The recommendation of the Committee has been accepted.

(24) The Committee has recommended that the Electronics Corporation of India Ltd. Hyderabad should immediately develop software for telegram system, to remove the difficulty in sending Devanagari telegrams in the absence of Devanagari software

This recommendation has been accepted. The Department of Telecommunication may take immediate action for its implementation.

(25) As the telegram is also a form of correspondence, the Committee is of the view that all official telegrams to the Central Government offices, State Governments and their offices and other individuals etc. in regions "A" and "B" and notified offices located in region "C" should be sent in Devanagari only.

The recommendation has been accepted with the modification that all the telegrams from the offices, located at the places where the facility of sending telegrams in Devanagari is available, should be sent in Hindi only as per the targets prescribed by the Department of Official Language every year.

(26) The Committee has recommended that the standardisation of the Devanagari keyboards for the computers should be completed by the end of 1987.

This recommendation of the Committee has already been implemented.

(27) Regarding incentives, the Committee has recommended that

(a) The employees who know English typing and stenography and learn Hindi typing and stenography and do their work in Hindi are given special incentive of Rs. 20 and Rs. 30 per month respectively, which is very meagre and unattractive. This should be increased to Rs. 100 and Rs. 200 respectively

(b) The Teleprinter and Computer operators should also be paid some incentive for doing work in both languages. This incentive should be given for a fixed period say five years so that the concerned officials get experience of working in both languages during this period.

Special incentive for Hindi typing and stenography along with Roman has been increased from Rs. 20 and Rs. 30 respectively, to Rs. 40 and Rs. 60. Orders to this effect were issued on 16-7-1987. The Department of Official Language may again send the proposal relating to increase in incentives in accordance with the recommendations of the Committee to the Ministry of Finance and the computer and telex operators may also be included in this purview. The recommendation of the Committee that this incentive should be given for a fixed period of say five years, may be reconsidered after five years.

(28) The Committee has recommended : To ensure that all publications of the Government of India are brought out in bilingual form simultaneously, it is necessary that proper arrangements for printing in both Hindi and English are available in all the Government presses and the quality of Hindi printing should not be in any way inferior in comparison to English printing. It is also necessary that the officers and the staff engaged in printing work viz compositors, proof readers etc., possess requisite training and experience for doing work in the Hindi language

This recommendation of the Committee has been accepted. The Directorate of Printing may take necessary action in this regard

(29) Orders regarding purchase of a certain percentage of Devanagari typewriters in different areas and provision of at least one Devanagari typewriter in each office as well as purchase of only those electronic devices/equipment that are capable of giving output in both Hindi and English languages, have been issued by the Department of Official Language. But these orders have not been complied with properly by the various Ministries/Departments offices and undertakings etc, thereby hampering the pace of use of Hindi as the official language and promoting the use of English language. The Committee has recommended that in terms of Rule 12 of the Official Language Rules, stern action be taken against the Heads of Departments, who have failed to properly comply with the orders on the subject issued by the Department of Official Language.

The recommendation of the Committee has been accepted. For its implementation, the attention of all the offices may be drawn towards this recommendation and they may be asked to strictly comply with the orders issued from time to time in this regard by the Department of Official Language.

(30) The Committee has recommended that in regions "A" and "B" where bilingual equipment are installed, these should be used mainly for doing work in Hindi in accordance with the rules regarding the official language. For this purpose strong and effective check points should be prescribed and provision made for action against those violating them.

The recommendation that in regions "A" and "B" where bilingual equipment are installed, these should be used mainly for doing work in Hindi in accordance with the rules regarding the official language and that for this purpose strong and effective check points should be prescribed and provision made for action against those violating them has been accepted and the Department of Official Language may issue directions in this regard.

Order

Ordered that a copy of this resolution may be forwarded to all the Ministries, Department of Government of India, President Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

It is also ordered that this resolution may be published in the Gazette of India for the information of the general public.

N. K. MAHAJAN, Jt. Secy

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 5th March 1990

No. F. 9-17/84-U. 3.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government on the advice of the Commission, hereby declare that the Deccan College Post-graduate and Research Institute, Pune, shall be deemed to do be a university for the purpose of the aforesaid Act.

The 12th March 1990

RESOLUTION

No. F. 30-4/89-U. 3.—In accordance with the provisions contained in Rule 3, read with Rule 13 of the Rules of the Indian Council of Historical Research, New Delhi, the Government of India have re-appointed prof. Irfan Habib, Chairman, Centre of Advanced Study, Department of History Aligarh Muslim University, Aligarh, as the Chairman of the Indian Council of Historical Research for a second term of 3 years with immediate effect.

Order

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Director, Indian Council of Historical Research, 35, Ferozeshah Road, New Delhi.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. G. MANKAD, Jt. Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 28th March 1990

RESOLUTION

No. 604/2/89/NP-I/RNI/JS(P).—In continuation of this Ministry's Resolution No. 604/2/89/NP-I RNI/JS(P) dated 2nd June, 1989, the following non-official members are hereby appointed as members of the Newsprint Price Fixation Advisory Committee for one year with effect from 1-4-1990.

Non Official Members

1. Shri Mahendra Mohan Gupta—Nominee of the Indian Newspaper Society
2. Shri Aroon Purie—Nominee of the Indian Newspaper Society.
3. Shri Kiran R. Sheth—Nominee of Indian Langu-Newspapers Association
4. Shri Rajendra Sharma—Nominee of Indian Languages Newspapers Association.
5. Shri Harbhajan Singh—Nominee of All India Small & Medium Newspapers Federation.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

IMTIAZ A KHAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, CIVIL LINES, DELHI, 1990